सितंबर, 2020
I.S.S.N. : 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग, प्रभारी वि.सा.प्र.

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन, विधि
संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

वार्षिक : ₹ 1,300/-

© 2020 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितम्बर, 2020 अंक - 9

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय
संपादक
असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य प्रकाशन

(2020) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on
Website ➡ https://bharatkosh.gov.in/product/product

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

भारतीय दंड संहिता, 1860 के अन्तर्गत किसी अपराध को अंजाम देना ही अपराध नहीं है बल्कि ऐसा अपराध कारित करने के लिए किसी को उकसाना भी अपराध बन जाता है । अपराध कारित करने के लिए इस प्रकार उकसाने का कृत्य दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण कहा जाता है और इस दुष्प्रेरण के कृत्य के लिए वही दंड रखा गया है जो मूल अपराध के लिए तय किया गया है । आत्महत्या करना वास्तव में एक कठिन कार्य है जो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है जिसे दूर-दूर तक अपना कोई सहारा दिखाई नहीं देता । आत्महत्या के लिए किया गया दुष्प्रेरण दंड संहिता की धारा 306 के अधीन रखा गया है और विधान मंडल ने इस बुराई को रोकने के लिए इस धारा की रचना की है ताकि समाज सुरक्षित रह सके । धारा 306 के अधीन अपराध गठित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि पहले यह साबित होना चाहिए कि आत्महत्या की गई है, अन्यथा दुष्प्रेरण के आरोपी को इस धारा के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । दंड संहिता के अध्याय 5 के अन्तर्गत दुष्प्रेरण के विषय में विस्तार से उल्लेख किया गया है । किसी भी ऐसे कार्य के लिए, जिसे दंड संहिता के अन्तर्गत अपराध घोषित किया गया है, दुष्प्रेरण कहलाता है ।

दुष्प्रेरण के कई रूप हो सकते हैं । कभी किसी नव-विवाहिता से दहेज की मांग और साथ ही साथ उससे गाली-गलौज भी की जा रही हो उसके आचरण पर लांछन लगाए जा रहे हों और उसके गर्भ में उपस्थित संतान को अवैध कहा जा रहा हो, तब ऐसी स्थिति में एक भारतीय नारी का आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित हो जाना संभव है । कभी-कभी दुष्प्रेरण का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल पाता है किंतु परिस्थितियां जिनमें मृत्यु हुई है, अभियुक्तों के आचरण और अपराध की प्रकृति पर विचार करने से सच्चाई का पता लग जाता है । महिलाओं द्वारा ससुराल में आत्महत्या किए जाने की घटनाएं बहुत सुनने में आती हैं । इन आत्महत्याओं के पीछे कहीं न कहीं दहेज की मांग होती है या मृतका के साथ ससुराल वालों का दुर्व्यवहार होता है । किंतु कुछ मामले ऐसे भी

होते हैं जिनमें आत्महत्या तो होती है किंतु वह दुष्प्रेरणा का परिणाम नहीं होती । **शंभू लाल** बनाम **राजस्थान राज्य** (2020) 2 दा. नि. प. 416 वाला मामला इस स्थिति को भलीभांति स्पष्ट करता है ।

इस अंक में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अतिरिक्त अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री भी है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं । इस अंक में सामाजिक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि-विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि-अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

सितंबर, 2020

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अपु रानी दास **बनाम** त्रिपुरा राज्य	347
उत्तम देब **बनाम** त्रिपुरा राज्य	359
किरनभाई अमृतभाई पटेल **बनाम** गुजरात राज्य	291
जे. फ्रांसिस जेवियर **बनाम** राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक, कोयम्बतूर	403
देवानंद तारकराम भगत **बनाम** महाराष्ट्र राज्य	390
धाबीराम कोंच **बनाम** असम राज्य	326
प्रभात कुमार सिन्हा **बनाम** भारत संघ	379
शंभू लाल **बनाम** राजस्थान राज्य	416

संसद् के अधिनियम

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1–35

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 438 – अग्रिम जमानत हेतु आवेदन – मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 477 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(2) और 13(1)(घ) से संबंधित है – उक्त मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला अंतर्वलित होना – आरोप के अनुसार अभियुक्त की डीडीसी-सह-सीईओ के रूप में कार्यविधि के दौरान 13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान को उक्त प्रयोजन हेतु खोले गए विशेष खाते में जमा करने की बजाय किसी अन्य खाते में जमा किया जाना – अभियुक्त द्वारा प्रथमत: अभिहित बैंक में विशेष प्रयोजन खाता न खोला जाना – अपितु लाखों रुपए के अंतरण के पश्चात् उक्त विशेष प्रयोजन खाता खोला जाना – घोटाले का पूर्णतया योजनाबद्ध होना – चैक अस्वीकृति से बचने के लिए भी सुनियोजित योजना का विद्यमान होना – इन परिस्थितियों में घोटाले में अंतर्वलित बहुत बड़ी रकम और अभियुक्त की उक्त घोटाले में अभिकथित भूमिका और उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जा सकती ।

प्रभात कुमार सिन्हा बनाम **भारत संघ** 379

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 302 [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की

पृष्ठ संख्या

धारा 3 और 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र की दाउ के प्रहार से हत्या का अभिकथन – मृतक की माता के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी का उसके पुत्र को घर से बुलाकर ले जाना और उसके पश्चात् वापस न आना – घटनास्थल से रक्तरंजित आयुध की बरामदगी – साक्ष्य की श्रृंखला का पूर्ण पाया जाना – मृतक को उसके घर से अभियुक्त द्वारा बुलाया गया था और वह अपने साथ अपने घर ले गया और इसके पश्चात् मृतक उस रात्रि में अपने घर वापस नहीं आया और अगले दिन मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया और साथ ही अपराध में प्रयोग किए गए रक्तरंजित आयुध को घटनास्थल से बरामद किया गया, ऐसी स्थिति में हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

धाबीराम कोंच बनाम **असम राज्य** 326

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा गला दबाकर पत्नी की हत्या – अपीलार्थी का घटनास्थल पर मौजूद पाया जाना – घटना के पूर्व अपीलार्थी द्वारा पत्नी के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से श्वासावरोध की पुष्टि – अपीलार्थी और मृतका के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और घटना के समय अपीलार्थी घटनास्थल पर मौजूद पाया गया था और साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य से श्वासावरोध के कारण मृत्यु होने की पुष्टि होती है, अतः अपीलार्थी हत्या का दोषी है और निचले न्यायालय के

पृष्ठ संख्या

निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

शंभू लाल बनाम **राजस्थान राज्य** 416

– धारा 302 और धारा 120ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और धारा 60] – हत्या – पुलिस अधिकारी द्वारा बाजार में एक व्यक्ति का शव पाया जाना – पुलिस अधिकारी द्वारा शव के निरीक्षण पर यह पाया जाना कि अनेक व्यक्तियों ने मिलकर मृतक के शरीर पर घातक क्षतियां कारित की हैं – अभियोजन पक्ष के अनेक मुख्य साक्षियों द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई सारवान् अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहना – दो साक्षियों द्वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि उन्होंने बाजार में किसी व्यक्ति को यह कहते सुना था कि अभियुक्तों ने मृतक पर उसे चोर समझकर हमला किया था और शबाल से चोट मारकर उसकी हत्या की थी – किंतु यह अनुश्रुत साक्ष्य है और इसकी पुष्टिस्वरूप कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना – अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने और अनुश्रुत साक्ष्य के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण अभियुक्तों की दोषमुक्ति सर्वथा उचित है ।

अपु रानी दास बनाम **त्रिपुरा राज्य** 347

– धारा 306 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 155(3)] – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – साक्ष्य का मूल्यांकन – दहेज की मांग से तंग आकर पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने का अभिकथन – माता-पिता के

पृष्ठ संख्या

साक्ष्य में विस्तार और संशोधन – शारीरिक और मानसिक क्रूरता तथा धन की मांग किए जाने से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना – मृतका के साथ उसके वैवाहिक जीवन के दौरान अभियुक्त द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित किए जाने तथा धन की मांग किए जाने का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और साक्षियों ने अपने कथन में सुधार और विस्तार किए हैं अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती ।

किरनभाई अमृतभाई पटेल बनाम **गुजरात राज्य** 291

– धारा 376(1) (वर्ष 2013 के संशोधन के पूर्व), धारा 511 और धारा 506 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग का प्रयास – आहत का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में हुए विलंब का स्पष्ट किया जाना – आहत ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उसे बलपूर्वक अपने घर ले गया था और उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, निर्वस्त्र किया और अपना गुप्तांग उसके गुप्तांग से स्पर्श किया और यह धमकी दी कि यदि आहत ने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उस पर हमला करेगा, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बलात्संग के प्रयास और आपराधिक अधित्रास का दोषी ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है और निचले न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

जे. फ्रांसिस जेवियर बनाम **राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक, कोयम्बतूर** 403

पृष्ठ संख्या

– धारा 376(2)(च) [सपठित बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4] – बलात्संग और मुख मैथुन के अपराधों का आरोप – पीड़िता का अप्राप्तव्यय होना – पीड़िता की माता और अभियुक्त द्वारा पति-पत्नी की भांति एक ही घर में निवास करने के कारण अभियुक्त के पास विश्वास और प्राधिकार की हैसियत का होना – पीड़िता की माता द्वारा यह आरोप लगाते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना कि अभियुक्त ने अपने गुप्तांग को पीड़िता के मुख में प्रविष्ट कराया – छिटपुट विसंगतियों के बावजूद पीड़िता और उसकी माता के साक्ष्यों का विश्वसनीय होना – अत: अभियुक्त के पास विश्वास और प्राधिकार की हैसियत होने, पीड़िता और उसकी माता के साक्ष्यों के विश्वसनीय होने, विद्यालय के अभिलेख से यह साबित हो जाने के कारण कि घटना के दिन पीड़िता अप्राप्तव्यय थी और मुख में लिंग को प्रविष्ट कराने से बलात्संग का अपराध गठित होने और अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष साबित करने में असफल रहने के कारण दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन उसकी दोषसिद्धि सर्वथा उचित है ।

देवानंद तारकराम भगत बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 390

– धारा 420 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – छल – अभियुक्त द्वारा उच्चतर ब्याज का लालच देकर कपटवचन द्वारा शिकायतकर्ता से अनेक बार एक गैर-बैंककारी कंपनी में उसके और उसके कुटुंब के सदस्यों के नाम पर निवेश करने के लिए धनराशि प्राप्त किया जाना – शिकायतकर्ता या

पृष्ठ संख्या

उसके कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा निवेश संबंधी किसी प्ररूप पर हस्ताक्षर न किया जाना – अभियुक्त द्वारा कभी भी प्राप्त धनराशि की पावती जारी न किया जाना – शिकायत दर्ज करने में विलंब होना – पीड़ितों के बयानों को घटना के काफी समय पश्चात् लेखबद्ध किया जाना – शिकायतकर्ता के कथनों में गैर-बैंककारी कंपनी की विद्यमानता के संबंध में विरोधाभास होना – आपराधिक मन:स्थिति स्थापित करने में असफल रहना – अत: अभियुक्त के माध्यम से धन के निवेश के अभिकथनों के संदेहास्पद होने, शिकायत दर्ज करने और तदुपरांत पीड़ितों के बयानों को लेखबद्ध करने में विलंब होने और आपराधिक मानसिकता सिद्ध न होने के कारण अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित छल को सुसंगत संदेह से परे स्थापित नहीं किया जा सका है इसलिए अभियुक्त संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार है ।

उत्तम देब बनाम **त्रिपुरा राज्य** 359

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 106 – सबूत का भार – केवल मृतका और अपीलार्थी का घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद पाया जाना – प्रतिरक्षा साक्षी के साक्ष्य से अपीलार्थी की मौजूदगी साबित होना – घटना के समय केवल अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतका ही घटनास्थल पर मौजूद थे, अत: निर्दोषिता साबित करने का भार अभियुक्त पर है जो प्रतिरक्षा साक्षी प्रस्तुत करके भी साबित नहीं कर सका, अत: अपीलार्थी का कृत्य उस आशय से भिन्न नहीं है जिसे परिस्थितियां इंगित करती हैं, इसलिए उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

शंभू लाल बनाम **राजस्थान राज्य** 416

किरनभाई अमृतभाई पटेल

बनाम

गुजरात राज्य

(2004 की दांडिक अपील सं. 971)

तारीख 2 जून, 2020

न्यायमूर्ति ए. पी. ठाकेर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 306 और 498क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 155(3)] – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – साक्ष्य का मूल्यांकन – दहेज की मांग से तंग आकर पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने का अभिकथन – माता-पिता के साक्ष्य में विस्तार और संशोधन – शारीरिक और मानसिक क्रूरता तथा धन की मांग किए जाने से संबंधित प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना – मृतका के साथ उसके वैवाहिक जीवन के दौरान अभियुक्त द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित किए जाने तथा धन की मांग किए जाने का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और साक्षियों ने अपने कथन में सुधार और विस्तार किए हैं अत: अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती ।

इस मामले में यह अभिकथन किया गया है कि मूल शिकायतकर्ता अमृतलाल माधवलाल पटेल ने तारीख 16 जनवरी, 2001 को दंड संहिता की धारा 306, 498क और 114 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 और 5 के अधीन दंडनीय अपराध अभिकथित रूप से कारित किए जाने के लिए तीन अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत फाइल की जिसमें यह अभिकथन किया गया कि मृतका बीनाबेन की आयु 26 वर्ष थी और उसने स्नातकोत्तर (एम. ए.) की डिग्री प्राप्त कर रखी थी और उसका विवाह वर्तमान अपीलार्थी अर्थात् मूल अभियुक्त सं. 1 के साथ उसके

समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार वर्ष 1998 में विवाह हुआ था । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका विवाह के पश्चात् अभियुक्त के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी और इस शिकायत के फाइल किए जाने के दो वर्ष पूर्व वर्तमान अपीलार्थी ने मृतका को अपने पैतृक गृह से, ट्यूशन सेंटर चलाने हेतु, धन लाने के लिए विवश किया । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका ने धन लाने से इनकार कर दिया था और अपीलार्थी ने मृतका की ओर ध्यान देना बंद कर दिया था । शिकायत में किए गए अभिकथन के अनुसार शिकायतकर्ता मृतका को उसके पैतृक गृह लेकर आया और इसके पश्चात् वहां नातेदार एकत्र हुए और दोनों पक्षकारों के बीच समझौता कराया गया तथा वर्तमान अभियुक्त ने यह आश्वासन दिया कि अब वह मृतका के साथ भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगा और इसके पश्चात् मृतका को उसके वैवाहिक गृह लाया गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि इस घटना के बाद भी अभियुक्त-अपीलार्थी ने धन की मांग जारी रखी और मृतका के साथ मानसिक क्रूरता कारित करने लगा । शिकायत में किए गए अभिकथन के अनुसार इस शिकायत के फाइल किए जाने के 6 माह पूर्व वर्तमान अपीलार्थी ने पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन किया था और उस संबंध में किसी परीक्षा का आयोजन किया गया था, तब अपीलार्थी ने मृतका से कहा था कि वह अपने माता-पिता से धन लेकर आए और इस कारण मृतका के साथ प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था । यह अभिकथन किया गया है कि मृतका को उसकी बड़ी बहिन, जो घाटलोडिया में रहती है और उसके मामा विट्ठलभाई पीतांबरदास जो नव वडाज में रहते हैं, से मिलने नहीं दिया गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका ने ये सभी तथ्य अपने माता-पिता के घर पहुंचकर उन्हें बताए और मृतका ने यह भी बताया कि उसने इस संबंध में अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 से भी शिकायत की थी किंतु उन्होंने मृतका का समर्थन नहीं किया बल्कि उन्होंने अपीलार्थी का ही साथ दिया । यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 15 जनवरी, 2001 को शिकायतकर्ता अपने घर पर था और उस समय अर्थात् अपराह्न लगभग 8.00 से 8.30 बजे के बीच शिकायतकर्ता का भतीजा जीतूभाई जोइताराम वहां आया और उसने बताया कि ग्राम में कोई सभा होने जा रही है और उसे बुलाया गया है ।

यह भी अभिकथन किया गया है कि नातेदार इकट्ठे हुए और उनसे यह पता चला कि अपीलार्थी के भाई राजेश ने शिकायतकर्ता के नातेदार अर्थात् हीराभाई चेलाभाई को टेलीफोन पर यह जानकारी दी कि मृतका ने फांसी पर लटक कर आत्म-हत्या कर ली है । यह भी अभिकथन किया गया है कि अपराह्न लगभग 9.00 बजे शिकायतकर्ता और अन्य नातेदार किसी निजी वाहन से अभियुक्त के घर गए और वहां अपराह्न लगभग 11.30 बजे पहुंचे और वहां बहुत से व्यक्ति मौजूद थे और वर्तमान अभियुक्त राजेशभाई के भाई तथा अभियुक्त सं. 2 से पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता को यह पता चला कि मृतका ने अपराह्न लगभग 6.30 बजे अपनी साड़ी को छत में लगे हुक से बांधकर फांसी लगाकर आत्म-हत्या कर ली है । उक्त घटना के आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306, 498क और 114 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने अभिकथित अपराधों के लिए संबद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 7, अहमदाबाद के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया और चूंकि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध एकमात्र रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए विद्वान् मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 के अधीन सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया और उस न्यायालय ने इस मामले को सेशन मामला सं. 260/2002 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध के लिए आरोप (प्रदर्श-2) विरचित किया गया । अभियुक्तों द्वारा इस आरोप से इनकार किया गया और विचारण किए जाने का अभिवाक् किया गया । साक्षियों की परीक्षा किए जाने की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए जिसमें उन्होंने कोई भी अपराध कारित किए जाने से इनकार करते हुए यह कथन किया है कि उन्होंने मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कभी नहीं किया और उन्होंने किसी भी प्रक्रम पर मृतका से किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की थी । अभियुक्तों ने यह भी कथन किया है कि उन्हें अभिकथित अपराध में मिथ्या फंसाया गया है । अभिलेख पर

उपलब्ध साक्ष्य और दोनों ओर के पक्षकारों की सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 को उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया तथा अभियुक्त सं. 1 अर्थात् इस मामले में के अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए ऊपर निर्दिष्ट रूप में निर्णय और दंडादेश पारित किया । विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका ने स्वयं फांसी पर लटक कर आत्महत्या की है और उस समय दरवाजा भीतर से बंद था । इस प्रकार, आत्महत्या किए जाने का तथ्य विवादित नहीं है । विचार के लिए यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए विवश किया है । जिस क्रूरता के कारण मृतका को आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया है, अभिलेख पर प्रस्तुत की जानी चाहिए । यह सुस्थापित है कि प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य तर्कसम्मत, विश्वसनीय और विश्वासप्रद होना चाहिए । यह भी सुस्थापित है कि साक्ष्य, प्रत्यक्ष होना चाहिए और यदि किसी अनुश्रुत साक्ष्य का अवलंब लिया जाना हो, तब ऐसी स्थिति में अनुश्रुत साक्ष्य का समर्थन अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से भी होना चाहिए । स्वीकृततः, वर्तमान मामले में मृतका के साथ उसके वैवाहिक जीवन के दौरान अभियुक्त द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित किए जाने तथा धन की मांग किए जाने का कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष का संपूर्ण साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है जो उन्होंने अपने निकट नातेदारों से सुना था कि मृतका के साथ, ट्यूशन-पाठशाला चलाने हेतु तथा पी.एस.आई. की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए धन की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से अभियुक्त द्वारा क्रूरता कारित की जाती थी । अतः, मृतका के पिता, माता, जीजा और मामा के साक्ष्य का मूल्यांकन विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा की कसौटी पर किया जाना चाहिए । ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनेक विनिश्चयों के साथ साक्ष्य

पर विचार करने पर यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि मृतका का विवाह वर्ष 1998 में हुआ था । आरंभ में मृतका अपने मायके में रहती थी और "आना" की रसम पूरी होने के पश्चात् वह अपनी ससुराल चली गई और कुछ समय वह वहीं रही और इसके पश्चात् वह अपने मायके आ गई । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उसने विवाह के पश्चात् एम. ए. की पढ़ाई पूरी की थी और उस समय वह अपने माता-पिता के यहां रहती थी । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मृतका के पिता, माता और मामा ने अपने साक्ष्य में सुधार करते हुए अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित किए जाने तथा धन की मांग किए जाने का उल्लेख किया है जो इन साक्षियों ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में नहीं बताया था । साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि मृतका को उसके मामा और उसकी बड़ी बहिन के घर जाने की अनुमति थी । तथापि, मृतका के माता-पिता ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका को उसकी बड़ी बहिन और मामा के घर जाने की अनुमति नहीं थी । मृतका के माता-पिता द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासप्रद नहीं हैं । स्वीकृततः, इस मामले में मृतका की मृत्यु हुई है किंतु मृतका का कोई भी मृत्युकालिक कथन अभिलेख पर नहीं है । अतः, मृतका के निकट नातेदारों के रूप में दिया गया अन्य साक्षियों का साक्ष्य की संवीक्षा की जानी चाहिए । संवीक्षा किए जाने पर यह प्रतीत होता है कि मृतका के निकट नातेदारों ने, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपने साक्ष्यों में सुधार और विस्तार किए हैं । ऐसे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक पड़ताल किए जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन साक्षियों का साक्ष्य तर्कसम्मत और विश्वसनीय नहीं है । साक्ष्य से यह भी उपदर्शित होता है कि विवाह के समय मृतका ने बी. ए. तक शिक्षा प्राप्त की थी और विवाह के पश्चात् उसने एम. ए. की डिग्री प्राप्त की । साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि यद्यपि मृतका का वैवाहिक जीवन अभिकथित रूप से चार वर्ष रहा है किंतु साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि मृतका अभियुक्त के साथ बहुत ही कम समय रही है और उसने एम. ए. की डिग्री उंझा में अर्थात् अपने मायके में रहकर

प्राप्त की थी और वह अधिकतर अपने मायके में ही रहती थी । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर स्पष्ट रूप से यह उद्भूत होता है कि निकट नातेदारों का साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासप्रद नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विधिक और तथ्यात्मक पहलुओं पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और तथ्यों तथा विधि की दृष्टि से गंभीर त्रुटि कारित की है । विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि के अनुसार कायम रखे जाने योग्य नहीं है । तथापि, इस प्रक्रम पर, यह उल्लेखनीय है कि शेष सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति का निर्णय और आदेश को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी प्रति-अपील फाइल नहीं की गई है । इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय और आदेश, जो कि वर्तमान अभियुक्त से ही संबंधित है, हस्तक्षेप किए जाने तथा अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 30, 31, 32, 33 और 34)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन (एस. सी.) 1628 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 161 : **जतिन्दर कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	13.2
[2017]	(2017) 1 एस. सी. सी. 433 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 74 : **गुरचरन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ;	12.5
[2002]	(2002) 3 जी. एल. एच. 182 : **रमेशचन्द्र सी. सोनी और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य** ।	12.5

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 971.

2002 के सेशन विचारण मामला सं. 260 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 1, अहमदाबाद द्वारा तारीख 25 मई, 2004 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री जे. एम. पांचाल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री जीरगा जवेरी (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति ए. पी. ठाकेर – 2002 के सेशन विचारण मामला सं. 260 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, न्यायालय सं. 1, अहमदाबाद द्वारा तारीख 25 मई, 2004 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त किए जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपीलार्थी (मूल अभियुक्त सं. 1) की ओर से फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है और 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 4,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 3 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है और साथ ही धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास से और 1,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है ।

2. अभियोजन पक्षकथन के सुसंगत तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

2.1 यह अभिकथन किया गया है कि मूल शिकायतकर्ता अमृतलाल माधवलाल पटेल ने तारीख 16 जनवरी, 2001 को दंड संहिता की धारा 306, 498क और 114 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 और 5 के अधीन दंडनीय अपराध अभिकथित रूप से कारित किए जाने के लिए तीन अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत फाइल की जिसमें यह अभिकथन किया गया कि मृतका बीनाबेन की आयु 26 वर्ष थी और उसने स्नातकोत्तर (एम. ए.) की डिग्री प्राप्त कर रखी थी और उसका विवाह वर्तमान अपीलार्थी अर्थात् मूल अभियुक्त सं. 1 के साथ उसके समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार वर्ष 1998 में विवाह हुआ था । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका विवाह के पश्चात् अभियुक्त के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी और इस शिकायत के फाइल किए जाने के दो वर्ष पूर्व वर्तमान अपीलार्थी ने मृतका को अपने

पैतृक गृह से, ट्यूशन सेंटर चलाने हेतु, धन लाने के लिए विवश किया । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका ने धन लाने से इनकार कर दिया था और अपीलार्थी ने मृतका की ओर ध्यान देना बंद कर दिया था । शिकायत में किए गए अभिकथन के अनुसार शिकायतकर्ता मृतका को उसके पैतृक गृह लेकर आया और इसके पश्चात् वहां नातेदार एकत्र हुए और दोनों पक्षकारों के बीच समझौता कराया गया तथा वर्तमान अभियुक्त ने यह आश्वासन दिया कि अब वह मृतका के साथ भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेगा और इसके पश्चात् मृतका को उसके वैवाहिक गृह लाया गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि इस घटना के बाद भी अभियुक्त-अपीलार्थी ने धन की मांग जारी रखी और मृतका के साथ मानसिक क्रूरता कारित करने लगा । शिकायत में किए गए अभिकथन के अनुसार इस शिकायत के फाइल किए जाने के 6 माह पूर्व वर्तमान अपीलार्थी ने पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन किया था और उस संबंध में किसी परीक्षा का आयोजन किया गया था, तब अपीलार्थी ने मृतका से कहा था कि वह अपने माता-पिता से धन लेकर आए और इस कारण मृतका के साथ प्राय: क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था । यह अभिकथन किया गया है कि मृतका को उसकी बड़ी बहिन, जो घाटलोडिया में रहती है और उसके मामा विट्ठलभाई पीतांबरदास जो नव वडाज में रहते हैं, से मिलने नहीं दिया गया । यह भी अभिकथन किया गया है कि मृतका ने ये सभी तथ्य अपने माता-पिता के घर पहुंचकर उन्हें बताए और मृतका ने यह भी बताया कि उसने इस संबंध में अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 से भी शिकायत की थी किंतु उन्होंने मृतका का समर्थन नहीं किया बल्कि उन्होंने अपीलार्थी का ही साथ दिया ।

2.2 यह अभिकथन किया गया है कि तारीख 15 जनवरी, 2001 को शिकायतकर्ता अपने घर पर था और उस समय अर्थात् अपराह्न लगभग 8.00 से 8.30 बजे के बीच शिकायतकर्ता का भतीजा जीतूभाई जोइताराम वहां आया और उसने बताया कि ग्राम में कोई सभा होने जा रही है और उसे बुलाया गया है । यह भी अभिकथन किया गया है कि नातेदार इकट्ठे हुए और उनसे यह पता चला कि अपीलार्थी के भाई राजेश ने शिकायतकर्ता के नातेदार अर्थात् हीराभाई चेलाभाई को टेलीफोन पर

यह जानकारी दी कि मृतका ने फांसी पर लटक कर आत्म-हत्या कर ली है । यह भी अभिकथन किया गया है कि अपराह्न लगभग 9.00 बजे शिकायतकर्ता और अन्य नातेदार किसी निजी वाहन से अभियुक्त के घर गए और वहां अपराह्न लगभग 11.30 बजे पहुंचे और वहां बहुत से व्यक्ति मौजूद थे और वर्तमान अभियुक्त राजेशभाई के भाई तथा अभियुक्त सं. 2 से पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता को यह पता चला कि मृतका ने अपराह्न लगभग 6.30 बजे अपनी साड़ी को छत में लगे हुक से बांधकर फांसी लगाकर आत्म-हत्या कर ली है ।

3. उक्त घटना के आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 306, 498क और 114 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

4. अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस ने अभिकथित अपराधों के लिए संबद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं. 7, अहमदाबाद के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया और चूंकि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध एकमात्र रूप से सेशन न्यायालय द्‌वारा विचारणीय है, इसलिए विद्‌वान् मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 के अधीन सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया और उस न्यायालय ने इस मामले को सेशन मामला सं. 260/2002 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

5. अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्‌वारा उपरोक्त अपराध के लिए आरोप (प्रदर्श-2) विरचित किया गया । अभियुक्तों द्‌वारा इस आरोप से इनकार किया गया और विचारण किए जाने का अभिवाक् किया गया ।

6. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए निम्न साक्षियों की परीक्षा कराई :–

अभि. सा. 1	अमृतभाई माधवलाल पटेल	प्रदर्श-10
अभि. सा. 2	पालीबेन अमृतभाई	प्रदर्श-13

अभि. सा. 3	विठ्ठलभाई पीतांबरदास पटेल	प्रदर्श-14
अभि. सा. 4	नीमेशकुमार पुरुषोत्तमदास पटेल	प्रदर्श-15
अभि. सा. 5	डा. जयन्तीभाई वी. सतपारा	प्रदर्श-23
अभि. सा. 6	रमेशभाई रणछोड़भाई पटेल	प्रदर्श-25
अभि. सा. 7	बाबूभाई मोहनलाल जसानी	प्रदर्श-26
अभि. सा. 8	तलाजी प्रतापजी वघेला	प्रदर्श-27
अभि. सा. 9	रफीकुद्दीन अमीरुद्दीन कादरी	प्रदर्श-28

7. अभियोजन पक्ष ने निम्न दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है :-

क्र. सं.	विशिष्टियां	प्रदर्श
1	शिकायत	11
2	मृत्यु-समीक्षा पंचनामा	16
3	मृतका के वस्त्रों की बरामदगी का पंचनामा	17
4	न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजने हेतु नोट	18
5	न्यायिक प्रयोगशाला को भेजने हेतु पत्र	19
6	न्यायालयिक प्रयोगशाला की रसीद	120
7	न्यायालय प्रयोगशाला के सीरमविज्ञानी की रिपोर्ट	21
8	न्यायालयिक प्रयोगशाला की राय	22
9	शवपरीक्षण नोट	24
10	चार्ज एक्जीक्यूटिव की रिपोर्ट	29

8. साक्षियों की परीक्षा किए जाने की प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए जिसमें उन्होंने कोई भी अपराध कारित किए जाने से इनकार करते हुए यह कथन किया है कि उन्होंने मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार कभी नहीं किया और उन्होंने किसी भी प्रक्रम पर मृतका से किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की थी । अभियुक्तों ने यह भी कथन किया है कि उन्हें अभिकथित अपराध में मिथ्या फंसाया गया है ।

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और दोनों ओर के पक्षकारों की सुनने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 को उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया तथा अभियुक्त सं. 1 अर्थात् इस मामले में के अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए ऊपर निर्दिष्ट रूप में निर्णय और दंडादेश पारित किया ।

10. विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री जे. एम. पांचाल और श्री के. जे. पांचाल तथा प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री जीरगा जवेरी की विस्तारपूर्वक सुनवाई की गई है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा उद्धृत किए गए विनिश्चयों का परिशीलन किया गया है ।

12. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने यह दलील दी है कि राज्य में अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 अर्थात् मृतका के श्वसुर और सास की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की है जबकि अभियुक्त सं. 2 और 3 को उन्हीं आरोपों से दोषमुक्त किया गया है जो अभिलेख पर उपलब्ध उसी साक्ष्य के आधार पर विरचित किए गए थे जिस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सं. 1 को दोषसिद्ध किया गया है जबकि उसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और दंडादिष्ट नहीं किया जाना चाहिए था । अभियुक्त के

विरुद्ध विरचित आरोप की ओर ध्यान दिलाते हुए विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने यह निवेदन किया है कि दहेज की किसी भी विशिष्ट मांग किए जाने का उल्लेख आरोप में नहीं किया गया है और इस संबंध में किसी तारीख का भी उल्लेख नहीं है और जहां तक मानसिक क्रूरता कारित किए जाने का संबंध है, कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है और इस प्रकार लगाया गया ऐसा आरोप त्रुटिपूर्ण माना जाएगा । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि मृतका के साथ शारीरिक क्रूरता कारित किए जाने का कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य निर्दिष्ट करते हुए अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी है कि धन की अभिकथित मांग इस घटना के छह माह पूर्व की गई थी और इस प्रकार आत्म-हत्या और धन की मांग के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता । विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि धन की मांग को लेकर शिकायत में किया गया अभिकथन इस आधार पर है कि अभियुक्त ने पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन किया था और उसे धन की आवश्यकता थी किंतु मुख्य प्रश्न यह सामने आता है कि क्या वास्तव में अभियुक्त ने पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन किया था या नहीं ।

12.1 प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने यह दलील दी है कि ऐसे साक्षियों का आचरण विश्वसनीय और विश्वासप्रद नहीं है जो मृतका के निकट नातेदार हैं । विद्वान् काउंसेल के अनुसार इस मामले में के अपीलार्थी अर्थात् अभियुक्त सं. 1 के भाई ने जैसे ही शिकायतकर्ता को इस घटना के बारे में सूचित किया और वे घटनास्थल के निकट पहुंचे ही थे कि पुलिस वहां मौजूद थी और फिर भी शिकायतकर्ता ने तत्काल शिकायत दर्ज नहीं कराई और मृतका का शव अपने घर ले आए । विद्वान् काउंसेल यह भी निवेदन किया है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका ने वैवाहिक जीवन के दौरान एम. ए. की परीक्षा पूरी कर ली थी । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त बी. ए. पास है जबकि मृतका एम. ए. पास है और यह परीक्षा भी मृतका ने अपने विवाह के पश्चात् पूरी की है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध

साक्ष्य के अनुसार वर्तमान अपीलार्थी और मृतका सास और श्वसुर से अलग रहते थे ।

12.2 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-11) को निर्दिष्ट करते हुए अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने यह निवेदन किया है कि मृतका के साथ शारीरिक क्रूरता कारित किए जाने या उसे तंग किए जाने का कोई भी अभिकथन नहीं दिया गया है । मृतका की माता के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि चूंकि मृतका को उसके मायके नहीं जाने दिया गया था इसलिए यह घटना घटित हुई है । मृतका की माता के साक्ष्य का परिशीलन करते हुए विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कितने धन की मांग की गई थी और यहां तक कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अभिकथन भी नहीं किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि मृतका अपने वैवाहिक गृह में डेढ़ महीने रही थी और जब वह अपने मायके में थी तब उसने अपनी एम. ए. की परीक्षा पूरी की थी । उन्होंने यह भी दलील दी है कि दोनों पक्षकारों का विवाह केवल दो वर्ष तक ही रहा । उन्होंने यह भी दलील दी है कि मृतका की माता का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ।

12.3 विट्ठलभाई पीतांबर दास पटेल (अभि. सा. 3) के साक्ष्य को प्रदर्श-14 से निर्दिष्ट करते हुए विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने यह दलील दी है कि अभिकथन इस संबंध में किया गया है कि मृतका को इस साक्षी के घर जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, किंतु मृतका पर उसके कहीं भी जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था क्योंकि मृतका अपने मायके में अपना अध्ययन कार्य पूरा कर चुकी थी । विद्वान् काउंसेल सभी साक्षियों के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष के इस अभिकथन को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई भी तर्कसम्मत, विश्वसनीय और सुसंगत साक्ष्य नहीं है कि मृतका के साथ अपीलार्थी द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार या उसे तंग किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप मृतका ने आत्महत्या की ।

12.4 विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने यह दलील दी है कि

अभियोजन पक्षकथन के अनुसार, चूंकि अभियुक्त को ट्यूशन पाठशाला से अधिक आय नहीं थी और उसे पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन करने हेतु धन की आवश्यकता थी, इसलिए मृतका को उसके मामा के घर जाने और अहमदाबाद में उसकी बहिन के यहां जाने पर रोक लगाना तथा उसे अपने मायके जाने पर भी रोक लगाने को अभियोजन पक्ष द्वारा क्रूरता के रूप में माना गया है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार इन सभी तथ्यों को दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अर्थान्तर्गत क्रूरता नहीं माना जा सकता । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विवाह के समय मृतका के पास बी. ए. की डिग्री थी और अभियुक्त के परिजनों ने उसे विवाह के पश्चात् एम. ए. की डिग्री पूर्ण करने के लिए अनुध्यात किया । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभिलेख से यह उपदर्शित होता है कि मृतका पर उसके मायके जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था । उन्होंने यह भी दलील दी है कि साक्षियों ने न्यायालय में दिए गए अपने साक्ष्य में सुधार करते हुए अतिरिक्त तथ्यों का भी उल्लेख किया है जिसे पुलिस साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार सभी साक्षी मृतका के निकट नातेदार हैं और वे हितबद्ध साक्षी हैं और उनका साक्ष्य एक-दूसरे का विरोधाभासी है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि साक्षियों का मात्र उद्देश्य अभियुक्त को अभिकथित अपराध में आलिप्त करना प्रतीत होता है । विद्वान् काउंसेल के अनुसार जब क्रूरता के संघटक के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासप्रद नहीं हैं, इसलिए विधि की दृष्टि से इस आधार पर कोई भी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन सही परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है और इसमें हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है और विचारण न्यायालय का निर्णय अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए तथा वर्तमान अपीलार्थी को उस पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

12.5 विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने निम्न विनिश्चयों का अवलंब लिया है :-

(1) **रमेशचन्द्र सी. सोनी और अन्य** बनाम **गुजरात राज्य**[1]

(2) **गुरचरन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] ।

13. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री जीरगा जवेरी ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था और उसे वर्तमान अपीलार्थी ने आत्महत्या करने के लिए विवश किया । मृतका के पिता और अन्य नातेदारों के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री जवेरी ने यह दलील दी है कि शिकायतकर्ता से धन की मांग किए जाने के संबंध में विशिष्ट रूप से उल्लेख है और मृतका के साथ शारीरिक क्रूरता कारित किए जाने के संबंध में भी विशेष वर्णन है । सुश्री जीरगा ने यह दलील दी है कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में प्रत्येक तथ्य का उल्लेख किया जाए । उन्होंने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्काल फाइल की गई है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि मृतका का विवाह वर्ष 1996 में हुआ था और वर्तमान घटना वर्ष 2001 में घटित हुई है । इस प्रकार, मृतका के वैवाहिक जीवन की अवधि केवल 4 वर्ष है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था, अत: यह माना जा सकता है कि वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतका के साथ क्रूरता कारित की है और उसे तंग किया है । सुश्री जीरगा ने यह भी दलील दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113क के अधीन उपधारणा लागू होती है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि मुश्किल से ही कोई व्यक्ति यह जान सकता है कि पति-पत्नी जहां निवास करते हैं उनके बीच क्या चल रहा है । सुश्री जवेरी ने यह भी दलील दी है कि अभियुक्त की ओर से उसकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि मृतका के माता-पिता ने पहले ही मृतका

---

[1] (2002) 3 जी. एल. एच. 182.

[2] (2017) 1 एस. सी. सी. 433 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 74.

के साथ की गई क्रूरता के संबंध में अभिसाक्ष्य दे दिया है और माता-पिता तथा नातेदारों को इस संबंध में सूचना दी गई थी । सुश्री जवेरी ने यह भी दलील दी है कि मृतका की मृत्यु के कुछ पूर्व उसके साथ क्रूरता कारित की गई थी ।

13.1 विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री जवेरी ने यह दलील दी है कि स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है और यदि साक्षियों के साक्ष्य में छोटे-मोटे विरोधाभास हैं, तब ऐसी कमियों को अनदेखा किया जा सकता है । सुश्री जवेरी के अनुसार साक्षियों द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य को अभिलिखित किए हुए लंबा समय बीत चुका है, अत: यह संभव है कि साक्षियों के साक्ष्य में कुछ फर्क आ सकता है । ऐसे फर्क को अनदेखा किया जा सकता है और केवल अभिलेख पर उपलब्ध उस तथ्य पर विचार करना होगा जिसके आधार पर क्रूरता विनिश्चित की जा सके । सुश्री जवेरी ने यह भी दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने और उस पर दंड अधिरोपित करने में तथ्यों या विधि की दृष्टि से कोई भी त्रुटि नहीं की है । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त सं. 2 और अभियुक्त सं. 3 की दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा कोई भी अपील फाइल नहीं की गई है ।

13.2 विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री जवेरी ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत किए गए विनिश्चय वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होते हैं । **जतिन्दर कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में किए गए विनिश्चय का अवलंब लेते हुए सुश्री जवेरी ने यह दलील दी है कि जहां तक वर्तमान अभियुक्त का संबंध है, यह अपील खारिज की जाए और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाए ।

14. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पांचाल ने इसके प्रत्युत्तर में यह दलील दी कि अभिलेख पर साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासप्रद नहीं हैं और वर्तमान अभियुक्त को अपराध से संबद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है । उन्होंने यह दलील दी है कि विद्वान् अपर लोक

---

[1] (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन (एस. सी.) 1628 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 161.

अभियोजक द्वारा उपरोक्त विनिश्चय का लिया गया अवलंब वर्तमान मामले के तथ्यों को लागू नहीं होगा ।

15. बहुत-से विनिश्चयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने, पुनर्मूल्यांकन करने तथा पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है जिसके आधार पर दोषमुक्ति की गई है । तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा की जाती है । पहली उपधारणा दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के अधीन उसके निर्दोष होने के संबंध में है कि प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे विधि के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए । दूसरी उपधारणा यह है कि अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है जिससे उसके निर्दोष होने की उपधारणा और प्रबलित हो जाती है ।

16. इसके अतिरिक्त यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हों तब अपील न्यायालय को चाहिए कि वह विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप न करे । इसके अतिरिक्त, दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई अपील में शक्ति का प्रयोग करते समय अपील न्यायालय को उस आदेश में आम तौर पर हस्तक्षेप तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि निचले न्यायालय का निर्णय किसी स्पष्ट अवैधता से दूषित न हो और वह निर्णय ऐसा निर्णय हो जो किसी भी युक्तियुक्त व्यक्ति द्वारा न दिया जा सकता हो, अत: निचले न्यायालय के ऐसे विनिश्चय को अनुचित विनिश्चय कहा जाना चाहिए ।

17. मात्र इस कारण से कि दो मत संभव हैं, अपील न्यायालय को निचले न्यायालय ऐसे मत का चुनाव नहीं करना चाहिए जिससे निचले न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय अभिखंडित हो जाए । तथापि, यदि अपील न्यायालय का यह मत है कि निचले न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अनुचित है और उसने विधि की दृष्टि से स्पष्ट त्रुटि कारित की है तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा किया है, तब अपील न्यायालय को साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की शक्ति

प्राप्त है । इन परिस्थितियों में, अपील न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर उचित विनिश्चय देने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अभियुक्त आरोपित अपराध कारित किए जाने से संबद्ध है या नहीं ।

18. **रमेशचन्द्र सी. सोनी** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा 15 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :-

> "15. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री पांचाल ने यह दलील दी है कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इन सभी साक्षियों का मृतका के साथ निकट संबंध है, इसलिए वे इस बात के लिए चिंतित हैं कि अभियुक्त को किसी न किसी प्रकार दंडित किया जाए और इस कारण उनके साक्ष्य को बिना सोचे-समझे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इस साक्ष्य को स्वीकार करने से पूर्व कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए । मैं अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता कारित किए जाने और उसे तंग किए जाने के पहलू को साबित करने के लिए श्री पांचाल द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार करने के लिए आनत हूं कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए साक्षी मृतका के माता-पिता, भाई और निकट नातेदार हैं । यह स्वाभाविक है कि इन साक्षियों के परिवार के प्रिय सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, इसलिए वे अभियुक्तों को मृतका की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे और प्रतिशोध की भावना इन साक्षियों को बड़ा-चढ़ाकर साक्ष्य देने के लिए आतुर करेगी और अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने हेतु उनके विरुद्ध मिथ्या अभिकथन देने के लिए भी विवश करेगी । जैसाकि भिन्न-भिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए विनिश्चयों में व्यक्त किया गया है आहत के निकट नातेदारों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे किसी भी प्रकार अभियुक्त की दोषसिद्धि कराने का प्रयास करते हैं जिसके लिए वे अभियोजन पक्ष का समर्थन करते-करते सच्चाई से पूर्णतया विचलित हो जाते हैं । श्री पांचाल ने अपनी उपरोक्त दलील के समर्थन में शरद **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, ए. आई. आर. 1984 एस.

सी. 1622 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उद्धृत किया है । विद्वान् काउंसेल ने मेरा ध्यान निर्णय के सुसंगत भाग की ओर दिलाया है जो निम्न प्रकार है –

> 44. साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने के पूर्व हमें उन प्राथमिक बातों का भी उल्लेख करना चाहिए जिनके आधार पर मौखिक कथनों पर विचार किया जाना है । वे सभी व्यक्ति मृतक के मित्र और निकट नातेदार हैं जिनको मंजू ने अपना मौखिक कथन उस समय दिया था जब वह पहली बार बीड़ गई थी । निकट नातेदारी और प्रेम-भाव को दृष्टिगत करते हुए कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देते समय आम तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर कथन देता है और उन तथ्यों का भी उल्लेख कर जाता है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताए गए हैं । ऐसा जान-बूझकर नहीं किया जाता बल्कि मृतक से प्रेम और स्नेह के आधार पर हत्यारे से मानसिक रूप से घृणा हो जाती है अतः न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर कड़ी सावधानी के साथ विचार करना होता है । यदि साक्षी सच्चाई के किसी अंश का उल्लेख करें या पूरी सच्चाई बताएं, दोनों ही परिस्थितियों में यह पाया जाता है कि ऐसे साक्षी अपराधी को दंड दिलाने के उद्देश्य से तथ्यों का बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख कर बैठते हैं जिन्हें बताने के लिए उनसे कहा भी नहीं गया है । यह मानव प्रकृति है और कोई भी इससे बच नहीं सकता । उपरोक्त मताभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन साक्षियों विशेषकर रमेश और भावनाबेन के साक्ष्य से प्रतिशोध की भावना दर्शित होती है और इसलिए ऐसे साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।"

19. **गुरचरन सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 26 से पैरा 31 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है :–

"26. यद्यपि वर्तमान मामले के प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण का प्रथम अवयव अभियुक्त का जान-बूझकर किए गए कृत्य का साबित होना है जिसके परिणामस्वरूप महिला को आत्महत्या करने

या गंभीर क्षति सहन करने या अपने जीवन, शरीर के किसी अंग या अपने शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए विवश होना पड़े और यह आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध क्रूरता का अपराध गठित किए जाने के लिए आवश्यक है ।

27. दंड संहिता की धारा 306 का उद्देश्य और तात्पर्य इस न्यायालय द्वारा रणधीर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(2004) 13 एस. सी. सी. 129 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 5097] वाले मामले में स्पष्ट किया गया है जिसका सुसंगत भाग निम्न प्रकार है –

> 12. दुष्प्रेरण किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए उकसाने की मानसिक प्रक्रिया है जिसे वह व्यक्ति करना चाहता है । षड्यंत्र के मामलों में भी ऐसी ही मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है । किसी कार्य के किए जाने के लिए सक्रिय रूप से उकसाने का कृत्य दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के रूप में दुष्प्रेरण कहा जा सकता है ।
>
> 13. पश्चिमी बंगाल राज्य **बनाम** ओरीलाल जयसवाल [(1994) 1 एस. सी. सी. 73 = ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1418] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कि क्या आहत को आत्महत्या द्वारा अपने जीवन का अंत करने के लिए उसके साथ क्रूरता करते हुए उकसाया गया था या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचारण के दौरान सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए । यदि न्यायालय को यह आभास होता है कि आहत जिसने आत्महत्या की है, परिवार में होने वाले सामान्य मतभेदों को लेकर भी अत्यंत भावुक और संवेदनशील है और ऐसे मतभेदों के संबंध में यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती है कि कोई आत्महत्या कर ले, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय के अंत:करण से यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि अभियुक्त आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है ।”

28. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय ने **ओरीलाल जयसवाल** (उपरोक्त) वाले मामले को निर्दिष्ट करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि न्यायालय को यह पता लगाने के लिए कि क्या आहत के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाने के स्वरूप उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया है या नहीं, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के लिए कड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आत्महत्या करने वाली महिला सामान्य परिस्थितियों में होने वाले घरेलू मतभेदों को लेकर अत्यंत संवेदनशीलन और भावुक तो नहीं हैं और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का ऐसा कदम नहीं उठा सकता तब अभियुक्त को दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है । न्यायालय का उपरोक्त मत अमलेन्दु पाल **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य [(2010) 1 एस. सी. सी. 707 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 512] वाले मामले में भी दोहराया गया है ।

29. विधानमंडल का आशय यह है कि किसी व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध करने के लिए अपराध कारित करने से संबंधित अभियुक्त की आपराधिक मन:स्थिति स्पष्ट रूप से साबित की जानी चाहिएं और यह कि अभियुक्त द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने हेतु सक्रिय और प्रत्यक्ष कृत्य किया जाना चाहिए और मृतक के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहना चाहिए और इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा एस. एस. छीना **बनाम** विजय कुमार महाजन [(2010) 12 एस. सी. सी. 190 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. डब्ल्यू. 4938] वाले मामले में व्यक्त किया गया है ।

30. पिनाकिन महीपात्रे रावल **बनाम** गुजरात राज्य [(2013) 10 एस. सी. सी. 148 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 331] वाले मामले में इस न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113क को निर्दिष्ट करते हुए यह मत व्यक्त किया कि विवाहित महिला के साथ पति या उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर दुर्व्यवहार किए जाने या उसे आत्महत्या के लिए

उकसाने के कृत्य को रोकने के लिए अपराध विधि में संशोधन किए गए हैं और इस बात पर बल दिया गया है कि अभियोजन पक्ष को उन सभी परिस्थितियों को साबित करने का भार वहन करना होगा जिनके आधार पर उकसाने का कृत्य किया गया है । अभियोजन पक्ष को संदेह के परे यह सिद्ध करना होगा कि मृतका ने दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोपित व्यक्ति द्वारा दुष्प्रेरित किए जाने पर आत्महत्या की है ।

31. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमारी सुविचारित राय में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आकलन से अपीलार्थी या मृतका सुरजीत कौर के ससुरालवालों की अपराध में भूमिका को लेकर विश्वास जागृत नहीं होता है और दंड संहिता की धारा 306 के अधीन उनकी अपराधिता के विरुद्ध अकाट्य निष्कर्ष निकलता है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से दूर-दूर तक यह साबित नहीं होता है कि मृतका के साथ ऐसी क्रूरता की गई थी, उसे इस प्रकार तंग या प्रपीड़ित किया गया था कि उसे अपने जीवन का अंत करने के सिवाय कोई विकल्प दिखाई नहीं दिया । अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों का आचरण ऐसा नहीं है जिससे प्रकोपित अपराधिता झलकती हो या उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतका सुरजीत कौर और उसकी पुत्रियों को ऐसी मानसिक और शारीरिक यातना देने वाली स्थिति में धकेला गया था कि उन्हें असहनीय परिस्थिति से बचने के लिए अपने जीवन का अंत करने का विकल्प चुनना पड़ा ।"

20. **जतिन्दर कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 7 और 8 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत व्यक्त किया गया है :-

"7. उस निर्णय में न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से यह प्रतिबिम्बित होता है कि वित्तीय सहायता मांगने से दहेज की मांग गठित नहीं होती है और यह मत राजिन्दर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य, [(2015) 6 एस. सी. सी. 477 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 1359] वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा पारित किए गए पश्चात्वर्ती निर्णय द्वारा खारिज

किया गया । **अप्पासाहेब** (उपरोक्त) वाले मामले और अन्य निर्णय विधि पर **राजिन्दर सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में विचार करने पर निम्न मत व्यक्त किया गया –

"20. जिस कानून पर हम विचार कर रहे हैं वह निष्पक्ष, व्यावहारिक और प्रज्ञावान होना चाहिए ताकि संसद का उद्देश्य पूरा हो सके, हम यह महसूस करते हैं कि अप्पा साहेब वाले मामले में, जिसका अनुसरण विपिन जयसवाल मामले में किया गया था, विधि का उचित उल्लेख नहीं किया गया है । अत: हम यह घोषणा करते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके पश्चात् मांग किया गया कोई भी ऐसा धन या संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जिसका संबंध विवाहित महिला की मृत्यु के साथ हो, आवश्यक रूप से विवाह से संबंधित ही मानी जाएगी जब तक कि इसके अन्यथा साबित करने के लिए स्पष्ट और अकाट्य तथ्य न हों ।"

8. **राजिन्दर** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "कुछ पूर्व" अभिव्यक्ति का अर्थ "तत्काल पूर्व" नहीं होना चाहिए । इस बिन्दु पर तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने निम्न मत व्यक्त किया है –

> "23. इन दोनों विनिश्चयों में जो कहा गया है हम उसका अनुमोदन करते हैं । दिनों और महीनों पर विचार नहीं करना चाहिए । हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि "कुछ पूर्व" अभिव्यक्ति का अर्थ "तत्काल पूर्व" नहीं होता है । उस निष्पक्ष और व्यावहारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है, दंड संहिता की धारा 304ख अधिनियमित की गई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अभिव्यक्ति एक अपेक्षित अभिव्यक्ति है । प्रत्येक मामले में "कुछ पूर्व" की अवधि अलग-अलग होती है । आवश्यक यह है कि दहेज की मांग का सीधा संबंध दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन विवाहित महिला की मृत्यु के साथ होना चाहिए ।"

21. अमृतभाई माधवलाल पटेल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य (प्रदर्श-10) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बीनाबेन उसकी पुत्री थी और उसने अपनी पुत्री का विवाह वर्तमान अभियुक्त के साथ वर्ष 1998 में किया था । इस साक्षी के अनुसार, उसकी पुत्री ने एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त की । इस घटना के संबंध में इस साक्षी का यह कथन है कि तारीख 15 जनवरी, 2001 को अपराह्न लगभग 8.30 बजे से 9.00 बजे के बीच जब वह अपने घर पर था, तब जीतेन्द्र नाम का एक लड़का वहां आया और उससे कहा कि कम्युनिटी की मीटिंग हुई थी, अतः उस समय एक जीप यात्रा पर जाने के लिए तैयार थी और वह उस जीप से यात्रा के लिए रवाना हो गया और यात्रा के दौरान उसे अहमदाबाद से यह संदेश प्राप्त हुआ कि उसकी पुत्री बीनाबेन ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली है । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि वह अपनी पुत्री के निवास पर गया और वहां रात्रि में पहुंचा और उसने देखा कि वहां उसकी पुत्री का श्वसुर, देवर और बहुत-से अन्य व्यक्ति जमा थे और तभी मृतका के श्वसुर ने उसे बताया कि मृतका बीनाबेन ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली है और यह घटना अपराह्न 6.00 बजे के पूर्व घटित हुई है । इस साक्षी के अनुसार वह गंभीर रूप से हताश हो गया और अपनी पुत्री का शव नहीं देख सका और शव को शवपरीक्षण के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने अपने नातेदार से यह कहा था कि वह भरतभाई और सतीशभाई जो राबड़ी कालोनी, अहमदाबाद के निवासी थे, को सूचित कर दे और इसके पश्चात् वह दोबारा सिविल अस्पताल गया और मृतका का शव प्राप्त किया और वहां से वे मृतका की ससुराल चले गए और इसके पश्चात् इस साक्षी ने अभियुक्तों के विरुद्ध शिकायत फाइल की ।

21.1 इस साक्षी ने यह कथन किया है कि इस घटना से ढाई वर्ष पूर्व मृतका का विवाह हुआ था और वह अपने पति और सास-श्वसुर के साथ अहमदाबाद में रहती थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका अपने मायके आया करती थी और उसका पति ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था और उसे धन की आवश्यकता थी, अतः अभियुक्त ने मृतका से अपने माता-पिता से धन लाने की मांग की । इस साक्षी ने यह कथन

किया है कि उक्त रकम का संदाय न किए जाने के कारण ससुराल वाले मृतका के साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि बीनाबेन अपने मायके आई और उन्होंने मृतका से अपने वैवाहिक गृह जाने को कहा और मृतका वहां चली गई, इसके पश्चात् एक मास बीत जाने पर अभियुक्त ने मृतका से धन मांगना और उसके साथ अनुचित व्यवहार करना आरंभ कर दिया, अत: वह वापस अपने मायके आ गई और कुछ दिन अपने मायके में ही रही । इस साक्षी के अनुसार, उन्होंने पक्षकारों के बीच मामला निपटाने का प्रयास किया और वे उंझा में इक्टठे हुए और वर्तमान अभियुक्त तथा उसके परिवार के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि वे मृतका को तंग नहीं करेंगे और वे उसे मृतका के वैवाहिक गृह पर ले आए । लगभग 15 दिन या एक महीने पश्चात् अभियुक्त द्वारा धन की मांग की गई और इनकार किए जाने पर अभियुक्त मृतका को मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करने लगा और उसे किसी भी प्रकार अपने माता-पिता से धन लाने के लिए विवश करने लगा । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी मृतका के साथ पति जैसा व्यवहार नहीं करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि इस तथ्य के बारे में जानकारी उसे उसकी पत्नी द्वारा प्राप्त हुई है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा क्रूरता कारित किए जाने के परिणामस्वरूप बीनाबेन ने आत्महत्या की है ।

21.2 शिकायतकर्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त मृतका को उसकी बड़ी बहिन और उसके मामा के घर जाने नहीं देते थे । इस साक्षी के अनुसार इस घटना के छह मास पूर्व अभियुक्त पति ने पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन किया था और उस समय उसने धन की मांग की थी और मृतका को शारीरिक रूप से तंग भी किया है जिसके कारण उसने आत्महत्या की है ।

21.3 प्रतिपरीक्षा के दौरान यह उपदर्शित होता है कि मृतका को उसकी बड़ी बहिन और उसके मामा के यहां जाने की अनुमति न दिए जाने के तथ्य का उल्लेख इस साक्षी द्वारा उसके पूर्ववर्ती कथन में नहीं किया गया है, अत: इस साक्षी के साक्ष्य में यह एक सुधार है । इतना ही नहीं इस तथ्य का उल्लेख भी इस साक्षी द्वारा उसके पूर्ववर्ती कथन

में नहीं किया गया है कि किसी भी कीमत पर वह अपने माता-पिता से अभियुक्त के लिए धन लेकर आए । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह भी प्रतीत होता है कि मृतका की सगाई उसके विवाह के 2 वर्ष पूर्व हुई थी और विवाह उसके कुटुम्ब के रीति-रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था जिसमें पक्षकारों के बीच दहेज का आदान-प्रदान हुआ था । प्रतिपरीक्षा से यह भी उपदर्शित होता है कि विवाह के पश्चात् मृतका अपनी ससुराल में केवल 8 दिन रही और इसके पश्चात् वह 6 मास तक उनावा अर्थात् अपने मायके में रही और उस समय मृतका का पति उससे मिलने आया करता था । उसने यह कथन किया है कि वह अभियुक्त से भी मिला था और उसने बी.ए. तक पढ़ाई की थी जबकि उसकी पुत्री ने विवाह के पश्चात् एम.ए. की डिग्री प्राप्त की है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतका प्राय: अपने मायके आया करती थी और यह साक्षी यह नहीं बता सका कि मृतका अपनी ससुराल में कितना रही । पहले तो इस साक्षी ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई कि अभियुक्त ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता था या नहीं, तथापि, अगले क्षण उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने ट्यूशन पढ़ाने की व्यवस्था की हुई थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि दोनों पक्षकार वर्तमान घटना से डेढ़ वर्ष पूर्व उंझा में मिले थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब घर परिवार के सदस्यों की बैठक उंझा में हुई थी, तब मृतका ने क्रूरता के संबंध में नहीं बताया था और उस समय पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था और पक्षकारों के बीच लिखित में कोई भी समझौता करार निष्पादित नहीं किया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह जब कभी इलाहाबाद आया करता था, वह मृतका के घर मिलने जाया करता था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि विवाह के पश्चात् दामाद 2-3 बार उसके घर आया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब भी दामाद उसके घर आता था, मृतका उसके साथ उसके घर आया करती थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने कहीं भी यह शिकायत नहीं की है कि ट्यूशन की पाठशाला चलाने के लिए दामाद ने धन की मांग की थी । इस साक्षी ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई है कि उसके दामाद ने पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन किया था या नहीं ।

21.4 इस साक्षी के संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत

होता है कि जो कुछ उसने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है वह अनुश्रुत प्रकृति का है और धन की मांग तथा मृतका को उसकी बड़ी बहिन तथा मामा के घर जाने की अनुमति न दिए जाने के संबंध में दिया गया साक्ष्य, कथन में एक सुधार है ।

22. मृतका की माता पालीबेन अमृतभाई (अभि. सा. 2) के साक्ष्य (प्रदर्श-13) का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से मृतका और वर्तमान अभियुक्त के बीच हुए विवाह के तथ्य का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि “आना” जैसी रसम के पूरा होने के पश्चात् मृतका अभियुक्त के साथ खोखरा, अहमदाबाद में रहने लगी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतका के विवाह के 4 वर्ष पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई और इन चार वर्षों के दौरान अभियुक्त अपनी ससुराल नहीं गया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है और इसके लिए उसने मृतका से धन की मांग की थी जिसके लिए अभियुक्त ने मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित की और मृतका इस संबंध में अपने माता-पिता को बताया करती थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियुक्त उससे यह कहा करता था कि यदि मृतका धन नहीं लाई तो उनके बीच अच्छे संबंध नहीं रहेंगे । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि परिवार के सदस्यों और नातेदारों की बैठक उंझा में हुई थी और उस बैठक में पक्षकारों के बीच समझौता हो गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसके दामाद ने पी.एस.आई. के पद के लिए आवेदन किया था और उस समय उसने मृतका को विवश किया था कि वह अपने माता-पिता से एक-डेढ़ लाख रुपए लेकर आए और अभियुक्त ने उससे यह कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसका मृतका के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मृतका अपने मायके आई और उसने उसे यह सब बताया किंतु मृतका के माता-पिता के पास पर्याप्त धन नहीं था, अत: उन्होंने धन का संदाय नहीं किया और इसके पश्चात् मृतका बिना धन लिए अपनी ससुराल चली गई और इसके पश्चात् एक मास पूरा होने पर, वर्तमान घटना घटित हुई । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना के अगले दिन उसे उसके

पति द्वारा घटना की जानकारी मिली । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवाह के 6 मास पश्चात् "आना" की रसम पूरी की गई । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरंभ के प्रक्रम पर मृतका ने बी.ए. तक ही पढ़ाई की थी और उसने एम.ए. की डिग्री विवाह के पश्चात् प्राप्त की थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब वर्तमान अभियुक्त ने ट्यूशन पढ़ाने का कार्य आरंभ किया था, तब उसने मृतका से धन की मांग की थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि विवाह के समय उसके दामाद ने बी.ए. तक पढ़ाई की थी । इस साक्षी ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता दर्शाई है कि उसका दामाद पी.एस.आई. की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था या नहीं । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब कभी मृतका अपने मायके आया करती थी वह केवल धन की मांग किए जाने के बारे में ही बताया करती थी और अन्य कोई बात नहीं करती थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उन्होंने अपने दामाद को कोई धन नहीं दिया है । इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त ग्राम उनावा का मूल निवासी है और मृतका के सास-श्वसुर उनावा में ही रहते हैं । पुलिस साक्षियों सहित इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने अपने कथन में यह सुधार किया है कि अभियुक्त ने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया है और उसने मृतका से यह कहा था कि यदि धन नहीं दिया गया तो उनके बीच संबंध अच्छे नहीं रहेंगे ।

23. मृतका के मामा विट्ठलभाई पीतांबरदास पटेल (अभि. सा. 3) के साक्ष्य (प्रदर्श-14) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने उपरोक्त दोनों साक्षियों जैसा ही साक्ष्य दिया है और यह कथन किया है कि मृतका कभी-कभी उसके घर आया करती थी और यह कि वह आर्थिक रूप से परेशान थी, अत: वर्तमान अभियुक्त ने उस समय धन की मांग की थी, वह मृतका को समझा दिया करता था और इस प्रकार मृतका अपनी ससुराल चली जाया करती थी । उसने यह कथन किया है कि घटना के दिन सतीशभाई ने उसे यह बताया था कि मृतका ने आत्महत्या कर ली है ।

23.1 इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है

कि वह मृतका की शवपरीक्षा हो जाने पर वहां मौजूद था । इस साक्षी ने भी कथन किया है कि संभवत: उस समय पुलिस वहां आई तो थी किंतु उसने पुलिस से कोई भी बातचीत नहीं की । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इस संबंध में शिकायत उसके जीजा द्‌वारा की गई थी किंतु पुलिस ने उनके वृत्तांत के अनुसार तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, इस साक्षी के अनुसार, पुलिस ने पक्षकारों के बीच विवाद निपटाने की सलाह दी थी किंतु वे इसके लिए सहमत नहीं हुए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतका अपने विवाह के पश्चात् उसके घर आया करती थी और इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त भी मृतका के साथ उसके घर आया करता था । इस साक्षी ने पुलिस के विरुद्ध अभिकथन किया है । तथापि, शिकायतकर्ता द्‌वारा यह नहीं बताया गया है कि वर्तमान साक्षी किसके साथ संबद्ध पुलिस थाने गया था ।

23.2 इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि माता-पिता द्‌वारा की गई यह शिकायत कि मृतका को इस साक्षी के घर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, अभिखंडित हो जाती है । वर्तमान साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका और अभियुक्त उसके घर गए थे और दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में मृतका द्‌वारा कोई भी शिकायत नहीं की गई है ।

24. नीमेशकुमार पुरुषोत्तमदास पटेल (अभि. सा. 4) के साक्ष्य (प्रदर्श-15) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि सुसंगत समय पर वह विसनगर नागरिक बैंक में लिपिक के रूप में कार्यरत था और उसका विवाह उनावा में हुआ था और उसकी पत्नी का नाम भावनाबेन है और मृतका उसकी साली है । इस साक्षी के अनुसार मृतका बीनाबेन का विवाह वर्ष 1997-98 में अभियुक्त के साथ हुआ था । उस समय अभियुक्त खोखरा, अहमदाबाद में रहता था और मृतका ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था । इस साक्षी के अनुसार बीनाबेन उनके घर आया करती थी जहां वह बताया करती थी कि उसका पति उससे ठीक प्रकार बात नहीं करता है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पंचायत बैठने के पश्चात् दोनों पक्षों के बीच समझौता

कराया गया था और वह स्वयं उंझा नहीं गया था । इस साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि इस समझौते के पश्चात् उसके घर आई और उसे यह बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है और धन की मांग भी की है । इस तथ्य के बारे में बीनाबेन ने उसे स्पष्ट रूप से बताया था और इसके पश्चात् उसे अपने मायके चले जाने के लिए विवश किया गया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि यह घटना, आत्महत्या की उक्त घटना के 6 मास पूर्व घटित हुई थी । अभियुक्त द्वारा एक अन्य घटना और घटित की गई थी जो पी.एस.आई. की परीक्षा में आवेदन करने के संबंध में थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे यह सूचना मिली थी कि मृतका ने आत्महत्या कर ली है, अत: वह सिविल अस्पताल गया जहां उसके सास-श्वसुर और अन्य नातेदार मौजूद थे, इसके पश्चात् शवपरीक्षा की गई और मृतका के सास-श्वसुर उसका शव लेकर चले गए ।

24.1 अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि जब मृतक का विवाह अभियुक्त के साथ सम्पन्न हुआ था, तब मृतका केवल बी. ए. पास थी और उसने एम. ए. की डिग्री उंझा में रहते हुए प्राप्त की । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मृतका अपने वैवाहिक जीवनकाल के दौरान उसके घर आया करती थी और उसने मृतका को कोई धन नहीं दिया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि सिविल अस्पताल में 5 से 7 व्यक्ति मौजूद थे और केवल एक पुलिसकर्मी वहां मौजूद था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उस समय उसके श्वसुर ने अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरता कारित किए जाने से संबंधित पुलिस में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि ये सभी सिविल अस्पताल से पुलिस थाने गए थे और वे वहां अपराह्न 4.00 बजे तक ठहरे और उसी दिन उसी समय पुलिस ने इस साक्षी से पूछताछ की और उसका कथन अभिलिखित किया और इसी प्रकार अन्य नातेदारों और श्वसुर के कथन भी अभिलिखित किए गए ।

24.2 इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि

मृतका के माता-पिता द्वारा उनके अभिसाक्ष्य में किए गए इस अभिकथन का समर्थन अभि. सा. 4 के साक्ष्य से नहीं होता है कि मृतका को उसकी बहिन के घर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतका उसके घर प्राय: आया करती थी और अभियुक्त भी उसके साथ उसके घर आया करता था ।

25. डा. जयन्तीभाई वीरजीभाई सतपारा (अभि. सा. 5) के साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि उसने मृतका के शव का शवपरीक्षण किया था और मृतका के शरीर पर जो क्षति पाई गई थी वह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और उसकी राय के अनुसार ऐसी क्षति फांसी पर लटकने से पहुंच सकती है और यह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है ।

26. पंच-साक्षी रमेशभाई रणछोड़भाई पटेल (अभि. सा. 6) के साक्ष्य (प्रदर्श-25) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह घटनास्थल के बराबर में रहता है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पुलिस ने उसे घटनास्थल पर नहीं बुलाया था । किंतु पुलिस ने उसके अपने घर पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे । इस साक्षी के अनुसार जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी, वह उसके घर से 60 फुट की दूरी पर है । उससे यह पता चला कि किसी महिला ने फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली है और उस महिला का नाम बीनाबेन है और उसके पति का नाम किरनकुमार है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई थी और वह वहां नहीं गया था । तथापि, पुलिस ने उससे कहा कि वह अपने हस्ताक्षर करे और इसीलिए उसने पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी ने अभियोजन के मूल पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है कि घटना घटित होने से संबंधित पंचनामा उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया था, अत: इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई है । तथापि, इस प्रकार की गई प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उसने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है ।

27. पंचनामे से संबंधित एक अन्य साक्षी बाबूभाई मोहनलाल जसानी (अभि. सा. 7) के साक्ष्य (प्रदर्श-26) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि पंचनामा उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया था ।

28. तलाजी प्रतापजी वघेला (अभि. सा. 8) के साक्ष्य (प्रदर्श-27) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि तारीख 16 जनवरी, 2001 को वह पुलिस थाना अमराईवाड़ी में पुलिस निरीक्षक के रूप में तैनात था और उसने अन्वेषण किया है और अन्वेषण के दौरान उसने अनेक साक्षियों के कथन अभिलिखित किए हैं, पंचनामा तैयार किया है, अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् संबद्ध न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रकथनों के अनुसार, मृतका ने अंदर से दरवाजा बंद करके आत्महत्या की है ।

28.1 प्रतिपरीक्षा के दौरान शिकायतकर्ता सहित विभिन्न साक्षियों द्वारा अपने साक्ष्य में किए गए सुधारों को अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है । इस साक्षी के अनुसार मृतका के नातेदारों ने, जिनकी परीक्षा इस मामले में कराई गई है, उसे दिए गए बयान में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि धन का संदाय न किए जाने पर अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था ।

29. रफीकुद्दीन अमीरुद्दीन कादरी (अभि. सा. 9) के साक्ष्य (प्रदर्श-28) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि सुसंगत समय पर वह सहायक पुलिस उपायुक्त, अहमदाबाद के पद पर कार्यरत था और उसने अमृतलाल माधवलाल पटेल की शिकायत अभिलिखित की है और इसके पश्चात् वह शिकायत अन्वेषण के लिए पुलिस निरीक्षक श्री वघेला को सौंपी गई । इस साक्षी के अनुसार उसके समक्ष उसी प्रकार शिकायत लिखी गई जैसे-जैसे शिकायतकर्ता ने बताया ।

29.1 अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे इस घटना की जानकारी 15 जनवरी, 2001 को मिली थी और

आरंभ में इस घटना को दुर्घटनात्मक मृत्यु के रूप में अभिलिखित किया गया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि 15 जनवरी, 2001 को उसने दुर्घटनात्मक मृत्यु के दस्तावेजों का परिशीलन किया । उसने यह भी कथन किया है कि यह घटनास्थल पर गया था और पड़ोसियों के कथन अभिलिखित किए थे और इसके पश्चात् 16 जनवरी, 2001 को शिकायतकर्ता उसके पास आया और उसने शिकायत दर्ज कराई ।

30. यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका ने स्वयं फांसी पर लटककर आत्महत्या की है और उस समय दरवाजा भीतर से बंद था । इस प्रकार, आत्महत्या किए जाने का तथ्य विवादित नहीं है । विचार के लिए यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या अभियुक्त ने मृतका को आत्महत्या करने के लिए विवश किया है । जिस क्रूरता के कारण मृतका को आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया है, अभिलेख पर प्रस्तुत की जानी चाहिए । यह सुस्थापित है कि प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य तर्कसम्मत, विश्वसनीय और विश्वासप्रद होना चाहिए । यह भी सुस्थापित है कि साक्ष्य, प्रत्यक्ष होना चाहिए और यदि किसी अनुश्रुत साक्ष्य का अवलंब लिया जाना हो, तब ऐसी स्थिति में अनुश्रुत साक्ष्य का समर्थन अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से भी होना चाहिए । स्वीकृततः, वर्तमान मामले में मृतका के साथ उसके वैवाहिक जीवन के दौरान अभियुक्त द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता कारित किए जाने तथा धन की मांग किए जाने का कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है । अभियोजन पक्ष का संपूर्ण साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य है जो उन्होंने अपने निकट नातेदारों से सुना था कि मृतका के साथ, ट्यूशन-पाठशाला चलाने हेतु तथा पी.एस.आई. की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए धन की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से अभियुक्त द्वारा क्रूरता कारित की जाती थी । अतः, मृतका के पिता, माता, जीजा और मामा के साक्ष्य का मूल्यांकन विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा की कसौटी पर किया जाना चाहिए ।

31. ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनेक विनिश्चयों के साथ साक्ष्य पर विचार करने पर यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि मृतका का विवाह वर्ष 1998 में हुआ था । आरंभ में मृतका अपने मायके में रहती थी और "आना" की रसम पूरी होने के पश्चात् वह अपनी ससुराल चली गई और

कुछ समय वह वहीं रही और इसके पश्चात् वह अपने मायके आ गई । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उसने विवाह के पश्चात् एम. ए. की पढ़ाई पूरी की थी और उस समय वह अपने माता-पिता के यहां रहती थी । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मृतका के पिता, माता और मामा ने अपने साक्ष्य में सुधार करते हुए अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित किए जाने तथा धन की मांग किए जाने का उल्लेख किया है जो इन साक्षियों ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में नहीं बताया था । साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि मृतका को उसके मामा और उसकी बड़ी बहिन के घर जाने की अनुमति थी । तथापि, मृतका के माता-पिता ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका को उसकी बड़ी बहिन और मामा के घर जाने की अनुमति नहीं थी । मृतका के माता-पिता द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासप्रद नहीं हैं ।

32. स्वीकृततः, इस मामले में मृतका की मृत्यु हुई है किंतु मृतका का कोई भी मृत्युकालिक कथन अभिलेख पर नहीं है । अतः, मृतका के निकट नातेदारों के रूप में दिया गया अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संवीक्षा की जानी चाहिए । संवीक्षा किए जाने पर यह प्रतीत होता है कि मृतका के निकट नातेदारों ने, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपने साक्ष्यों में सुधार और विस्तार किए हैं । ऐसे साक्ष्य की सावधानीपूर्वक पड़ताल किए जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इन साक्षियों का साक्ष्य तर्कसम्मत और विश्वसनीय नहीं है ।

33. साक्ष्य से यह भी उपदर्शित होता है कि विवाह के समय मृतका ने बी. ए. तक शिक्षा प्राप्त की थी और विवाह के पश्चात् उसने एम. ए. की डिग्री प्राप्त की । साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि यद्यपि मृतका का वैवाहिक जीवन अभिकथित रूप से चार वर्ष रहा है किंतु साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि मृतका अभियुक्त के साथ बहुत ही कम समय रही है और उसने एम. ए. की डिग्री उंझा में अर्थात् अपने मायके में रहकर प्राप्त की थी और वह अधिकतर अपने मायके में ही रहती थी ।

34. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने पर स्पष्ट रूप से यह उद्भूत होता है कि निकट नातेदारों का साक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासप्रद नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने उपरोक्त विधिक और तथ्यात्मक पहलुओं पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और तथ्यों तथा विधि की दृष्टि से गंभीर त्रुटि कारित की है । विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश विधि के अनुसार कायम रखे जाने योग्य नहीं है । तथापि, इस प्रक्रम पर, यह उल्लेखनीय है कि शेष सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति का निर्णय और आदेश को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और वर्तमान अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी प्रति-अपील फाइल नहीं की गई है । इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय और आदेश, जो कि वर्तमान अभियुक्त से ही संबंधित है, हस्तक्षेप किए जाने तथा अभिखंडित एवं अपास्त किए जाने योग्य है ।

35. उपरोक्त बातों को दृष्टिगत करते हुए वर्तमान अपील मंजूर किए जाने योग्य है और तद्नुसार यह मंजूर की जाती है । 2002 के सेशन मामला सं. 260 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश (न्यायालय सं. 1), अहमदाबाद द्वारा तारीख 25 मई, 2004 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश एतद्द्वारा अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । मूल अभियुक्त अर्थात् अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 306 और 498क के अधीन अपराध के लिए उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यदि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार के जुर्माने का संदाय किया गया है तो उसे उसका प्रतिदाय किया जाए । यदि कोई जमानत पत्र निष्पादित किया गया है तो वह रद्द किया जाता है । इस मामले का अभिलेख और संपूर्ण कार्यवाही विचारण न्यायालय को तत्काल भेजी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

धाबीराम कोंच

बनाम

असम राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 38)

तारीख 6 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति हितेश कुमार सरमा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 106] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र की दाउ के प्रहार से हत्या का अभिकथन – मृतक की माता के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी का उसके पुत्र को घर से बुलाकर ले जाना और उसके पश्चात् वापस न आना – घटनास्थल से रक्तरंजित आयुध की बरामदगी – साक्ष्य की श्रृंखला का पूर्ण पाया जाना – मृतक को उसके घर से अभियुक्त द्वारा बुलाया गया था और वह अपने साथ अपने घर ले गया और इसके पश्चात् मृतक उस रात्रि में अपने घर वापस नहीं आया और अगले दिन मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया और साथ ही अपराध में प्रयोग किए गए रक्तरंजित आयुध को घटनास्थल से बरामद किया गया, ऐसी स्थिति में हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त-अपीलार्थी की दो पत्नियां हैं । पहली पत्नी अपने पुत्रों और पुत्री के साथ अपने पति अर्थात् अपीलार्थी से अलग स्थान पर रहती है जो अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है । अभियुक्त-अपीलार्थी अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है । तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी ने अचिन्ता बरुआ और सुरेन बरुआ के साथ अपनी पहली पत्नी से जन्मे अपने पुत्र बिकाश कोंच (मृतक) से बात करने के लिए बुलाया । तद्नुसार, उसका पुत्र बिकाश

कोंच उनके साथ चला आया । उस रात मृतक बिकाश कोंच अपने घर वापस नहीं आया । अगले दिन अर्थात् 3 अगस्त, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 12.00 बजे मृतक की माता अभियुक्त-अपीलार्थी के घर अपने पुत्र को तलाश करने गई और उसने अपने पुत्र को अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में खून से लथपथ मृत पड़ा हुआ देखा । इन तथ्यों के आधार पर श्रीमती रंजीता दिहिंगिया (अभि. सा. 4) अर्थात् मृतक की बहिन ने पुलिस चौकी घोरमरा के भारसाधक के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) दर्ज कराई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर घोरमरा पुलिस चौकी के रोजनामचे में प्रविष्टि सं. 55 के रूप में तारीख 4 अगस्त, 2012 को दर्ज की गई और इसे पुलिस थाना लाहौल अग्रप्रेषित कर दिया गया । पुलिस थाना लाहौल में दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन यह रिपोर्ट प्रविष्टि सं. 121/2012 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों की परीक्षा की, मृतक के शव का शवपरीक्षण कराया, शव की मृत्यु समीक्षा की और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन औपचारिक रूप से आरोप विरचित किया । आरोप पढ़कर सुनाए जाने और स्पष्ट किए जाने पर अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को ऊपर उपदर्शित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे मृतक को बुलाया गया था और अभियुक्त उसे अपने साथ अपने घर ले गया और इसके पश्चात् मृतक उस रात्रि में अपने घर वापस नहीं आया और अगले दिन प्रात:काल उसका शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 4) का भी यह साक्ष्य

है कि जब वह तारीख 3 अगस्त, 2012 को अभियुक्त के घर गई तो उसने मृतक का शव उसके घर में पड़ा हुआ देखा । अभियुक्त-अपीलार्थी के बड़े भाई (अभि. सा. 2) का यह अभिसाक्ष्य है कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में मृतक का शव क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा था । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में पाया गया था । अभि. सा. 6 ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि वह मात्र मृत्यु समीक्षा का ही साक्षी नहीं है अपितु अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान से अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी का भी साक्षी है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभिगृहीत किए गए आयुध रक्तरंजित थे । अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा अभि. सा. 8 के रूप में की गई है और इस साक्षी ने भी यह कथन किया है कि मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान में ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामवासियों की मौजूदगी में पड़ा पाया गया था । इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मकान के दरवाजे में ताला लगा हुआ था किंतु मकान में के पिछले अहाते का दरवाजा खुला हुआ था जिससे होकर उन्होंने मकान में प्रवेश किया और इसके पश्चात् मृत्यु समीक्षा तथा शवपरीक्षण आदि से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं । ऊपर निर्दिष्ट किए गए साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि (क) तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक को बुलाया और मृतक उसके साथ चला गया । इसके पश्चात्, मृतक वापस घर नहीं आया ; (ख) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने वाले साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 और शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक अर्थात् अभि. सा. 5 के सिवाय सभी अभियोजन साक्षियों ने तारीख 3 अगस्त, 2012 को प्रातःकाल अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान में मृतक का शव पड़ा हुआ देखा था ; (ग) निर्विवादितः साक्ष्य यह है कि घटनास्थल से अपराध में प्रयोग किए गए आयुध अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रदर्श-2 के अनुसार अभिगृहीत किए गए जिन पर रक्त लगा हुआ था जिन्हें न्यायालय में एम-प्रदर्श-1, एम-प्रदर्श-2 और एम-प्रदर्श-3 के रूप में साबित किया गया जिसके उपरांत इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इन धारदार आयुधों

का प्रयोग मृतक को घातक क्षति पहुंचाने में किया गया था । उपरोक्त परिस्थितियां एक-दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि इनसे एक ऐसी श्रृंखला बनती है जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी और ने नहीं अपितु अभियुक्त-अपीलार्थी ने ही मृतक की हत्या कारित की है । इसके अतिरिक्त, यह पारिस्थितिक साक्ष्य ऐसी स्थिति में और प्रबलित हो जाता है कि प्रतिरक्षा पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक को ऐसी क्षति कैसे कारित हुई जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब कोई तथ्य विशेषत: किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पहले ही यह स्पष्ट हो गया है कि मृतक पिछली रात अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ अपने मकान से बाहर गया था और उसका शव अगले दिन प्रात:काल अभियुक्त के मकान में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा पाया गया और कारित क्षतियों का उल्लेख प्रदर्श-4 में किया गया है । चूंकि मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में पाया गया था इसलिए इस तथ्य की जानकारी अभियुक्त-अपीलार्थी को ही होनी चाहिए कि मृतक को क्षतियां कैसे कारित हुईं जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई । अभियोजन साक्षियों तथा प्रतिरक्षा साक्षी-1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अत:, यह तथ्य अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति प्रतीत होती है । अभियुक्त-अपीलार्थी की द्वितीय पत्नी अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी-1 द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह पता चलता है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को वह और उसका पति अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी नीरू चेटिया के घर सिसिया बोकूलानी चरियाली गए थे और टेलीविजन पर समाचार द्वारा मृतक की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् तारीख 4 अगस्त, 2012 को वापस आ गए । किंतु अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी और प्रतिरक्षा साक्षी-1 उस समय पूरी तरह घर पर मौजूद थे जब वे तारीख 3 अगस्त, 2012 को प्रात:काल उनके घर गए थे । अभि. सा. 3 ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि जब वह उसके घर गई थी तब अभियुक्त-

अपीलार्थी और उसकी पत्नी (प्रतिरक्षा साक्षी-1) घर से कहीं बाहर जाने वाले थे । नीरू चेटिया, जिसके मकान में अभियुक्त-अपीलार्थी और प्रतिरक्षा साक्षी-1 ने घटना के दिन ठहरने का दावा किया है, की परीक्षा अभियुक्त-अपीलार्थी द्‌वारा अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् साबित करने के लिए नहीं कराई गई है । उपरोक्त चर्चा विशेषकर ऊपर उपदर्शित पारिस्थितिक साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने ही मृतक की हत्या कारित की है । अतः, विद्‌वान् निचले न्यायालय द्‌वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और सारभूत दंडादेश, जो कि अल्पतम है, में अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्‌वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । (पैरा 27, 28, 29, 30, 32 और 35)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1984]	ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	26
[1958]	ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465 : **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** ।	19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 38.

2013 के सेशन मामला सं. 205 में विद्‌वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्‌वारा तारीख 20 नवंबर, 2017 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बी. एम. चौधरी

प्रत्यर्थियों की ओर से लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हितेश कुमार सरमा ने दिया ।

न्या. सरमा – यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन 2013 के सेशन मामला सं. 205 में विद्‌वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्‌वारा तारीख 20 नवंबर, 2017 को पारित उस निर्णय

और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

2. विचारण के दौरान मामले के तथ्य निम्न प्रकार प्रकट हुए हैं :-

अभियुक्त-अपीलार्थी की दो पत्नियां हैं । पहली पत्नी अपने पुत्रों और पुत्री के साथ अपने पति अर्थात् अपीलार्थी से अलग स्थान पर रहती है जो अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है । अभियुक्त-अपीलार्थी अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है । तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी ने अचिन्ता बरुआ और सुरेन बरुआ के साथ अपनी पहली पत्नी से जन्मे अपने पुत्र बिकाश कोंच (मृतक) से बात करने के लिए बुलाया । तद्नुसार, उसका पुत्र बिकाश कोंच उनके साथ चला आया । उस रात मृतक बिकाश कोंच अपने घर वापस नहीं आया । अगले दिन अर्थात् 3 अगस्त, 2012 को पूर्वाह्न लगभग 12.00 बजे मृतक की माता अभियुक्त-अपीलार्थी के घर अपने पुत्र को तलाश करने गई और उसने अपने पुत्र को अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में खून से लथपथ मृत पड़ा हुआ देखा ।

3. इन तथ्यों के आधार पर श्रीमती रंजीता दिहिंगिया (अभि. सा. 4) अर्थात् मृतक की बहिन ने पुलिस चौकी घोरमरा के भारसाधक के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) दर्ज कराई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर घोरमरा पुलिस चौकी के रोजनामचे में प्रविष्टि सं. 55 के रूप में तारीख 4 अगस्त, 2012 को दर्ज की गई और इसे पुलिस थाना लाहौल अग्रप्रेषित कर दिया गया । पुलिस थाना लाहौल में दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन यह रिपोर्ट प्रविष्टि सं. 121/2012 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत की गई ।

अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों की परीक्षा की, मृतक के शव का

शवपरीक्षण कराया, शव की मृत्युसमीक्षा की और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन औपचारिक रूप से आरोप विरचित किया । आरोप पढ़कर सुनाए जाने और स्पष्ट किए जाने पर अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया । विचारण पूरा होने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को ऊपर उपदर्शित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

5. इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारी, जिनकी प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई है, सहित कुल मिलाकर 8 साक्षियों की परीक्षा कराई है । अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन यथापेक्षित अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध सभी अपराधजन्य सामग्री प्रस्तुत की गई । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने कथन में उस पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने केवल एक साक्षी की परीक्षा कराई है ।

6. हमने अभियोजन तथा प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य की संवीक्षा की है । हमने विद्वान् विचारण न्यायालय के अभिलेख तथा आक्षेपित निर्णय और आदेश का परिशीलन भी किया है ।

7. हमने अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री बी. एम. चौधरी और श्री यू. चौधरी की सुनवाई की है । हमने विद्वान् अपर लोक अभियोजक, असम श्री आर. जे. बरुआ को भी सुना है ।

8. श्री मोन्टू साइकिया (अभि. सा. 1) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी है जिसे इस घटना की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है । इस साक्षी ने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 4) द्वारा बताए अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी है ।

9. श्री टिकेश्वर बरुआ अभियुक्त-अपीलार्थी का बड़ा भाई है । उसने अभियुक्त-अपीलार्थियों के पड़ोसियों से यह सुना था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने बिकाश कोंच की हत्या की है । उपरोक्त पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस घटनास्थल पर आई । यह साक्षी भी घटनास्थल पर गया और उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में रसोई के निकट फर्श पर पड़ा हुआ मृतक का शव देखा और उसने यह भी देखा कि मृतक के सिर से रक्त बह रहा था । अभि. सा. 2 तीन आयुधों, जिनमें से दो मिट-दाउ और नलुआ-दाउ हैं, को अभिगृहीत किए जाने का भी साक्षी है जिन्हें न्यायालय में एम-प्रदर्श-1 और एम-प्रदर्श-2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है । अभि. सा. 2 प्रदर्श-2 का साक्षी है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं । अभि. सा. 2 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-3) का भी साक्षी है जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि न्यायालय ने प्रस्तुत किए गए दाउ वहीं दाउ हैं जो पुलिस द्वारा बरामद और अभिगृहीत किए गए थे । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि मृतक रात्रि के समय प्राय: अभियुक्त-अपीलार्थी के घर आया करता था और उस पर हमला किया करता था ।

10. श्रीमती लखीमाई कोंच (अभि. सा. 3) अभियुक्त-अपीलार्थी की प्रथम पत्नी और मृतक की माता है । इस साक्षी का साक्ष्य इस संबंध में है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी उसके घर आया और उसके पुत्र (मृतक बिकाश) को भूमि मामले से संबंधित बातचीत करने के लिए बुलाया । मृतक द्वारा पहली बार तो इनकार किया गया किंतु बाद में अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा निवेदन किए जाने पर मृतक उसके साथ उसके घर चला गया और उस रात्रि में मृतक अभियुक्त-अपीलार्थी के घर से वापस नहीं आया । अगले दिन पूर्वाह्न लगभग 8.00 बजे अभि. सा. 3 अभियुक्त-अपीलार्थी के घर गई और उसने अभियुक्त-अपीलार्थी और उसकी दूसरी पत्नी श्रीमती सुशीला कोंच अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी 1 को वहां देखा जो कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभि. सा. 3 को बताया कि उसने उसके पुत्र बिकाश की हत्या कर दी है और उसे कमरे में फेंक दिया है । अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभि. सा. 3 को यह

धमकी दी कि उसकी भी हत्या कर दी जाएगी । इस साक्षी ने अभियुक्त-अपीलार्थी के घर के डाइनिंग हाल में मृतक को कटी हुई क्षतियों के साथ मृत अवस्था में देखा । इस साक्षी ने शोर मचाया । इसके पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थी और उसकी द्वितीय पत्नी अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी 1 तुरंत घर से बाहर चले गए । इसके पश्चात्, अभि. सा. 3 की पुत्री (अभि. सा. 4) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी अचिंता बरुआ और सुरेन बरुआ के साथ उसके घर आया था । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने अन्वेषण अधिकारी ने अपने बयान में यह नहीं बताया था कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके पुत्र की हत्या की है और उसे कमरे में फेंक दिया है, फिर भी यह पाया गया है कि अन्वेषण अधिकारी के समक्ष अभि. सा. 3 द्वारा ऐसा कोई बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन नहीं दिया गया है और अभि. सा. 3 का यह साक्ष्य सुधार और बाद में आया विचार प्रतीत होता है ।

11. श्रीमती रंजीता दिहिंगिया (अभि. सा. 4) इत्तिलाकर्ता है । इस साक्षी का साक्ष्य इस संबंध में है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे उसके मृतक भाई ने उसे फोन द्वारा यह सूचना दी थी कि उसके पिता अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी और वह अभि. सा. 4 से यह चाहता था कि वह अपनी माता अर्थात् अभि. सा. 3 को इस तथ्य की जानकारी दे । मृतक ने पुलीन बरुआ नाम के एक व्यक्ति के मोबाइल फोन से अभि. सा. 4 से बात की । उस समय जैसा कि इस साक्षी द्वारा कथन किया गया है, अचिंता बरुआ और पुलीन बरुआ भी मृतक के साथ थे । अगले दिन प्रात:काल अभि. सा. 4 अपनी माता के घर गई और उसे अपनी माता से यह जानकारी मिली कि पिछली रात अभियुक्त-अपीलार्थी अर्थात् अभि. सा. 4 का पिता मृतक को अपने साथ अपने घर ले गया है और इसके पश्चात् मृतक वहां से वापस नहीं आया है । वह अपने पिता के घर गई और उसने अपने भाई बिकाश का शव वहां पड़ा हुआ देखा और शव के सिर की नितम्ब और टांगों पर कटी हुई क्षतियां थीं । उस समय उसका पिता घर पर नहीं था । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) दर्ज कराई थी । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रश्न किए जाने के उपरांत ऐसी कोई सामग्री सामने नहीं आई है कि जिसके आधार पर इस साक्षी की मुख्य परीक्षा के दौरान दिए गए इन तथ्यों को अभिखंडित किया जा सके कि उसने अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में अपने भाई का शव देखा था ।

12. डा. रुपक कुमार गोगई (अभि. सा. 5) शव-परीक्षा करने वाला चिकित्सक है । इस साक्षी ने तारीख 4 अगस्त, 2012 को पूर्वाह्न 11.45 बजे मृतक की शव-परीक्षा की थी जिसके दौरान निम्न क्षतियां पाईं :-

"1. करोटि के बाएं पार्श्विक भाग में 8 से. मी. × 1 से. मी. माप का छिन्न घाव है ।

2. करोटि के बाएं कपालीय भाग में 11 से. मी. × 2 से. मी. माप का छिन्न घाव है जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है ।

3. बाएं कपोल पर 12 से. मी. × 3 से. मी. माप का छिन्न घाव पाया गया है जो मांसपेशी तक गहरा है और इसकी दिशा भी ऊपर से नीचे की ओर है ।

4. ग्रीवा के बाएं पार्श्विक भाग में ऊपर की ओर 10 से. मी. × 2 से. मी. माप का छिन्न घाव है जिसकी दिशा गर्दन के पीछे और नीचे की ओर है ।

5. बाईं प्रगण्डास्थि के नीचे की ओर 11 से. मी. × 4 से. मी. माप का छिन्न घाव पाया गया है जिसकी दिशा आगे और नीचे की ओर है ।

6. बाईं जंघा के पार्श्विक भाग में 12 से. मी. × 9 से. मी. माप का मांसपेशी गहरा छिन्न घाव पाया गया है जिसकी दिशा भी ऊपर और नीचे की ओर है ।

7. दाईं जंघा के सामने की ओर ऊपर भाग में 3 से. मी. × 1 से. मी. माप का मांसपेशी गहरा एक छिन्न घाव पाया गया है ।

8. दाईं अग्रबाहु के ऊपरी भाग की त्रज्यीय दिशा में 3 से. मी. × 1 से. मी. माप का त्वचा गहरा छिन्न घाव पाया गया है ।

कपाल और मेरु रज्जू का परीक्षण :

करोटि और खोपड़ी की वही दशा पाई गई है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । अन्य अंग अक्षत पाए गए हैं ।

वक्ष का परीक्षण :

वक्ष संबंधी सभी अंग स्वस्थ अवस्था में हैं ।

उदर का परीक्षण :

उदर संबंधी सभी अंग स्वस्थ हैं ।"

चिकित्सक ने यह राय भी व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण आघात रक्तस्राव है जो ऊपर वर्णित क्षतियों के परिणामस्वरूप हुआ है । सभी क्षतियां मृत्यु पूर्व की पाई गई हैं जो धारदार आयुध से कारित की गई हैं और ये क्षतियां मानव वध प्रकृति की हैं ।

13. मणिक बरुआ (अभि. सा. 6) अभियुक्त-अपीलार्थी के घर ग्राम प्रधान के साथ गया था और उसने वहां मृतक का शव देखा था । इस साक्षी ने शव के सिर, टांगों आदि अंगों पर क्षतियां देखी थीं । पुलिस ने इस साक्षी की मौजूदगी में एक चाकू और दो दाउ घटनास्थल से बरामद किए थे जिन्हें प्रदर्श-2 के अनुसार अभिगृहीत किया गया और इस साक्षी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए । इस साक्षी ने एम-प्रदर्श-1, एम-प्रदर्श-2 और एम-प्रदर्श-3 जो दोनों दाउ और चाकू के संबंध में तैयार किए गए थे, न्यायालय में प्रदर्शित किया है ।

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह इस बात से अवगत नहीं है कि मृतक बिकाश की मृत्यु कैसे हुई ।

14. डोयल बरुआ (अभि. सा. 7) ने यह साक्ष्य दिया है कि मृतक का शव पुलिस द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के घर से बरामद किया गया था । वह वहां अन्य ग्रामवासियों के साथ गया था । उसने मृतक के शव पर नितम्ब और अन्य अंगों पर क्षतियां देखीं । इस साक्षी ने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है कि मृतक की हत्या किसने की । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह इस बात से अवगत नहीं था कि अभियुक्त-अपीलार्थी उस दिन अपने घर पर मौजूद था या नहीं जब उसके घर पर शव पाया गया था ।

15. श्री भूपेन कुमार सरमा (अभि. सा. 8) अन्वेषण अधिकारी है । इस साक्षी के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि तारीख 3 अगस्त, 2012 को दोपहर लगभग 12.00 बजे टेलीफोन कॉल प्राप्त होने पर उसने रोजनामचे में प्रविष्टि की जो प्रविष्टि सं. 38/03-08-2012 है और इसके पश्चात् वह स्टाफ के साथ घटनास्थल पर गया । घटनास्थल पर पहुंचने पर अन्वेषण अधिकारी ने यह पाया कि अभियुक्त-अपीलार्थी का मकान में ताला लगा हुआ है । इसके पश्चात्, उसने ग्राम प्रधान और ग्राम के कुछ व्यक्तियों को बुलाया और देखा कि अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान के अन्दर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है । उन्होंने देखा कि घर के पिछले भाग का द्वार खुला पड़ा है और तद्नुसार वे उसी दरवाजे से अंदर गए और ग्राम प्रधान द्वारा वहां पड़े हुए शव की शनाख्त की गई जिन्होंने बताया कि यह शव बिकाश का है । इसके पश्चात्, शव की मृत्युसमीक्षा और शवपरीक्षण कराए जाने से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की गईं । अन्वेषण अधिकारी ने इन साक्षियों की मौजूदगी में प्रदर्श-2 के अनुसार दो दाउ और एक कटारी घटनास्थल से बरामद की । अन्वेषण अधिकारी ने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । अन्वेषण अधिकारी ने प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव से इनकार किया है कि घटना के दिन अभियुक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था और यह कि घटना के दो दिन पहले से अभियुक्त-अपीलार्थी अपनी भतीजी के घर पर था ।

16. श्रीमती सुशीला कोंच (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को वह और उसका पति अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी नीरू चेटिया के घर, जो सिसिया बोकुलानी चरियाली में स्थित है, गया था और वहां 4 दिन तक ठहरा । इस साक्षी और उसके पति अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी को इस घटना के संबंध में टेलीविजन पर प्रसारित समाचार से जानकारी मिली और इसके पश्चात् वे वापस आ गए और उन्होंने न्यायालय में अभ्यर्पण किया । प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने यह स्वीकार किया है कि शव उसके मकान में पाया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह इनकार किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक की हत्या की है ।

17. शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 5) के साक्ष्य की संवीक्षा करने पर यह पता चलता है कि मृतक की मृत्यु उसको कारित क्षतियों से होने वाले आघात और रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई है जिसका उल्लेख शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श-4) में किया गया है । अभि. सा. 5 द्वारा प्रदर्श-4 में जिन क्षतियों का उल्लेख किया गया है वे सभी कटी हुई क्षतियां हैं और छिन्न प्रकृति की हैं । मृतक के शव पर 8 गंभीर कटी हुई क्षतियां पाई गई हैं । चिकित्सक द्वारा जिन क्षतियों का उल्लेख किया गया है इन्हीं के कारण मृतक की मृत्यु हुई है । प्रदर्श-2 के अनुसार अपराध में प्रयोग किए गए रक्तरंजित आयुध की बरामदगी और मृतक को कारित क्षतियों की प्रकृति तथा शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक की राय को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय के मन में इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है ।

18. शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 8) के साक्ष्य के साथ मृतक को पहुंची क्षतियों विशेषकर निर्णय के पैरा 12 में उल्लिखित क्षतियों का परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि मृतक को पहुंची क्षतियां दंड संहिता की धारा 300 के खंड 'तीसरा' के अन्तर्गत आती हैं । इस धारा का खंड 'तीसरा' निम्न प्रकार है :-

> "तीसरा - यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो ।"

19. **विरसा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि मामला दंड संहिता की धारा 300 के खंड 'तीसरा' के अन्तर्गत लाने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्न तथ्यों को साबित करना चाहिए :-

> "प्रथमत: यह पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए कि शारीरिक क्षति कारित की गई है ;

---

[1] ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 465.

द्वितीयत:, क्षति की प्रकृति साबित की जानी चाहिए जो कि पूर्णतया अन्वेषण से ही संभव है ;

तृतीयत:, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऐसी विशेष शारीरिक क्षति कारित किए जाने का आशय किया गया था अर्थात् यह कि कारित की गई शारीरिक क्षति दुर्घटनात्मक अथवा अनाशयित न हो और यह कि अन्य किसी प्रकार की क्षति कारित किए जाने का आशय न किया गया हो । जब एक बार ये तीनों तत्व साबित कर दिए जाते हैं तब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है और,

चतुर्थत:, यह साबित किया जाना चाहिए कि ऊपर वर्णित क्षति तीन तत्वों से गठित होनी चाहिए जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है और ये क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । जांच का यह भाग पूर्णतया उद्देश्यात्मक और निष्कर्षात्मक है और इसका अपराधी के आशय से कोई लेना-देना नहीं है ।"

20. **विरसा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब एक बार उपरोक्त चारों तत्वों को अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध कर दिया जाता है (चूंकि निसंदेह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर ही होता है) तब कारित अपराध दंड संहिता की धारा 300 के खंड 'तीसरा' के अधीन हत्या कहलाएगा । यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मृत्यु कारित करने का आशय नहीं था । यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि ऐसी क्षति कारित करने का भी आशय नहीं था जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो । यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी को यह ज्ञान नहीं था कि इस प्रकार के कृत्य से मृत्यु कारित होना संभव है । जब एक बार वास्तव में शारीरिक क्षति कारित करने का आशय साबित हो जाता है तब शेष जांच पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हो जाती है और यह प्रश्न शेष रह जाता है कि कारित क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं ।

21. अब न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न है कि शारीरिक क्षति, जिसे अभि. सा. 5 के साक्ष्य में निर्दिष्ट किया गया है, मृतक के शरीर पर पाई गई थी और इस क्षति की प्रकृति का उल्लेख उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट (प्रदर्श-4) में किया गया है ।

22. अपराध में प्रयोग किया गया आयुध मृतक के शव के निकट से अर्थात् घटनास्थल से ही अभिगृहीत किया गया है और न्यायालय के मन में इस संबंध में तनिक भी संदेह नहीं है कि मृतक के शव पर पाई गई क्षतियां हमलावर द्वारा साशाय कारित की गई हैं और ये क्षतियां दुर्घटनात्मक या अनाशयित नहीं हैं । चिकित्सक की राय से यह भी दर्शित होता है कि मृत्यु का कारण आघात और रक्तस्राव है जो धारदार आयुध द्वारा मृत्यु पूर्व कारित की गई हैं और मानव वध प्रकृति की हैं ।

23. **विरसा सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में मृतक को कारित की गई क्षतियों की प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा सकता है कि हमलावर का आशय महत्वपूर्ण और सुसंगत नहीं है ।

24. अब प्रश्न यह शेष रह जाता है कि मृतक की मृत्यु किसने कारित की है ? अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की संवीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अतः, अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित करने से संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने से पूर्व और आरोपित अपराध का परिशीलन करने से पूर्व हमें पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि पर विचार करना होगा ।

25. यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी दांडिक मामले को साबित करने के लिए जिन परिस्थितियों का अवलंब लिया गया है वे निश्चायक और ठोस होनी चाहिएं और परिस्थितियों की श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे ऐसा निष्कर्ष निकले जो केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के साथ ही संगत हो । अतः, पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में

सबसे पहले वे परिस्थितियां संदेह के परे निश्चायक रूप से साबित की जानी चाहिएं जिनका अवलंब लिया गया है और उसके पश्चात् साबित की गई परिस्थितियों की श्रृंखला बननी चाहिए जिससे केवल यही निष्कर्ष निकले कि किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं अपितु अभियुक्त ने ही अपराध कारित किया है ।

26. **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने आरोप सिद्ध करने के लिए ऐसे सबूत की प्रकृति पर विचार करते हुए जो केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है, निम्न स्वर्णिम सिद्धांत अधिकथित किए हैं :–

> "152. इस विनिश्चय के सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मान्य से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं –
>
> (1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं । यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां "सिद्ध करनी होंगी" या "की जानी चाहिएं न कि की जा सकती हैं" । "साबित की जा सकती हैं" और "साबित करनी होंगी या की जानी चाहिएं" में केवल व्याकरण का अंतर ही नहीं है बल्कि विधिक अन्तर भी है, जैसाकि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एस. सी. सी. 793 = [1973] 3 उम. नि. प. 1011, में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया था –
>
>> "निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी "होना चाहिए" न कि केवल "दोषी हो सकता है" और "हो

[1] ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

सकता है" तथा "होना चाहिए" के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है, अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।"

(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं ;

(3) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय संभावना में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

153. ये पांच स्वर्णिम सिद्धांत हैं जिन्हें हम पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी पक्षकथन के सबूत के पंचशील सिद्धांत कह सकते हैं ।"

27. अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे मृतक को बुलाया गया था और अभियुक्त उसे अपने साथ अपने घर ले गया और इसके पश्चात् मृतक उस रात्रि में अपने घर वापस नहीं आया और अगले दिन प्रात:काल उसका शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया । इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 4) का भी यह साक्ष्य है कि जब वह तारीख 3 अगस्त, 2012 को अभियुक्त के घर गई तो उसने मृतक का शव उसके घर में पड़ा हुआ देखा । अभियुक्त-अपीलार्थी के बड़े भाई (अभि. सा. 2) का यह अभिसाक्ष्य है कि उसने अभियुक्त-

अपीलार्थी के घर में मृतक का शव क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा था । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में पाया गया था । अभि. सा. 6 ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि वह मात्र मृत्युसमीक्षा का ही साक्षी नहीं है अपितु अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान से अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी का भी साक्षी है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभिगृहीत किए गए आयुध रक्तरंजित थे । अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा अभि. सा. 8 के रूप में की गई है और इस साक्षी ने भी यह कथन किया है कि मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान में ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामवासियों की मौजूदगी में पड़ा पाया गया था । इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि मकान के दरवाजे में ताला लगा हुआ था किंतु मकान में के पिछले अहाते का दरवाजा खुला हुआ था जिससे होकर उन्होंने मकान में प्रवेश किया और इसके पश्चात् मृत्यु-समीक्षा तथा शवपरीक्षण आदि से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं ।

28. ऊपर निर्दिष्ट किए गए साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि (क) तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी ने मृतक को बुलाया और मृतक उसके साथ चला गया । इसके पश्चात्, मृतक वापस घर नहीं आया ; (ख) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखने वाले साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 और शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक अर्थात् अभि. सा. 5 के सिवाय सभी अभियोजन साक्षियों ने तारीख 3 अगस्त, 2012 को प्रातःकाल अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान में मृतक का शव पड़ा हुआ देखा था ; (ग) निर्विवादितः साक्ष्य यह है कि घटनास्थल से अपराध में प्रयोग किए गए आयुध अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रदर्श-2 के अनुसार अभिगृहीत किए गए जिन पर रक्त लगा हुआ था जिन्हें न्यायालय में एम-प्रदर्श-1, एम-प्रदर्श-2 और एम-प्रदर्श-3 के रूप में साबित किया गया जिसके

उपरांत इस संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इन धारदार आयुधों का प्रयोग मृतक को घातक क्षति पहुंचाने में किया गया था ।

29. उपरोक्त परिस्थितियां एक-दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि इनसे एक ऐसी श्रृंखला बनती है जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी और ने नहीं अपितु अभियुक्त-अपीलार्थी ने ही मृतक की हत्या कारित की है । इसके अतिरिक्त, यह पारिस्थितिक साक्ष्य ऐसी स्थिति में और प्रबलित हो जाता है कि प्रतिरक्षा पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक को ऐसी क्षति कैसे कारित हुई जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई ।

30. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब कोई तथ्य विशेषत: किसी व्यक्ति के ज्ञान में है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पहले ही यह स्पष्ट हो गया है कि मृतक पिछली रात अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ अपने मकान से बाहर गया था और उसका शव अगले दिन प्रात:काल अभियुक्त के मकान में क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा पाया गया और कारित क्षतियों का उल्लेख प्रदर्श-4 में किया गया है । चूंकि मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के घर में पाया गया था इसलिए इस तथ्य की जानकारी अभियुक्त-अपीलार्थी को ही होनी चाहिए कि मृतक को क्षतियां कैसे कारित हुईं जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई । अभियोजन साक्षियों तथा प्रतिरक्षा साक्षी-1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अत:, यह तथ्य अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति प्रतीत होती है ।

31. ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने ऊपर निर्दिष्ट पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अपना पक्षकथन साबित करने का भार का निर्वहन कर दिया है ।

32. अभियुक्त-अपीलार्थी की द्‌वितीय पत्नी अर्थात् प्रतिरक्षा साक्षी-1 द्‌वारा दिए गए साक्ष्य से यह पता चलता है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को वह और उसका पति अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी नीरू चेटिया

के घर सिसिया बोकूलानी चरियाली गए थे और टेलीविजन पर समाचार द्वारा मृतक की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् तारीख 4 अगस्त, 2012 को वापस आ गए । किंतु अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी और प्रतिरक्षा साक्षी-1 उस समय पूरी तरह घर पर मौजूद थे जब वे तारीख 3 अगस्त, 2012 को प्रात:काल उनके घर गए थे । अभि. सा. 3 ने विशेष रूप से यह कथन किया है कि जब वह उसके घर गई थी तब अभियुक्त-अपीलार्थी और उसकी पत्नी (प्रतिरक्षा साक्षी-1) घर से कहीं बाहर जाने वाले थे । नीरू चेटिया, जिसके मकान में अभियुक्त-अपीलार्थी और प्रतिरक्षा साक्षी-1 ने घटना के दिन ठहरने का दावा किया है, की परीक्षा अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् साबित करने के लिए नहीं कराई गई है ।

33. उपरोक्त तथ्यों का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी के अन्यत्र उपस्थित होने के अभिवाक् को साबित करने में असफल रहा है ; अत: माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल तथा अभियोजन पक्ष के हित में अनुकूल निष्कर्ष निकलता है ।

34. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री चौधरी ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 4 अगस्त, 2012 को दर्ज कराई गई थी और मृतक का शव अगले दिन अर्थात् 3 अगस्त, 2012 को प्रात:काल पाया गया था और इस प्रकार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में जो विलम्ब हुआ है वह घातक है । इत्तिलाकर्ता (अभि.सा. 4) ने मृतक के शव का पता चलने के पश्चात् अर्थात् अगले दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में जो विलंब हुआ है वह ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर अभियोजन पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सके । श्री चौधरी द्वारा यह दलील दी गई है कि तारीख 2 अगस्त, 2012 को अपराह्न लगभग 8.00 बजे अभियुक्त-अपीलार्थी की प्रथम पत्नी अर्थात् अभि. सा. 3 के घर अभियुक्त-अपीलार्थी के साथ दो व्यक्ति अर्थात् अचिंता बरुआ और

सुरेन बरुआ गए थे और उन्होंने मृतक को अपने साथ चलने को कहा, वास्तव में मृतक उनके साथ गया था किंतु इन दोनों व्यक्तियों की परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराई गई है और ऐसा किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है और अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट कर सकता था कि मृतक उन दोनों व्यक्तियों से अलग कब हुआ था । तथ्य यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने वास्तव में मृतक को बातचीत करने के लिए बुलाया था । अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि मृतक को उसके पिता अर्थात् अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा भूमि से संबंधित मामले में बातचीत करने के लिए बुलाया गया था । इस तथ्य का परिशीलन जब इस तथ्य के साथ किया जाता है कि मृतक का शव अभियुक्त-अपीलार्थी के मकान में पाया गया है, तब इस मामले में निकाले गए निष्कर्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है भले ही उपरोक्त अचिंता बरुआ और सुरेन बरुआ की परीक्षा कराई गई होती । अत: इस दलील में कोई बल नहीं है ।

35. उपरोक्त चर्चा विशेषकर ऊपर उपदर्शित पारिस्थित साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने ही मृतक की हत्या कारित की है । अत:, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि और सारभूत दंडादेश, जो कि अल्पतम है, में अपीली अधिकारिता का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

36. तद्नुसार, विद्वान् निचले न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

37. इस निर्णय और आदेश की प्रति के साथ निचले न्यायालय का अभिलेख उसे वापस भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

अपु रानी दास

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 28)

तारीख 7 जुलाई, 2020

मुख्य न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 120ख [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और धारा 60] – हत्या – पुलिस अधिकारी द्‌वारा बाजार में एक व्यक्ति का शव पाया जाना – पुलिस अधिकारी द्‌वारा शव के निरीक्षण पर यह पाया जाना कि अनेक व्यक्तियों ने मिलकर मृतक के शरीर पर घातक क्षतियां कारित की हैं – अभियोजन पक्ष के अनेक मुख्य साक्षियों द्‌वारा अभियुक्तों के विरुद्ध कोई सारवान् अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहना – दो साक्षियों द्‌वारा यह अभिसाक्ष्य दिया जाना कि उन्होंने बाजार में किसी व्यक्ति को यह कहते सुना था कि अभियुक्तों ने मृतक पर उसे चोर समझकर हमला किया था और शबाल से चोट मारकर उसकी हत्या की थी – किंतु यह अनुश्रुत साक्ष्य है और इसकी पुष्टिस्वरूप कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाना – अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होने और अनुश्रुत साक्ष्य के संबंध में अभियोजन पक्ष द्‌वारा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहने के कारण अभियुक्तों की दोषमुक्ति सर्वथा उचित है ।

अपील के निपटारे हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों, जो वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी हैं, अर्थात् राकेश साहा, हरि साधन मजूमदार, माणिक डे, सुब्रत डे और नन्तु गोप के विरुद्ध एक मामला श्री कमल देबनाथ, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, आर. के. पुर पुलिस थाना द्‌वारा तारीख 16 फरवरी, 2014 को

स्वविवेकानुसार दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरंभ किया गया था । शिकायत में यह कथन किया गया है कि तारीख 16 फरवरी, 2014 को प्रात: 7.15 बजे जब वह अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ गोकुलपुर की ओर अपनी मोबाइल ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था तो उस समय उन्हें पुलिस थाने से यह सूचना प्राप्त हुई कि कथलतली बाजार में एक शव पड़ा हुआ है । तद्नुसार वह अपने कर्मचारिवृंद के साथ स्वयं घटनास्थल पर गया और उसने यह देखा कि किसी अज्ञात पुरुष जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष थी, का शव कथलतली बाजार में पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर अनेक क्षतियां कारित की गई थीं । आरंभिक जांच के पश्चात् शिकायतकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक के शरीर को घोर क्षतियां कारित किए जाने में अनेक व्यक्ति संलिप्त थे । अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 25) ने दंड संहिता की धारा 302/120ख के अधीन अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । साक्ष्यों को लेखबद्ध करने के पश्चात् और दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है और तद्नुसार विद्वान् न्यायाधीश ने ऊपर नामित सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । उक्त दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी, मृतक की पत्नी ने उच्च न्यायालय में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल करके उसे चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और उसमें हमें ऐसा कोई भी कथन नहीं मिला जो अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों को इस मामले से जोड़ सके । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के परिशीलन पर यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 17 और अभि. सा. 18 ने यह कथन किया है कि घटना के कुछ दिनों के पश्चात् वे कथलतली बाजार गए थे और वहां उन्होंने लोगों को यह कहते सुना था कि अभियुक्तों ने बिना किसी कारण के 'शबाल' से चोट

पहुंचाकर मृतक की हत्या की है । हमारे अनुसार अभि. सा. 17 और अभि. सा. 18 का साक्ष्य पूर्णतया अनुश्रुत बात है और बिना किसी सारवान् पुष्टि के यह साक्ष्य अनुज्ञेय नहीं है । अतः विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करके कोई गलती या त्रुटि नहीं की है और उन्होंने यह अभिनिर्धारित करके ठीक किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा है । (पैरा 31 और 32)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 631 : **सूरत सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	8
[2002]	(2002) 4 एस. सी. सी. 85 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1621 : **भगवान सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ।	8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 28.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती जिला, उदयपुर द्वारा 2015 के मामला सं. एस. टी. 40 (जीटी/यू) में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

याची की ओर से श्री ए. अचार्जी

प्रत्यर्थी की ओर से अपर लोक अभियोजक सर्वश्री एस. दत्ता चौधरी और पी. मजूमदार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति श्री अरिंदम लोध ने दिया ।

न्या. लोध – वर्तमान अपील श्रीमती अपु रानी दास, जो इस मामले में अपीलार्थी है, द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती जिला, उदयपुर द्वारा 2015 के मामला सं. एस. टी. 40 (जीटी/यू) में पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों, जो वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी हैं, अर्थात् राकेश साहा, हरि साधन मजूमदार, माणिक डे, सुब्रत डे और नन्तु गोप के विरुद्ध एक मामला श्री कमल देबनाथ, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, आर. के. पुर पुलिस थाना द्वारा तारीख 16 फरवरी, 2014 को स्वविवेकानुसार दर्ज की गई शिकायत के आधार पर आरंभ किया गया था । शिकायत में यह कथन किया गया है कि तारीख 16 फरवरी, 2014 को प्रात: 7.15 बजे जब वह अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ गोकुलपुर की ओर अपनी मोबाइल ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था तो उस समय उन्हें पुलिस थाने से यह सूचना प्राप्त हुई कि कथलतली बाजार में एक शव पड़ा हुआ है । तद्नुसार वह अपने कर्मचारिवृंद के साथ स्वयं घटनास्थल पर गया और उसने यह देखा कि किसी अज्ञात पुरुष जिसकी आयु लगभग 35 वर्ष थी, का शव कथलतली बाजार में पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर अनेक क्षतियां कारित की गई थीं । आरंभिक जांच के पश्चात् शिकायतकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मृतक के शरीर को घोर क्षतियां कारित किए जाने में अनेक व्यक्ति संलिप्त थे ।

3. उक्त शिकायत प्राप्त होने के उपरांत आर. के. पुर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने उक्त शिकायत को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/120ख के अधीन 2014 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 23 के रूप में रजिस्टर किया । इस मामले का अन्वेषण किया गया । अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 161 के अधीन उपलब्ध साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया । अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 25) ने दंड संहिता की धारा 302/120ख के अधीन अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. उक्त आरोप पत्र प्राप्त होने पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और धारा

120ख के अधीन आरोप विरचित किए जिसके संबंध में अभियुक्तों ने अपने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण का दावा किया ।

5. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 (छब्बीस) साक्षियों की परीक्षा की जिसमें शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1), अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 25) और डाक्टर (अभि. सा. 24 और अभि. सा. 26) सम्मिलित थे । अभियोजन पक्ष ने 15 (पंद्रह) दस्तावेज भी अभिलेख पर रखे ।

6. साक्ष्यों को लेखबद्ध करने के पश्चात् और दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की सुनवाई करने के पश्चात् विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है और तद्नुसार विद्वान् न्यायाधीश ने ऊपर नामित सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त करते समय विद्वान् विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों की दलीलों को विचार में लिया जिन्हें सुगम संदर्भ हेतु यहां नीचे पुनः उद्धृत किया गया है :–

> "7. विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा यह दलील दी गई है कि इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके पिता और साथ ही चिकित्सीय साक्षियों और न्यायालयिक साक्षियों सहित कुल 26 साक्षियों की परीक्षा की गई है । किंतु विद्वान् लोक अभियोजक ने स्पष्ट रूप से यह भी दलील दी है कि वस्तुतः सभी सुसंगत अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए विवरण अनुश्रुत बातें हैं और मुख्य साक्षी, जो अभियोजन के पक्षकथन को साबित कर सकते थे, पक्षद्रोही साक्षी हो गए हैं और इस प्रकार यह मामला अनुज्ञेय साक्ष्य से विहीन हो गया है । इस प्रकार विद्वान् लोक अभियोजक ने यह कथन किया है कि वह विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकते कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में सफल रहा है ।

दूसरी ओर उसी तर्ज पर विद्वान् प्रतिरक्षा काउंसेल ने भी यह दलील प्रस्तुत की है कि वस्तुत: सभी सुसंगत अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए विवरण अनुश्रुत बातें हैं और मुख्य साक्षी, जो अभियोजन के पक्षकथन को साबित कर सकते थे, पक्षद्रोही साक्षी हो गए हैं और इस प्रकार यह मामला अनुज्ञेय साक्ष्य से विहीन हो गया है । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जो युक्तियुक्त संदेह से परे होकर अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने हेतु पर्याप्त हो । इस प्रकार उन्होंने अभियुक्त व्यक्तियों को, उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किए जाने की अपील की है ।"

7. अंत में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की संवीक्षा करने और विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि :–

"अत: इस मामले में अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के संबंध में यह पाया गया है कि वह आधारिक रूप से अनुश्रुत बातें हैं और वे फिल्मी प्रकृति के हैं जिनसे सर्वोत्तम रूप से अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध मात्र एक संदेह उत्पन्न होता है । किंतु विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह कितना भी सुदृढ़ क्यों न हो वह सबूत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता । अन्य शब्दों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य इस प्रकार का है कि उससे दो प्रकार के मत संभव प्रतीत होते हैं, एक मत अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध है और दूसरा अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में । यहां भी यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब दो मत संभव हो तो उस मत को अंगीकृत किया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो ।"

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए निर्णयों, अर्थात् (i) ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2070 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1865 ; (ii) **सूरत सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश**

राज्य[1] (वर्ष 2004 की दांडिक अपील सं. 1072) और (iii) **भगवान सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लेने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अंत में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :–

> "ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी अनुज्ञेय अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य के नितांत अभाव में मेरा मत यह है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने में असफल रहा है और इस प्रकार अभियुक्त व्यक्ति दोषमुक्त किए जाने के हकदार हैं ।"

9. वर्तमान अपील में पूर्वकथित विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय की आलोचना करते हुए अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री ए. अचार्जी ने यह दलील दी है कि यद्यपि सभी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं किंतु ऐसे सुसंगत कथनों पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा विचार किया जाना चाहिए था जो अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करते हैं ।

10. इस दलील को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल से यह आग्रह किया था कि वह अभियोजन साक्षियों के उन सुसंगत कथनों का उल्लेख करें जो अभियोजन पक्ष को अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने में सहायक सिद्ध होंगे । किंतु अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ऐसे अभियोजन साक्षियों के सुसंगत कथनों की पहचान करने में असमर्थ रहे हैं जिन्हें हमारे मतानुसार अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या और षड्यंत्र के आरोपों को सिद्ध करने हेतु विचार में लिया जा सकता था ।

---

[1] ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 631.

[2] (2002) 4 एस. सी. सी. 85 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1621.

11. दूसरी ओर, राज्य, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले अपर लोक अभियोजक श्री एस. देबनाथ ने उचित रूप से यह दलील प्रस्तुत की है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को स्थापित करने में असफल रहा है । इसी प्रकार अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 1, 2, 3 और 5 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एस. दत्ता चौधरी और अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं 4 की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री पी. मजूमदार ने यह आग्रह किया है कि अपील को इस आधार पर खारिज किया जाए कि अभियोजन पक्ष 5 (पांच) अभियुक्तों, जिन्हें वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया था, के विरुद्ध हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपों को स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहा है ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत की गई पूर्वोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों और सामग्रियों का संक्षेप में परिशीलन किया है ।

13. सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (अभि. सा. 1) जिसने शिकायत दर्ज की है, ने अपने उस कथन को दोहराया है जिसका उसने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि जब वे मोबाइल ड्यूटी पर थे तो उस समय उन्हें मृतक का शव मिला था, जो इस मामले की अपीलार्थी का पति है । उन्हें उसके मृत शरीर पर अनेक क्षतियां दिखाई दीं और उसके अनुसार मृतक की हत्या में अनेक व्यक्ति संलिप्त थे ।

14. भाबातोष चक्रबर्ती (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि किसी व्यक्ति से यह सुनने के पश्चात् कि कथलतली बाजार में एक पुरुष का शव पाया गया है, वह घटनास्थल पर गया था किंतु उसके अभिसाक्ष्य में अभियुक्त व्यक्तियों को इस अपराध में फंसाने वाली कोई भी बात प्रकट नहीं की गई थी ।

15. सत्यजीत चक्रबर्ती (अभि. सा. 3) एक 'कड़े' के अभिग्रहण का साक्षी है ।

16. संजय डे (अभि. सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने किसी से यह सुना था कि कथलतली बाजार के समीप किसी एक पुरुष का शव पड़ा हुआ है किंतु उसे इसके अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं है ।

17. कालीपद नामा (अभि. सा. 5) ने भी इस घटना को नहीं देखा था ।

18. मन्ना डे (अभि. सा. 6) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बाजार में एक शव पाए जाने का समाचार सुनकर वह घटनास्थल पर गया था । उसने इस बात से इनकार किया कि उसने ऐसा कोई कथन किया है जिसे अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन लेखबद्ध किया गया हो ।

19. कार्तिक चक्रबर्ती (अभि. सा. 7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे उक्त बाजार की दिशा से चीख-पुकार की आवाजें सुनाई दी थी जिसमें बार-बार 'चोर'-'चोर' शब्द सुनाई दे रहा था और उसके पश्चात् वह वहां गया और उसने एक अज्ञात व्यक्ति को एक दुकान के बरामदे में बैठे हुए देखा और साथ ही उसने यह भी देखा कि अभियुक्त व्यक्ति, अर्थात् श्री राकेश साहा, श्री हरि साधन मजूमदार, श्री सुब्रत डे और श्री नन्तु गोप भी वहां पर मौजूद हैं । उसने उन्हें उस अज्ञात व्यक्ति को पुलिस को सौंपने के लिए कहा । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे यह बताया था कि उक्त निरुद्ध व्यक्ति चोरों के एक दल का नेता था और उसकी थोड़ी-बहुत पिटाई की जाए तो वह अन्य चोरों के नाम भी बता देगा । किंतु अभि. सा. 7 ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी और उसके पश्चात् वह उस स्थान से चला गया ।

20. श्रीमती अपु रानी दास (अभि. सा. 8), जो वर्तमान मामले में अपीलार्थी है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पति अजीत दास का देहांत हो चुका है । तारीख 15 फरवरी, 2014 को पूर्वाह्न लगभग 3.30 बजे वह उससे झगड़ा करने के पश्चात् घर से बाहर चला गया था किंतु

उसके पश्चात् वह वापस नहीं आया और फोन करने पर उसे पता चला कि उसका फोन भी बंद है । उससे अगले दिन उसकी बहिन बकुल रानी दास ने उसे यह सूचित किया कि टी. वी. पर किसी व्यक्ति के शव को दिखाया जा रहा है जो उसके पति से मिलता-जुलता है । उसने अभियुक्तों को इस मामले में संलिप्त करने संबंधी कोई बात नहीं बताई है ।

21. रंजीत नामा दास (अभि. सा. 9) ने भी अभि. सा. 8 के अनुरूप ही अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है ।

22. अभि. सा. 10, अभि. सा. 11, अभि. सा. 12 और अभि. सा. 13 कोई सारवान् साक्षी नहीं हैं । उन्होंने ऐसा कोई भी कथन नहीं किया जिससे अभियुक्त व्यक्तियों को मामले में संलिप्त किया जा सके ।

23. अभि. सा. 14 आर. के. पुर पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी है जिसकी भूमिका मात्र इतनी है कि उसने स्व-विवेकानुसार फाइल की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर स्थल का दौरा किया था ।

24. अभि. सा. 15, अभि. सा. 16, अभि. सा. 19, अभि. सा. 20, अभि. सा. 21, अभि. सा. 22 और अभि. सा. 23 ने भी ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे अभियुक्त व्यक्तियों को मामले में संलिप्त किया जा सके ।

25. श्री अमल दास (अभि. सा. 17) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अजीत दास को जानता था जो अपीलार्थी अपु रानी दास, उसकी छोटी बहिन का पति था । अजीत दास की तारीख 15 फरवरी, 2014 को कथलतली बाजार क्षेत्र में मृत्यु हो गई थी । तारीख 17 फरवरी, 2014 को उसकी एक अन्य बहिन, अर्थात् बकुल रानी दास ने उसे फोन पर यह सूचित किया कि उसने टी. वी. पर एक मृत व्यक्ति की फोटो देखी है जो अजीत दास के फोटो जैसा दिखाई पड़ रहा था और वह शव टीएसबी अस्पताल, उदयपुर के शव-गृह में रखा गया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 19 फरवरी, 2014 को वह कथलतली बाजार

गया था और वह कालीपद नामा नामक व्यक्ति की चाय की दुकान पर बैठा था और वहां उसने उक्त चाय की दुकान के कुछ ग्राहकों को यह कहते सुना था कि राकेश साहा, नन्तु गोप, हरि साधन मजूमदार, माणिक डे और सुब्रत डे ने बिना किसी कारण के 'शबाल' से चोट पहुंचाकर अजीत दास की हत्या की है । वह उन ग्राहकों के नाम बताने में असमर्थ था जिनसे उसे इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई थी ।

26. रतन दास (अभि. सा. 18) भी अपीलार्थी अपु रानी दास का एक नातेदार है । उसने भी यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना से एक/दो सप्ताह पश्चात् एक दिन वह अपु रानी दास के साथ कथलतली बाजार गया था और वहां वह एक चाय की दुकान पर बैठा था । वहां उन्होंने कुछ ग्राहकों को यह कहते सुना कि उन व्यक्तियों में, जिन्होंने अजीत दास की, उसे चोर समझकर हत्या की थी, अन्य बदमाशों के साथ नन्तु गोप और राकेश साहा भी सम्मिलित थे ।

27. डाक्टर सब्यसाची नाथ (अभि. सा. 24) एक न्यायालयिक विशेषज्ञ है और उन्होंने इस मामले से संबंधित पुलिस द्वारा अग्रेषित प्रदर्शों की वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

28. श्री बिस्वाजीत दास (अभि. सा. 25) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने मृतक के कब्जे से बरामद हुई कुछ वस्तुओं का अभिग्रहण किया था और साथ ही अभियुक्त व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया था । उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उपलब्ध साक्षियों की परीक्षा की थी और उनके कथनों को लेखबद्ध किया था तथा अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् उसने दंड संहिता की धारा 302/120ख के अधीन पांच अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया था ।

29. डा. देबाशीष पॉल (अभि. सा. 26) एक चिकित्सा अधिकारी है जिसने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी ।

30. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के परिशीलन पर यह प्रकट होता है कि अभि. सा. 17 और अभि. सा. 18 ने यह कथन किया है कि घटना के कुछ दिनों के पश्चात् वे कथलतली बाजार गए थे और वहां उन्होंने लोगों को यह कहते सुना था कि राकेश साहा, नन्तु गोप, हरि साधन मजूमदार, माणिक डे और सुब्रत डे ने बिना किसी कारण के 'शबाल' से चोट पहुंचाकर अजीत दास की हत्या की है । हमारे अनुसार अभि. सा. 17 और अभि. सा. 18 का साक्ष्य पूर्णतया अनुश्रुत बात है और बिना किसी सारवान् पुष्टि के यह साक्ष्य अनुज्ञेय नहीं है ।

31. हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्रियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और उसमें हमें ऐसा कोई भी कथन नहीं मिला जो अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों को इस मामले से जोड़ सके । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त करके कोई गलती या त्रुटि नहीं की है और उन्होंने यह अभिनिर्धारित करके ठीक किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा है ।

32. तद्नुसार वर्तमान अपील में इस न्यायालय द्वारा यह अपेक्षित नहीं है कि वह विद्वान् सेशन न्यायाधीश, गोमती जिला, उदयपुर द्वारा वर्ष 2015 के मामला सं. एसटी 40 (जीटी/यू) में पारित तारीख 10 जुलाई, 2018 के दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश में कोई हस्तक्षेप करे और हमारे द्वारा उक्त निर्णय की अभिपुष्टि की जाती है ।

तद्नुसार अपील खारिज की जाती है ।

मामले के अभिलेखों को निचले न्यायालय में भेज दिया जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

उत्तम देब

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 23)

तारीख 27 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति एस. तालापात्रा

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 420 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – छल – अभियुक्त द्वारा उच्चतर ब्याज का लालच देकर कपटवचन द्वारा शिकायतकर्ता से अनेक बार एक गैर-बैंककारी कंपनी में उसके और उसके कुटुंब के सदस्यों के नाम पर निवेश करने के लिए धनराशि प्राप्त किया जाना – शिकायतकर्ता या उसके कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा निवेश संबंधी किसी प्ररूप पर हस्ताक्षर न किया जाना – अभियुक्त द्वारा कभी भी प्राप्त धनराशि की पावती जारी न किया जाना – शिकायत दर्ज करने में विलंब होना – पीड़ितों के बयानों को घटना के काफी समय पश्चात् लेखबद्ध किया जाना – शिकायतकर्ता के कथनों में गैर-बैंककारी कंपनी की विद्यमानता के संबंध में विरोधाभास होना – आपराधिक मन:स्थिति स्थापित करने में असफल रहना – अत: अभियुक्त के माध्यम से धन के निवेश के अभिकथनों के संदेहास्पद होने, शिकायत दर्ज करने और तदुपरांत पीड़ितों के बयानों को लेखबद्ध करने में विलंब होने और आपराधिक मानसिकता सिद्ध न होने के कारण अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित छल को सुसंगत संदेह से परे स्थापित नहीं किया जा सका है इसलिए अभियुक्त संदेह का लाभ दिए जाने का हकदार है ।

अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची के विरुद्ध अभियोजन को रंगालाल सूत्रधार नामक व्यक्ति द्वारा फाइल की गई एक शिकायत (प्रदर्श-1) के आधार पर आरंभ किया गया

था जिसमें शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 17 सितंबर, 2010 को याची को 15,000/- रुपए दिए थे और उसने उसे यह 15,000/- रुपए देने हेतु यह कथन करके उत्प्रेरित किया था कि उक्त धन का निवेश युनिपे 2यू, जो एक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी है, में किया जाएगा और उक्त धन का संदाय साक्षियों की उपस्थिति में किया गया था । पुन: उक्त शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी श्रीमती ब्यूटी सूत्रधार के नाम पर उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में निवेश करने हेतु 30,000/- रुपए की एक राशि का संदाय याची को किया था । शिकायतकर्ता के अनुसार याची को उक्त राशियों का संदाय साक्षियों की उपस्थिति में किया गया था । पुन: तारीख 30 दिसंबर, 2010 को शिकायतकर्ता ने याची को 15,000/- रुपए की एक अन्य राशि का संदाय साक्षियों की उपस्थिति में किया था ताकि उक्त राशि को उसकी पत्नी के नाम पर उक्त कंपनी में जमा किया जा सके । अंत में तारीख 13 फरवरी, 2011 को शिकायतकर्ता ने याची को 30,000/- रुपए की एक अन्य राशि का भी संदाय किया था जिसे उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में उसकी पुत्री, अर्थात् पद्मा सूत्रधार के नाम पर जमा किया जाना था । उसी रीति में शिकायतकर्ता ने याची के माध्यम से उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में कुल 1,20,000/- रुपए का निवेश किया था । उसके पश्चात् शिकायतकर्ता को उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, 'यूनिपे 2यू के कार्यालय' से यह ज्ञात हुआ कि याची ने उक्त रकम का निवेश उक्त कंपनी में नहीं किया था हालांकि उसने शिकायतकर्ता से यह पूरी रकम प्राप्त कर ली थी । इस प्रकार, कपट वंचित किए जाने पर रंगालाल सूत्रधार ने उक्त शिकायत फाइल की थी । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 3 जनवरी, 2015 के निर्णय द्वारा याची को दंड संहिता की धारा 420 के अधीन सिद्धदोष ठहराया । याची ने तारीख 3 जनवरी, 2015 के दोषसिद्धि के उक्त निर्णय से व्यथित होकर सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर के न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (3) के अधीन एक अपील फाइल की थी । अपीली न्यायालय ने अपने तारीख 16 मार्च, 2016 के निर्णय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया

तथा तारीख 3 जनवरी, 2015 के उक्त निर्णय की अभिपुष्टि की । अपीली न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर याची ने उच्च न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष के मामले को एक शिकायत के आधार पर आरंभ किया गया था । घटना के काफी लंबे समय पश्चात् पुलिस थाने द्वारा पीड़ित व्यक्ति के कथनों को लेखबद्ध किया गया । समीक्षा किए जाने पर स्वयं शिकायत में ऐसी कोई एक पंक्ति भी उपलब्ध नहीं पाई गई कि याची ने इस प्रकार का कोई कथन किया है कि उसने यूनिपे 2यू में धन का निवेश किया था और उससे उच्च ब्याज दर के रूप में अधिक आय प्राप्त होगी । उस समय भी जब अभि. सा. 1 के कथन को अन्वेषण के दौरान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन) लेखबद्ध किया गया था, तब भी उसने अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) के समक्ष इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया था कि याची ने उसके समक्ष इस प्रभाव का कोई उत्प्रेरण प्रस्तुत किया था । उसी अभि. सा. 1 ने विचारण के दौरान यह कथन किया है कि उसने कंपनी के संबंध में जांच-पड़ताल की थी किंतु उस जांच-पड़ताल से यह बात प्रकट हुई कि यूनिपे 2यू नामक कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अस्तित्व में नहीं है । किंतु अभि. सा. 1 ने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके पश्चात् जब वह यूनिपे 2यू मार्केटिंग प्रा. लि. कंपनी के कार्यालय गया था और उसने यह पूछताछ की थी तो उसे यह पता चला था कि याची ने उसके द्वारा यूनिपे 2यू में निवेश हेतु उसे दिए गए धन को कंपनी में जमा नहीं किया था । इस प्रकार के विरोधी कथनों के कारण अभि. सा. 1 की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करना भी अत्यंत कठिन है कि कोई व्यक्ति किसी अभिकर्ता के माध्यम से बिना कोई पावती या कोई अन्य करार संबंध दस्तावेज प्राप्त किए बिना धन जमा करता रहा । कोई भी करार जमाकर्ता या निवेशकर्ता के हस्ताक्षर के बिना पूरा नहीं हो सकता । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि न तो उसने स्वयं और न ही उसकी पत्नी और न ही उसकी पुत्री ने किसी

दस्तावेज पर कोई हस्ताक्षर किए थे । इस प्रकार याची के माध्यम से इस प्रकार धन निवेश किए जाने की कहानी गंभीर संदेहों से ग्रसित प्रतीत होती है और इस प्रकार इसका फायदा याची को देना होगा । अभि. सा. 9 इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है और उसने अन्वेषण के दौरान सभी अभियोजन साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया था । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 8 ने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्‌वारा लेखबद्ध किए गए उनके कथनों से पूर्णतया विचलित होकर याची की दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए अपने कथनों में अतिश्योक्तियों को सम्मिलित किया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि धन का संदाय करने के लिए उत्प्रेरित किए जाने या संदाय किए गए धन की पावती की मांग किए जाने या याची द्‌वारा धन को वापस करने से इनकार किए जाने संबंधी तथ्यों का उसके समक्ष कभी भी कथन नहीं किया गया था । इस प्रकार ये सभी परिसाक्ष्य संदेह के घेरे में आ जाते हैं । इस प्रकार, इस घटना का सामूहिक प्रभाव यह है कि याची वर्तमान मामले में फायदे का हकदार है क्योंकि यह दर्शित करने के लिए कोई विधिक साक्ष्य विद्‌यमान नहीं है कि संव्यवहार के प्रारंभ से ही बेईमान आशय विद्‌यमान था या धन का परिदान उत्प्रेरण के अधीन किया गया था । याची द्‌वारा किए गए 'छल' को सुसंगत संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है । यहां तक कि आपराधिक मानसिकता के घटक को भी दर्शित नहीं किया गया है । वर्तमान मामले में संव्यवहार के प्रारंभ के समय इस प्रकार के कपटपूर्वक या बेईमान उत्प्रेरण को अभियोजन पक्ष द्‌वारा भली-भांति साबित नहीं किया गया है । इसके परिणामस्वरूप दंड संहिता की धारा 420 के अधीन की गई याची की दोषसिद्धि हस्तक्षेप किए जाने के लिए दायी है और तद्‌नुसार उसे समाप्त किया जाता है । विचारण न्यायाधीश द्‌वारा 2011 के पीआरसी 616 ने परिदत तारीख 3 जनवरी, 2015 के निर्णय की पुष्टि करते हुए 2015 की दांडिक अपील सं. 5 (1) में दिए गए तारीख 16 मार्च, 2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । इसी कारणवश तारीख 3 जनवरी, 2015 का निर्णय और आदेश भी

अभिखंडित हो जाएगा । इसके परिणामस्वरूप याची को संदेह का लाभ देते हुए दंड संहिता की धारा 420 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । चूंकि याची जमानत पर है । इसलिए उसकी प्रतिभूतियों को उनकी संबद्ध बाध्यताओं से उन्मोचित किया जाता है । ऊपर दिए गए कारणों और किए गए संप्रेक्षणों के आधार पर याचिका को मंजूर किया जाता है । (पैरा 19, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2009]	(2009) 7 एस. सी. सी. 712 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 3462 (एस. सी) : **हरमनप्रीत सिंह आहलुवालिया और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	20
[2005]	(2005) 10 एस. सी. सी. 336 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2004 एस. सी. 73 : **उमाशंकर गोपालिका** बनाम **बिहार राज्य और अन्य** ;	7
[2005]	(2005) 13 एस. सी. सी. 699 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2005 एस. सी 178 : **मुरारी लाल गुप्ता** बनाम **गोपी सिंह** ;	16
[2003]	(2003) 3 एस. सी. सी. 11 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1069 : **अजय मित्रा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य** ;	16
[1998]	(1998) 4 एस. सी. सी. 494 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2864 : **मोहम्मद इकबाल एम. शेख और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ।	15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 23.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर द्वारा वर्ष 2015 की दांडिक अपील सं. 05(1) में तारीख 16 मार्च, 2016 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण याचिका ।

याचियों की ओर से सर्वश्री एस. बी. देब और एस. सरकार

प्रत्यर्थी की ओर से एस. देबनाथ, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति एस. तालापात्रा – याची ने जो दोषसिद्ध अपराधी है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, उदयपुर, गोमती त्रिपुरा द्वारा वर्ष 2011 के मामला सं. पीआरसी 616 में दिए गए उस निर्णय और आदेश को, जिसके द्वारा उसे सिद्धदोष ठहराया गया था, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल करके चुनौती दी है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के अधीन फाइल की गई है और उक्त दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश तथा दंडादेश को अपर सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर द्वारा वर्ष 2015 की दांडिक अपील सं. 05(1) में पारित निर्णय और आदेश द्वारा सही ठहराया गया था ।

2. याची के विरुद्ध अभियोजन को रंगालाल सूत्रधार नामक व्यक्ति द्वारा फाइल की गई एक शिकायत (प्रदर्श-1) के आधार पर आरंभ किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 17 सितंबर, 2010 को याची को 15,000/- रुपए दिए थे और उसने उसे यह 15,000/- रुपए देने हेतु यह कथन करके उत्प्रेरित किया था कि उक्त धन का निवेश युनिपे 2यू, जो एक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी है, में किया जाएगा और उक्त धन का संदाय साक्षियों की उपस्थिति में किया गया था । पुन: उक्त शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी श्रीमती ब्यूटी सूत्रधार के नाम पर उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में निवेश करने हेतु 30,000/- रुपए की एक राशि का संदाय याची को किया था । शिकायतकर्ता के अनुसार याची को उक्त राशियों का संदाय साक्षियों की उपस्थिति में किया गया था । पुन: तारीख 30 दिसंबर, 2010 को शिकायतकर्ता ने याची को 15,000/- रुपए की एक अन्य राशि का संदाय साक्षियों की उपस्थिति में किया था ताकि उक्त राशि को

उसकी पत्नी के नाम पर उक्त कंपनी में जमा किया जा सके । अंत में तारीख 13 फरवरी, 2011 को शिकायतकर्ता ने याची को 30,000/- रुपए की एक अन्य राशि का भी संदाय किया था जिसे उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में उसकी पुत्री, अर्थात् पद्मा सूत्रधार के नाम पर जमा किया जाना था । उसी रीति में शिकायतकर्ता ने याची के माध्यम से उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में कुल 1,20,000/- रुपए का निवेश किया था । उसके पश्चात् शिकायतकर्ता को उक्त गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी, 'यूनिपे 2यू के कार्यालय' से यह ज्ञात हुआ कि याची ने उक्त रकम का निवेश उक्त कंपनी में नहीं किया था हालांकि उसने शिकायतकर्ता से यह पूरी रकम प्राप्त कर ली थी । इस प्रकार, कपट वंचित किए जाने पर रंगालाल सूत्रधार ने उक्त शिकायत फाइल की थी ।

3. उक्त शिकायत के आधार पर, जिसे काकराबन पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तारीख 21 सितंबर, 2011 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 420 के अधीन वर्ष 2011 का मामला सं. 157 रजिस्टर किया गया था । अन्वेषण के पूरा हो जाने के पश्चात् अंतिम पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई और उसके द्वारा याची को दंड संहिता की धारा 420 के अधीन विचारण का सामना करने हेतु भेजा गया । जब न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने पर दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए याची के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए तो याची ने आरोप से इनकार किया और उसने विधि के अनुसार विचारण किए जाने का दावा किया । अभिलेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभियोजन ने 9 (नौ) साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और साथ ही कुछ दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श-1 से प्रदर्श-3) भी प्रस्तुत किए । अभियोजन साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किए जाने के पश्चात् याची की भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई जिसमें याची ने अपने निर्दोष होने के अभिवाक् को दोहराया । याची ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार,

अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 3 जनवरी, 2015 के निर्णय द्वारा याची को दंड संहिता की धारा 420 के अधीन सिद्धदोष ठहराया और उसने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया :-

> "वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभियुक्त ने बेईमानी के आशय से भिन्न-भिन्न तारीखों को शिकायतकर्ता से धन प्राप्त किया था और उसे एक विशिष्ट कंपनी में निक्षेप करने का वचन भी दिया था किंतु वह उक्त रकम को जमा कराने में असफल रहा था और इस प्रकार उसने छल किया है । इस मामले में सभी अभियोजन साक्षियों द्वारा अकाट्य और पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करके यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त एक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू का एक ज्ञात अभिकर्ता था और अभियुक्त ने विभिन्न व्यक्तियों से धन को उक्त कंपनी में जमा कराने के लिए प्राप्त किया था, किंतु उसने उक्त धन को कंपनी में जमा नहीं किया था और इसलिए यह प्राकृतिक और विश्वसनीय है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से उक्त प्रयोजन के लिए धन प्राप्त किया था और वह उसे जमा करने में असफल रहा था । इसके अतिरिक्त, हमारे वर्तमान समाज में यह एक सामान्य जानकारी है कि अनेक अभिकर्ता भिन्न-भिन्न प्रकार की पॉलिसियां आरंभ करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों से धन एकत्रित करने का कारबार कर रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में यह तथ्य युक्तियुक्त और विश्वसनीय हो जाता है कि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता से कंपनी के नाम पर धन प्राप्त किया था और जैसा कि अभियोजन साक्षियों द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है वह उसे कंपनी के पास जमा करने में असफल रहा था ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

4. विचारण न्यायाधीश ने भी अपने इस आशय के निष्कर्षों को लेखबद्ध किया है कि अभियोजन ने शिकायत (प्रदर्श-1) में किए गए

अभिकथनों को साबित किया है । यह पाया गया है कि शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को श्री संध्या मोहन दत्ता (अभि. सा. 7) और हरीपद पॉल (अभि. सा. 3) के साक्ष्यों से अभिपुष्टि प्राप्त हुई है । विचारण न्यायाधीश के अनुसार इंद्रजीत देबनाथ (अभि. सा. 6) ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । विचारण न्यायाधीश ने यह भी संप्रेक्षण किया है कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने में हुआ विलंब अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता याची द्वारा दिए गए आश्वासन पर अपने धन को वापस प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा कर रहा था । जब यह आश्वासन निरर्थक सिद्ध हुआ उस समय यह शिकायत फाइल की गई । याची को मूलभूत रूप से ऊपर उद्धृत किए गए संप्रेक्षणों के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है ।

5. याची ने तारीख 3 जनवरी, 2015 के दोषसिद्धि के उक्त निर्णय से व्यथित होकर सेशन न्यायाधीश, गोमती न्यायिक जिला, उदयपुर के न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (3) के अधीन एक अपील फाइल की थी जो वर्ष 2015 की दांडिक अपील सं. 5(1) के रूप में संख्यांकित है । अपील का अवधारण करने हेतु उक्त अपील को अपर सेशन न्यायाधीश, उदयपुर के न्यायालय को अंतरित किया गया और उक्त न्यायालय ने अपने तारीख 16 मार्च, 2016 के निर्णय द्वारा उक्त अपील को खारिज कर दिया तथा तारीख 3 जनवरी, 2015 के उक्त निर्णय की अभिपुष्टि की । तारीख 16 मार्च, 2016 के उक्त निर्णय में अपीली न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि वर्तमान मामले में हालांकि शिकायतकर्ता द्वारा याची को किए गए संदायों के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत विद्यमान नहीं हैं किंतु धन के संदाय के तथ्य को अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 8 के परिसाक्ष्यों द्वारा साबित किया गया है । अतः उक्त पुष्टिकारक साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है । साक्ष्य के परिशीलन पर यह भी प्रकट होता है कि साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान उन साक्षियों (अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 8) के कथनों पर कोई प्रश्न-चिह्न नहीं लगाया जा सका था और उनके कथन उसी प्रकार बने रहे

जिस प्रकार उनका कथन मुख्य परीक्षा के दौरान किया गया था । अपीली न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि की है कि शिकायत फाइल करने में हुआ विलंब अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है और इस प्रकार दंड संहिता की धारा 420 के अधीन की गई दोषसिद्धि किसी भी प्रकार की दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और दंड संहिता की धारा 415 के अधीन यथा परिभाषित 'छल' को पूर्णतया साबित किया गया है ।

6. अपीली न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि याची के 'आचार' में उसके बेईमान आशय को इस संव्यवहार के प्रारंभ से ही सिद्ध किया गया है और इस प्रकार कपट वंचित संबंधी उत्प्रेरण दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दोषसिद्धि को आकर्षित करने के लिए भलीभांति स्थापित किया गया है । वर्तमान याची ने, जैसा कि पूर्व में कथन किया गया है, अपील में पारित तारीख 16 मार्च, 2016 के उक्त निर्णय को चुनौती दी है ।

7. श्री एस. बी. देब और एस. सरकार, याची के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों ने संक्षिप्त रूप से यह दलील प्रस्तुत की है कि दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध को गठित करने वाले मूलभूत कारकों को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया जा सका है और यह भी कि यह तथ्य सुस्थापित है कि संविदा का प्रत्येक उल्लंघन छल के अपराध को गठित नहीं करता है और संविदा के उल्लंघन के केवल ऐसे मामले छल को गठित करते हैं जहां प्रारंभ से ही कोई प्रवंचना की गई हो । यदि छल करने का आशय किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर उद्भूत हुआ है तो उसे छल नहीं कहा जा सकता । **उमाशंकर गोपालिका** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1]

8. याची के विद्वान् काउंसेल ने शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्यों को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि यूनिपे 2यू नामक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को दंड संहिता की धारा 420 के अधीन छल करने का अपराध करने हेतु आरोपित नहीं किया गया है । अभि. सा. 1 ने इस

[1] (2005) 10 एस. सी. सी. 336 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2004 एस. सी. 73.

बात पर बल दिया है कि वह अनेक अवसरों पर धन की पावती प्राप्त करने के लिए याची के घर गया था किंतु याची ने उसे सदैव यह उत्तर दिया कि उसने अभी तक प्रिंटर का क्रय नहीं किया है और इसलिए वह प्राप्त हुई रकम के प्रति धन की पावती नहीं दे सकता । याची ने यह भी कथन किया था कि मूल रकम के साथ ब्याज की रकम भी शिकायतकर्ता के खाते में अंतरित की जाएगी किंतु ऐसा नहीं हुआ । उसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने निम्नलिखित कथन किया :-

> "मैंने कंपनी के बारे में भी जांच-पड़ताल की किंतु मेरी जांच-पड़ताल से यह प्रकट हुआ कि यूनिपे 2यू नामक कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अस्तित्व में नहीं है ।"

उक्त कंपनी के नाम से याची ने शिकायतकर्ता के साथ छल किया है । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के पूर्व कथन में याची द्वारा उत्प्रेरणा से संबंधित कोई उल्लेख विद्यमान नहीं था । हालांकि अभि. सा. 1 ने इस बात पर जोर दिया है कि उसने पुलिस अधिकारी के समक्ष किस प्रभाव का कथन किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 ने निम्नानुसार कथन किया :-

> "यह सत्य है कि आशीष दत्ता, हरीपद पॉल, इन्द्रजीत देबनाथ, सिब शंकर देबनाथ, अलीकुल लस्कर और कनु शिल मेरे पड़ोसी हैं । यह भी सत्य है कि जब कोई नया खाता खोला जाता है तो उस समय निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर आज्ञापक हैं । यह भी सत्य है कि ना तो मैंने या मेरी पत्नी और न ही मेरी पुत्री ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू के किसी प्ररूप पर अपने हस्ताक्षर किए हैं । यह सत्य नहीं है कि तारीख 20 फरवरी, 2010 को मैंने ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्ति को मेरी पुत्री और मेरी पत्नी के खाते में बराबर-बराबर रकम जमा करने के लिए 60,000/- रुपए का संदाय नहीं किया था । यह सत्य है कि तारीख 30 दिसंबर, 2010 को जब मैं अलीकुल लस्कर और सिब शंकर देबनाथ के साथ ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्ति के घर गया था और ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्ति को 15,000/- रुपए का संदाय किया था जिसे उसके द्वारा मेरी पत्नी के खाते में जमा किया

जाना था, उस समय भी मैंने उक्त कंपनी के किसी प्ररूप पर हस्ताक्षर नहीं किए थे । यह सत्य नहीं है कि मैं अलीकुल लस्कर और सिब शंकर देबनाथ के साथ अभियुक्त व्यक्ति के घर नहीं गया था और मैंने अभियुक्त व्यक्ति को मेरी पत्नी श्रीमती ब्यूटी सूत्रधार के खाते में जमा करने के लिए 15,000/- रुपए की रकम का संदाय नहीं किया था ।"

याची के काउंसेल ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता ने याची के पास 30,000/- रुपए जमा कराने का दावा किया है किंतु उसे मूल रकम के साथ कोई ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था । अपनी प्रतिपरीक्षा में अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि तारीख 17 सितंबर, 2010 को उसने यह देखा था कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त व्यक्ति को 15,000/- रुपए का संदाय किया है ।

9. याची के काउंसेल के अनुसार हरीपद पॉल (अभि. सा. 3) ने साधारण रूप से यह कथन किया है कि शिकायतकर्ता ने याची को 30,000/- रुपए का संदाय किया था जिसे याची द्वारा उसके खाते में जमा किया जाना था । स्वयं उसने भी याची को अपने नाम से धनराशि जमा करने के लिए 18,000/- रुपए का संदाय किया था । प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा को कुछ हासिल नहीं हो सका था । किंतु याची के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यदि अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उसमें संव्यवहार के प्रारंभ से किसी प्रकार का उत्प्रेरण प्रतीत नहीं होता है और न ही उसमें परिदत्त किए जाने संबंधी कोई वचन अंतर्वलित हैं ।

10. कनु चंद्रा शिरी (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि सितंबर, 2010 में उसने याची को पूर्वोक्त कंपनी में उसके स्वयं के नाम पर धनराशि जमा करने हेतु 18,000/- रुपए का संदाय किया था । किंतु याची ने उसे उसके द्वारा इस प्रकार दिए गए धन की कोई पावती उपलब्ध नहीं कराई थी । जब उसने धन की पावती के लिए जोर दिया तो याची ने उसे यह आश्वासन दिया कि उसका मूलधन ब्याज सहित उसके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा किंतु वह धन कभी भी खाते में जमा नहीं किया गया ।

11. सिब शंकर देबनाथ (अभि. सा. 5) ने विचारण के दौरान यह कथन किया है कि एक दिन याची उसके घर आया था और उसने उससे यह अनुरोध किया था कि वह उसकी कंपनी में धन का निक्षेप करे किंतु उसे याची की बात पर विश्वास नहीं हुआ था । तदुपरांत एक दिन अभि. सा. 1 ने उससे यह अनुरोध किया कि वह उसके साथ याची के घर तक चले । उसने अनुरोध को स्वीकार किया और वह अभि. सा. 1 के साथ याची के घर गया । वहां उसकी उपस्थिति में अभि. सा. 1 ने याची को 15,000/- रुपए का संदाय किया और उसके पश्चात् पुन: तारीख 30 दिसंबर, 2010 को अभि. सा. 1 ने उसकी उपस्थिति में 30,000/- रुपए का संदाय याची को किया था किंतु इस प्रकार दिए गए धन के संबंध में यह कथन करते हुए कोई पावती उपलब्ध नहीं कराई थी कि उसने प्रिंटर का क्रय नहीं किया था ।

12. इंद्रजीत देबनाथ (अभि. सा. 6) ने भी अपनी पुत्री प्रियंका देबनाथ के नाम से खाता खोले जाने के प्रयोजन हेतु याची को 60,000/- रुपए का संदाय किया था । जब दो माह पश्चात् अभि. सा. 6 ने याची से धन की पावती देने का अनुरोध किया तो उसने यह कथन किया कि धन जमा करने की अवधि पूरा होने पर मूल धन और ब्याज उसके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा ।

13. संध्या मोहन दत्ता (अभि. सा. 7) ने विचारण के दौरान यह कथन किया था कि उसने अभि. सा. 1 द्वारा श्रुतलेख दिए जाने पर शिकायत को लेखबद्ध किया था । अभि. सा. 8 ने विचारण के दौरान यह परिसाक्ष्य दिया है कि याची एक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी युनिपे 2यू का अभिकर्ता था और उसने रंगालाल सूत्रधार (अभि. सा. 1) से उसकी उपस्थिति में दिसंबर, 2010 माह में निक्षेप स्वीकार किए थे । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने उसके द्वारा मुख्य परीक्षा में किए गए कथन की प्रतिकूल बात का सुझाव दिए जाने पर उससे इनकार किया ।

14. रंजीत दास (अभि. सा. 9) पुलिस थाना काकराबन का पुलिस उप-निरीक्षक है जो सुसंगत समय पर उक्त थाने में तैनात था और उसने इस बात का संक्षिप्त में उल्लेख किया है कि उसने यह मामला उसे सौंपे जाने पर अपना अन्वेषण किस प्रकार पूरा किया । उसने यह भी कथन

किया है कि उसने अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की थी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के अनुक्रम में निम्नानुसार परिसाक्ष्य दिया है :–

> "श्री रंगालाल सूत्रधार (अभि. सा. 1) ने मेरे समक्ष यह कथन नहीं किया था कि वर्ष 2010 में एक दिन उत्तम देब उसके घर आया और उससे यह अनुरोध किया कि वह गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में एक खाता खोल ले जिसमें उसे ब्याज की उच्च दर प्राप्त होगी । अभि. सा. 1 ने मेरे समक्ष यह भी कथन नहीं किया कि उसके 5 दिन पश्चात् वह ऊपर उल्लिखित अभियुक्त व्यक्ति के घर गया था और उसे उसके द्वारा दिए गए 15,000/- रुपए की उक्त धनराशि के लिए पावती देने का अनुरोध किया था जिस पर उसने उसे 1,00,000/- रुपए की रकम जमा करने हेतु कहा था और यह भी कहा था कि उसके पश्चात् ही उसे समुचित धन पावती प्राप्त होगी । अभि. सा. 1 ने मेरे समक्ष यह कथन भी नहीं किया कि वह अनेक अवसरों पर ऊपर नामक अभियुक्त व्यक्ति के घर गया था और उसने उसे संदत्त धनराशि के लिए पावती देने का अनुरोध किया था और उसने हर बार यह बहाना बनाया था कि उसने अभी तक प्रिंटर का क्रय नहीं किया है और इसलिए वह पूर्वोक्त धन के संबंध में पावती देने में असमर्थ था और अभि. सा. 1 ने अनेक अवसरों पर उससे अपने खाता संख्यांक के संबंध में जानकारी मांगी थी जिस पर उत्तम देब ने उसे यह कहा था कि उसके खाते में मूलधन को ब्याज सहित अंतरित कर दिया जाएगा किंतु उस तारीख तक उसे न तो कोई ब्याज प्राप्त हुआ था और न ही अपना मूलधन और उसने उसे यह भी कहा था कि अभी वह उसे उसका मूलधन लौटाने में भी असमर्थ था क्योंकि कंपनी ने उसे अभी तक वह धन उपलब्ध नहीं कराया है तथा उसने कंपनी के बारे में भी जांच-पड़ताल की किंतु उसकी जांच-पड़ताल से यह प्रकट हुआ कि यूनिपे 2यू नामक कोई गैर-बैककारी वित्तीय कंपनी विद्यमान नहीं थी ।"

अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि :–

"श्री आशीष दत्ता (अभि. सा. 2) ने मेरे समक्ष यह कथन नहीं किया था कि उसने पलताना में उत्तम देब को गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू के अभिकर्ता के रूप में देखा था । अभि. सा. 2 ने मेरे समक्ष यह कथन भी नहीं किया कि उपरोक्त कंपनी के नाम पर ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्ति को 30,000/- रुपए की रकम का संदाय करने के पश्चात् उसने यह वचन दिया था कि उसका मूलधन उस पर ब्याज सहित उसके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा । अभि. सा. 2 ने मेरे समक्ष यह कथन भी नहीं किया कि तारीख 17 सितंबर, 2010 को वह वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता के साथ धूचिखोला स्थित ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्ति के घर गया था और उसने शिकायतकर्ता को, उसके नाम पर गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू में खाता खोलने और उसमें जमा करने के लिए ऊपर नामित अभियुक्त व्यक्ति को 15,000/- रुपए का संदाय करते हुए देखा था जिस पर अभियुक्त व्यक्ति ने यह भी वचन दिया कि शिकायतकर्ता को उसके खाते में उसका मूलधन ब्याज सहित प्राप्त हो जाएगा ।"

इसके अतिरिक्त अभि. सा. 9 ने निम्नानुसार कथन किया है :-

"हरीपद पॉल (अभि. सा. 3) ने मेरे समक्ष यह कथन नहीं किया कि जब उसने अभियुक्त से धन की पावती के लिए आग्रह किया था तो उसने उसे यह वचन दिया था कि मूलधन और साथ ही ब्याज भी उसके खाते में अंतरित कर दिया जाएगा और उसने अभियुक्त को अपना खाता संख्यांक और साथ ही पैन कार्ड भी उपलब्ध कराया था । अभि. सा. 3 ने मेरे समक्ष यह कथन भी नहीं किया कि उसके साथ और साथ ही आशीष दत्ता, रंगालाल सूत्रधार, सिब शंकर देबनाथ, कनु शिल और अन्य व्यक्तियों के साथ ऊपर नामित अभियुक्त ने पूर्वोक्त कंपनी के नाम पर धन लेकर छल किया था और उसके पश्चात् उसने उनसे कोई रकम प्राप्त किए जाने से इनकार कर दिया । कनु शिल (अभि. सा. 4) ने मेरे समक्ष यह कथन नहीं किया कि अभियुक्त ने उसे दी गई उक्त रकम के संबंध में कोई धन पावती नहीं दी कि और पूछे

जाने पर उसने यह कहा था कि मूलधन की रकम ब्याज सहित उसके निजी बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी । श्री अलीकुल लस्कर (अभि. सा. 8) ने मेरे समक्ष यह कथन नहीं किया कि उसने उत्तम देब से उसके द्वारा जमा की गई धनराशि को वापस मांगा था किंतु उसने उसका धन वापस नहीं किया था ।"

अत: याची के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियोजन का वह पक्षकथन, जिसके आधार पर दोषसिद्धि की गई है, अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य से संदेह के घेरे में आ गया है ।

15. याची के विद्वान् काउंसेल ने **मोहम्मद इकबाल एम. शेख और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह प्रतिवाद किया कि जब अभियोजन पक्षकथन के एक सारवान् आधार के संबंध में अतिशयोक्तियां विद्यमान हों तो न्यायालय ऐसी अतिशयोक्तियों का अवलंब नहीं ले सकता जो साक्षियों की विश्वसनीयता पर आघात करती हों । याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि याची के विरुद्ध उसे दंड संहिता की धारा 420 के अधीन सिद्धदोष ठहराने के लिए कोई विधिक साक्ष्य विद्यमान नहीं है ।

16. **मुरारी लाल गुप्ता** बनाम **गोपी सिंह**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक परिदान के साथ कपटपूर्वक या बेईमान उत्प्रेरण विद्यमान न हो तब तक आपराधिक कार्य को संपत्ति के परिदान के प्रति 'बेईमान उत्प्रेरण के माध्यम से छल करना' नहीं माना जा सकता । इस प्रकार के बेईमान आशय को केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से साबित किया जा सकता है या उसे ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से भी साबित किया जा सकता है जिससे कोई युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता हो । इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को, जिसे छलपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति का परिदान करने के लिए मनाया गया है, ऐसा करने हेतु उत्प्रेरित किए

---

[1] (1998) 4 एस. सी. सी. 494 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2864.

[2] (2005) 13 एस. सी. सी. 699 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2005 एस. सी. 178.

जाने के समय आपराधिक मन:स्थिति दंड संहिता की धारा 420 के अधीन दंडनीय अपराध को गठित करने के लिए एक अनिवार्य घटक है । **अजय मित्रा** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[1] ।

17. दूसरे पक्ष की ओर से श्री एस. देबनाथ विद्वान् अपर लोक अभियोजक प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए हैं और उन्होंने यह दलील दी है कि जहां तक बेईमान उत्प्रेरण और संपत्ति के परिदान का संबंध है तो इन कारकों को मौखिक साक्ष्य के माध्यम से स्थापित कर दिया गया है । याची ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी यूनिपे 2यू के नाम पर धन एकत्रित किया था और यह बताया था कि उक्त धन का इस प्रकार निवेश किया जाएगा जिससे ब्याज के माध्यम से उस पर उच्चतर आय प्राप्त हो सके । इस मामले में अत्यंत चकित करने वाली बात यह है कि उक्त कंपनी के संबंध में यह पाया गया था कि वह विद्यमान नहीं है । श्री देबनाथ, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं विचारण के दौरान परिसाक्ष्य देने हेतु सामने आए हैं और उनके परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि याची उच्च ब्याज दर का लालच देकर उक्त कंपनी में निवेश किए जाने के बहाने से इस प्रकार धन एकत्रित कर रहा था । इसके अतिरिक्त, उसने न तो किसी व्यक्ति को धन की पावती प्रदान की और न ही उसने किसी अन्य प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज प्रदान किया जिसमें ऐसे निवेश की शर्तें अधिकथित की गई हों । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रारंभ से ही याची का मानसिक आशय शिकायतकर्ता और अन्य पीड़ित व्यक्तियों को धोखा देना था । इस प्रकार दोनों विचारण न्यायालयों द्वारा अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य का मूल्यांकन किया गया है और इस प्रकार अपीली न्यायालय ने बिना किसी त्रुटि के विचारण न्यायालय के, याची द्वारा इस प्रकार जान-बूझकर किए गए ऐसे गंभीर अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने के निष्कर्षों के संबंध में यह पाया था कि वे किसी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं हैं ।

18. पक्षकारों के काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने

[1] (2003) 3 एस. सी. सी. 11 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1069.

और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष 3 अनिवार्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, अर्थात् :-

(i) क्या उत्प्रेरणा के संबंध में कोई विधिक साक्ष्य विद्यमान है ?

(ii) क्या मानवीय व्यवहार के अनुक्रम में इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि बिना किसी पावती या उच्च ब्याज दर के किसी करार के बिना संदाय किया गया है ? और

(iii) क्या अभि. सा. 9 द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा में दिए गए साक्ष्य ने अभियोजन पक्षकथन के संपूर्ण ताने-बाने को असुधार्य रूप से नष्ट कर दिया है ?

19. अभियोजन पक्ष के मामले को एक शिकायत के आधार पर आरंभ किया गया था । घटना के काफी लंबे समय पश्चात् पुलिस थाने द्वारा पीड़ित व्यक्ति के कथनों को लेखबद्ध किया गया । समीक्षा किए जाने पर स्वयं शिकायत में ऐसी कोई एक पंक्ति भी उपलब्ध नहीं पाई गई कि याची ने इस प्रकार का कोई कथन किया है कि उसने यूनिपे 2यू में धन का निवेश किया था और उससे उच्च ब्याज दर के रूप में अधिक आय प्राप्त होगी । उस समय भी जब अभि. सा. 1 के कथन को अन्वेषण के दौरान (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन) लेखबद्ध किया गया था, तब भी उसने अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) के समक्ष इस प्रकार का कोई कथन नहीं किया था कि याची ने उसके समक्ष इस प्रभाव का कोई उत्प्रेरण प्रस्तुत किया था । उसी अभि. सा. 1 ने विचारण के दौरान यह कथन किया है कि उसने कंपनी के संबंध में जांच-पड़ताल की थी किंतु उस जांच-पड़ताल से यह बात प्रकट हुई कि यूनिपे 2यू नामक कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी अस्तित्व में नहीं है । किंतु अभि. सा. 1 ने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके पश्चात् जब वह यूनिपे 2यू मार्केटिंग प्रा. लि. कंपनी के कार्यालय गया था और उसने यह पूछताछ की थी तो उसे यह पता चला था कि याची ने उसके द्वारा यूनिपे 2यू में निवेश हेतु उसे दिए गए धन को कंपनी में जमा नहीं किया था । इस प्रकार के विरोधी

कथनों के कारण अभि. सा. 1 की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त, यह विश्वास करना भी अत्यंत कठिन है कि कोई व्यक्ति किसी अभिकर्ता के माध्यम से बिना कोई पावती या कोई अन्य करार संबंधी दस्तावेज प्राप्त किए बिना धन जमा करता रहा । कोई भी करार जमाकर्ता या निवेशकर्ता के हस्ताक्षर के बिना पूरा नहीं हो सकता । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि न तो उसने स्वयं और न ही उसकी पत्नी और न ही उसकी पुत्री ने किसी दस्तावेज पर कोई हस्ताक्षर किए थे । इस प्रकार याची के माध्यम से इस प्रकार धन निवेश किए जाने की कहानी गंभीर संदेहों से ग्रसित प्रतीत होती है और इस प्रकार इसका फायदा याची को देना होगा ।

20. अभि. सा. 9 इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है और उसने अन्वेषण के दौरान सभी अभियोजन साक्षियों के कथनों को लेखबद्ध किया था । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 3, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 8 ने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए उनके कथनों से पूर्णतया विचलित होकर याची की दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के लिए अपने कथनों में अतिशयोक्तियों को सम्मिलित किया है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि धन का संदाय करने के लिए उत्प्रेरित किए जाने या संदाय किए गए धन की पावती की मांग किए जाने या याची द्वारा धन को वापस करने से इनकार किए जाने संबंधी तथ्यों का उसके समक्ष कभी भी कथन नहीं किया गया था । इस प्रकार ये सभी परिसाक्ष्य संदेह के घेरे में आ जाते हैं । इस प्रकार, इस घटना का सामूहिक प्रभाव यह है कि याची वर्तमान मामले में फायदे का हकदार है क्योंकि यह दर्शित करने के लिए कोई विधिक साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि संव्यवहार के प्रारंभ से ही बेईमान आशय विद्यमान था या धन का परिदान उत्प्रेरण के अधीन किया गया था । याची द्वारा किए गए 'छल' को सुसंगत संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है । यहां तक कि आपराधिक मानसिकता के घटक को भी दर्शित नहीं किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने **हरमनप्रीत सिंह आहलुवालिया और अन्य** बनाम **पंजाब**

राज्य[1] वाले मामले में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि छल को गठित करने के लिए प्रारंभिक वचन या संविदा किए जाने के समय कपटपूर्ण या बेईमान आशय अवश्य विद्यमान होना चाहिए । वर्तमान मामले में संव्यवहार के प्रारंभ के समय इस प्रकार के कपटपूर्वक या बेईमान उत्प्रेरण को अभियोजन पक्ष द्वारा भली-भांति साबित नहीं किया गया है ।

21. इसके परिणामस्वरूप दंड संहिता की धारा 420 के अधीन की गई याची की दोषसिद्धि हस्तक्षेप किए जाने के लिए दायी है और तद्नुसार उसे समाप्त किया जाता है । विचारण न्यायाधीश द्वारा 2011 के पीआरसी 616 ने परिदत तारीख 3 जनवरी, 2015 के निर्णय की पुष्टि करते हुए 2015 की दांडिक अपील सं. 5 (1) में दिए गए तारीख 16 मार्च, 2016 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । इसी कारणवश तारीख 3 जनवरी, 2015 का निर्णय और आदेश भी अभिखंडित हो जाएगा ।

इसके परिणामस्वरूप याची को संदेह का लाभ देते हुए दंड संहिता की धारा 420 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । चूंकि याची जमानत पर है । इसलिए उसकी प्रतिभूतियों को उनकी संबद्ध बाध्यताओं से उन्मोचित किया जाता है ।

ऊपर दिए गए कारणों और किए गए संप्रेक्षणों के आधार पर याचिका को मंजूर किया जाता है ।

निचले न्यायालय के अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाए ।

याचिका मंजूर की गई ।

पु.

---

[1] (2009) 7 एस. सी. सी. 712 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल 3462 (एस. सी.).

प्रभात कुमार सिन्हा

बनाम

भारत संघ

(2019 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 41496)

तारीख 16 जून, 2020

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438 – अग्रिम जमानत हेतु आवेदन – मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 477 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(2) और 13(1)(घ) से संबंधित है – उक्त मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला अंतर्वलित होना – आरोप के अनुसार अभियुक्त की डीडीसी-सह-सीईओ के रूप में कार्यविधि के दौरान 13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान को उक्त प्रयोजन हेतु खोले गए विशेष खाते में जमा करने की बजाय किसी अन्य खाते में जमा किया जाना – अभियुक्त द्वारा प्रथमतः अभिहित बैंक में विशेष प्रयोजन खाता न खोला जाना – अपितु लाखों रुपए के अंतरण के पश्चात् उक्त विशेष प्रयोजन खाता खोला जाना – घोटाले का पूर्णतया योजनाबद्ध होना – चैक अस्वीकृति से बचने के लिए भी सुनियोजित योजना का विद्यमान होना – इन परिस्थितियों में घोटाले में अंतर्वलित बहुत बड़ी रकम और अभियुक्त की उक्त घोटाले में अभिकथित भूमिका और उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जा सकती ।

अग्रिम जमानत संबंधी आवेदन का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, यह मामला भागलपुर जिले में सैकड़ों करोड़ रुपए के लोकधन की लूट से संबंधित कुख्यात सृजन घोटाले से उद्भूत हुआ है ।

वर्तमान मामले से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ऐसी अनेक रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्टों में से एक है जिन्हें उक्त घोटाले के संबंध में रजिस्ट्रीकृत किया गया है । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विशेष मामला सं. 4/2018/आरसी मामला सं. 17(ए)/2017 रजिस्ट्रीकृत किया गया है । इस संबंध में अभियुक्त ने अग्रिम जमानत हेतु इस न्यायालय में वर्तमान आवेदन फाइल किया है । उच्च न्यायालय ने अग्रितम जमानत हेतु किए गए आवेदन को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जमानत के संबंध में आधारिक न्याय-शास्त्र यही कहता है कि जमानत का मंजूर किया जाना एक नियम है और जमानत देने से इनकार करना एक अपवाद है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त हो । तथापि, किसी जमानत के संबंध में विचार करते समय अपराध की गंभीरता एक ऐसा पहलू है जिसे ध्यान में रखना न्यायालय के लिए अपेक्षित है । उक्त प्रयोजन के लिए अपराध की गंभीरता को तय करने के लिए प्रत्येक मामले में उद्भूत तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में लेना होगा । वित्तीय अनियमितताओं के मामलों के कारण समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आर्थिक अपराध भी 'गंभीर अपराधों' के प्रवर्ग में आएंगे और ऐसी परिस्थिति में ऐसे मामलों में जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध किए गए अभिकथनों की प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहते हुए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना होगा । अपराध की गंभीरता पर विचार करने की परिस्थितियों में से एक परिस्थिति यह भी है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध के लिए कितनी मात्रा का दंडादेश विहित किया गया है । अपराध की गंभीरता के संबंध में विचार करने के लिए तिहरी परीक्षा या ट्राईपोड के अतिरिक्त इस अन्य कारक को भी सामान्यतया लागू करना होगा । इस संबंध में इस बात को भी परिप्रेक्ष्य में रखना होगा कि यदि आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का है तो भी यह कोई नियम नहीं है कि जमानत से प्रत्येक मामले में इनकार करना चाहिए क्योंकि विधान

मंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियमिति में ऐसा कोई वर्जन सृजित नहीं किया गया है और न ही जमानत संबंधी न्याय-शास्त्र इस संबंध में कोई उपबंध करता है । अत: अंतर्निहित निष्कर्ष यह है कि अंतत: मामला दर मामला आधार पर अंतर्वलित तथ्यों पर विचार करना होगा तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त विचारण हेतु उपस्थित रहे । इसके अतिरिक्त, आरोप की प्रकृति और गंभीरता पर ध्यान न देते हुए केवल किसी अन्य मामले में अभिनिर्धारित की गई नजीर जमानत मंजूर या इनकार करने का आधार नहीं होगी यद्यपि वह उक्त सिद्धांत को प्रभावित करने वाली हो सकती है । इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने में याची द्वारा अभिकथित रूप से निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य से छेड़छाड़ करने और साक्षियों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है । पूर्वोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी राय में यह मामला अग्रिम देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है । तद्नुसार इस आवेदन को खारिज किया जाता है । (पैरा 10, 11, 12 और 13)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	2020 (1) बि.एल.जे. (एस. सी.) 200 : **पी. चिदंबरम** बनाम **प्रवर्तन निदेशालय** ।	7

अपीली दांडिक अधिकारिता : 2019 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 41496.

वर्तमान आवेदन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रीकृत विशेष मामला सं. 4/2018/आरसी मामला सं. 17(ए)/2017 में गिरफ्तारी की आशंका से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत हेतु फाइल किया गया है ।

याची की ओर से	सर्वश्री वाई. वी. गिरी और रजनीकांत झा
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री बिपिन कुमार सिन्हा

न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह – वर्तमान आवेदन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'सीबीआई' कहा गया है) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 120ख, धारा 409, धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और धारा 477क सपठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13(2) और धारा 13(i)(घ) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए रजिस्टर किए गए विशेष मामला सं. 4/2018/आरसी मामला सं. 17(ए)/2017 में गिरफ्तारी की आशंका से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत हेतु फाइल किया गया है ।

2. यह मामला भागलपुर जिले में सैकड़ों करोड़ रुपए के लोकधन की लूट से संबंधित कुख्यात सृजन घोटाले से उद्भूत हुआ है । वर्तमान मामले से संबंधित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ऐसी अनेक रजिस्ट्रीकृत प्रथम इत्तिला रिपोर्टों में से एक है जिन्हें उक्त घोटाले के संबंध में रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

3. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याची ने 28 दिसंबर, 2012 से तारीख 16 अप्रैल, 2013 तक प्रभारी डीडीसी-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर के रूप में कार्य किया है । सीबीआई द्वारा याची के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया है । उक्त आरोप-पत्र की एक प्रति को अभिलेख पर लाया गया है जिससे यह पता चलता है कि प्रभारी डीडीसी-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, भागलपुर को जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 8,79,06,070.00/- रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था । उक्त रकम की प्राप्ति से संबंधित प्रविष्टियों को जिला परिषद् कार्यालय के आबंटन रजिस्टर में याची द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है । इसके पश्चात् याची ने तारीख 16 मार्च, 2013 को एक पीएल चैक जारी किया था जिसे कोषागार कार्यालय, भागलपुर को भेजा गया ताकि वे उक्त रकम को डीडीसी-सह-सीईओ के इंडियन बैंक, भागलपुर प्रमुख शाखा में खोले गए

खाते में अंतरित कर सकें । उल्लेखनीय रूप से तारीख 16 मार्च, 2013 को उक्त पीएल चैक डीडीसी-सह-सीईओ के इंडियन बैंक, भागलपुर प्रमुख शाखा में खोले गए खाते में रकम अंतरित करने के लिए जारी किया गया था, अलबत्ता डीडीसी-सह-सीईओ के पास 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कीमों के संबंध में इंडियन बैंक, भागलपुर में उक्त तारीख को कोई खाता विद्यमान नहीं था । किंतु उसके पश्चात् तारीख 23 मार्च, 2013 को इंडियन बैंक, प्रमुख शाखा भागलपुर में एक खाता खोला गया । तद्नुसार अभियोजन का पक्षकथन यह है कि याची ने 13वें वित्त आयोग की निधियों से कपट करने के इरादे तारीख 16 मार्च, 2013 को शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, भागलपुर के पक्ष में बैंकर्स चैक जारी करने का अनुरोध से किया था । उक्त आरोप पत्र से यह भी पता चलता है कि शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, भागलपुर प्रमुख शाखा के पक्ष में तारीख 19 मार्च, 2013 को 8,79,06,070.00/- रुपए की रकम का एक बैंकर्स चैक जारी किया गया था जिसे सह-अभियुक्त राकेश कुमार ने प्राप्त किया था ।

4. आरोप पत्र के अनुसार यह तथ्य सामने आया है कि याची, श्रीमती मनोरमा देवी और इंडियन बैंक, भागलपुर के अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र के भाग रूप में उक्त राकेश कुमार ने उक्त बैंकर्स चैक को श्रीमती मनोरमा देवी को सौंप दिया था । मनोरमा देवी ने उक्त आपराधिक षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए कपटपूर्वक रूप से उक्त बैंकर्स चैक के आगमों को सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि. के नाम पर खोले गए एक भिन्न खाते, अर्थात् खाता सं. 822726120 में जमा करने हेतु एक मिथ्या पे-इन-स्लिप तैयार की । इसके अतिरिक्त, याची को डीडीसी-सह-सीईओ के रूप में मार्च, 2013 माह में जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए 88,95,021.00/- रुपए तथा 6,32,88,640.00/- रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी । समान रीति में उक्त रकम के संबंध में जिला परिषद् के आबंटन रजिस्टर में प्रविष्टियों पर, उनके सही होने के प्रमाणस्वरूप याची ने हस्ताक्षर किए हैं । याची ने पुन: तारीख 25 मार्च, 2013 को 7,21,83,681.00/- रुपए (88,95,021.00 + 6,32,00,841.00) की राशि का एक पीएल चैक जारी

किया जिससे बैंकर्स चैक को जारी किया जा सके । खजाना अधिकारी द्वारा बिलों को पारित किए जाने के पश्चात् पीएल चैक और बैंक आवेदन को भारतीय स्टेट बैंक, प्रमुख शाखा, भागलपुर में प्रस्तुत किया गया । तद्नुसार शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, भागलपुर के पक्ष में उक्त रकम का एक बैंकर्स चैक जारी किया गया । उक्त रकम के संबंध में भी सीबीआई के आरोप पत्र में अभिकथित पक्षकथन के अनुसार मनोरमा देवी, सचिव, सृजन महिला विकास सहयोग सूची लि. ने आपराधिक षड्यंत्र के भाग रूप में बैंकर्स चैक के आगमों को डीडीसी-सह-सीईओ के खाते में जमा करने की बजाय उक्त रकम को अन्य सह-अभियुक्तों को सौंप दिया जो सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जिसे अंततः सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि. के खाते में जमा किया गया ।

5. यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में प्रभारी अपर प्रधान कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भागलपुर के लिखित कथन के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कोतवाली पुलिस थाना, भागलपुर में रजिस्टर की गई थी । वस्तुतः जांच समिति द्वारा तारीख 10 अगस्त, 2017 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आधार बनी थी जिसे कोतवाली पुलिस थाने के 2017 के पुलिस थाना मामला सं. 513 के रूप में रजिस्टर किया गया । उसके पश्चात् मामले के अन्वेषण को सीबीआई को सौंप दिया गया और तद्नुसार उक्त मामले को विशेष मामला सं. 4/2018/आरसी मामला सं. 17(ए)/2017 के रूप में पुनः रजिस्टर किया गया है ।

6. आरोप पत्र जिसे याची की ओर से फाइल किए गए अनुपूरक शपथ-पत्र के अनुलग्नक के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया है, के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे घोटाले में श्रीमती मनोरमा देवी, सचिव, सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि. (एसएमवीएसएसएल) ने एक प्रमुख भूमिका अदा की है । इस न्यायालय द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में कि क्या उक्त मनोरमा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र लाया गया है अथवा नहीं, श्री बिपिन कुमार सिन्हा, सीबीआई के विद्वान् काउंसेल ने इस न्यायालय को यह सूचित किया है

कि उक्त मनोरमा देवी की मृत्यु तारीख 14 फरवरी, 2017 को हो गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियों में न्यायालय को इस प्रश्न की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है कि इतने बड़े घोटाले को इस घोटाले के केंद्र में स्थित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् ही क्यों सामने लाया गया क्योंकि वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो संपूर्ण घोटाले का पर्दाफाश कर सकती थी या क्या इन अविधिपूर्ण संव्यवहारों के सामने आने से ठीक पूर्व उसकी मृत्यु किन्हीं संदेहास्पद परिस्थितियों की ओर संकेत करती हैं जिनमें उसकी मृत्यु हुई है । सीबीआई को इन सब पहलुओं पर विचार करना चाहिए था । यद्यपि यह अन्वेषण अभिकरणों का अधिकार क्षेत्र है कि वे किसी दांडिक मामले का विधि के अनुसार किसी विशिष्ट रीति में अन्वेषण करें । तथापि, सीबीआई मामले के इन बिंदुओं के संबंध में जांच कर सकती है ।

7. श्री वाई. वी. गिरी, याची की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने मेरा ध्यान अनुलग्नक-1 जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है, की ओर आकर्षित करते हुए यह दलील दी है कि घटना के समय को तारीख 12 जून, 2013 के पश्चातवर्ती समय के रूप में उपदर्शित किया गया है जबकि याची की डीडीसी-सह-सीईओ, जिला परिषद, भागलपुर के रूप में कार्यावधि उक्त तारीख से काफी समय पूर्व तारीख 16 अप्रैल, 2013 को समाप्त हो गई थी । दूसरी ओर, उन्होंने यह भी दलील दी है कि यदि याची द्वारा प्राप्त की गई रकमों को एसएमवीएसएसएल के खाते में जमा करके कहीं अन्यत्र भेजा गया था तो ऐसा बैंक अधिकारियों द्वारा या उनके कहने पर ही किया गया होगा क्योंकि इस बात का समर्थन करने के लिए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि याची ने 16,00,89,751.00/- रुपए की उक्त कुल रकम को एसएमवीएसएसएल के खाते में जमा करने में कोई सक्रिय भूमिका निभाई थी । उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि याची के उत्तराधिकारी डाक्टर चंद्रशेखर सिंह के विरुद्ध सीबीआई ने कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । तृतीयत: उन्होंने यह दलील दी है कि याची सेवानिवृत्त हो चुका है और इस संबंध में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है कि उसने आय के अपने सभी ज्ञात

स्रोतों के अननुपातिक आस्तियों का अर्जन किया है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि इस प्रकार यदि याची ने राज्य के खजाने से इतनी बड़ी लूट की होती तो अवश्य ही अन्वेषण अभिकरण को याची द्वारा अर्जित अननुपातिक आस्तियों के संबंध में कोई न कोई सुराग मिलता । उन्होंने **पी. चिदंबरम** बनाम **प्रवर्तन निदेशालय**[1] वाले मामले का अवलंब लेते हुए यह दलील दी कि उक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामला अग्रिम जमानत मंजूर करने के लिए एक उपयुक्त मामला है ।

8. श्री बिपिन कुमार सिन्हा, सीबीआई के विद्वान् काउंसेल ने जमानत के अनुरोध का पुरजोर विरोध किया है और यह दलील दी है कि अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान एकत्रित की गई सामग्रियां याची द्वारा निभाई गई विनिर्दिष्ट भूमिका को प्रकट करती हैं जिसमें अन्य व्यक्तियों की मौनानुकूलता के साथ बहुत बड़ी मात्रा में लोक-धन का दुर्विनियोग किया गया है । उन्होंने आगे यह दलील प्रस्तुत की है कि सह-अभियुक्त राकेश कुमार, जो याची के अधीन कार्य कर रहा था, को इस न्यायालय के 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 34601 में पारित तारीख 7 अगस्त, 2018 के एक आदेश द्वारा नियमित जमानत दिए जाने से इनकार कर दिया गया है । उसने 2019 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 14492 में पारित तारीख 2 मई, 2019 के एक अन्य आदेश को भी निर्दिष्ट किया है जिसके द्वारा एक अन्य सह-अभियुक्त संत कुमार सिन्हा, बैंक के एक कर्मचारी अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने से इनकार किया गया है । उनके अनुसार इतना बड़ा घोटाला याची द्वारा निभाई जाने वाली सक्रिय भूमिका के बिना नहीं किया जा सकता था अथवा इतने बड़े घोटाले में डीडीसी-सह-सीईओ, जिला परिषद्, भागलपुर की हैसियत में उसका उपलक्षित समर्थन अवश्य ही सम्मिलित होगा । उन्होंने यह प्रतिवाद किया है कि यदि याची को अग्रिम जमानत मंजूर कर दी जाती है तो इस बात की संभावना है कि अपराध की गंभीरता और इतने बड़े घोटाले को ध्यान में रखते हुए याची साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सकता है तथा साक्षियों को भी प्रभावित कर सकता है । उन्होंने यह

[1] 2020 (1) बि.एल.जे. (एस. सी.) 200.

भी दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन याची को निचले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशिका जारी कर दी गई है और उक्त कारण से भी अग्रिम जमानत के अनुरोध करने वाले इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

9. प्रारंभ में मैं याची की ओर से दी गई इस दलील को अस्वीकार करता हूं कि चूंकि याची ने तारीख 16 अप्रैल, 2013 को अपना पद त्याग दिया था जबकि घटना की समयावधि को तारीख 12 जून, 2013 से आगे का बताया है और इसलिए याची के विरुद्ध इस संबंध में कोई अपराध नहीं बनाया जा सकता तथा मेरे द्वारा इस दलील को अस्वीकार करने का कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित और साथ ही आरोप पत्र में प्रकट किए गए तथ्य यह दर्शित करते हैं कि याची की डीडीसी-सह-सीईओ, जिला परिषद्, भागलपुर के रूप में कार्यावधि के दौरान 13वें वित्त आयोग की स्कीमों के निष्पादन हेतु बनाए रखे गए खाते में जमा करने के लिए 16,00,89,751.00/- रुपए की रकम प्राप्त की गई । उक्त रकम डीडीसी-सह-सीईओ, जिला परिषद्, भागलपुर के खाते में जमा नहीं की गई थी और वस्तुत: उसे उसकी बजाय एसएमवीएसएसएल के खाते में जमा किया गया था । याची ने खजाना अधिकारी को तारीख 16 मार्च, 2013 को शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, भागलपुर के पक्ष में बैंकर्स चैक जारी करने का अनुरोध किया गया था किंतु उस तारीख तक इंडियन बैंक में उसके नाम का कोई खाता नहीं खोला गया था और ऐसा खाता उक्त अनुरोध किए जाने के पश्चात् तारीख 23 मार्च, 2013 को खोला गया । याची को 13वें वित्त आयोग की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराई गई किसी भी रकम को 13वें वित्त आयोग की स्कीमों के संबंध में खोले गए खाते, अर्थात् इंडियन बैंक का खाता 6115136905 में जमा नहीं किया गया । इस षड्यंत्र को इतना सोच-समझकर तैयार किया गया है जैसा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और आरोप पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी किसी दशा में जब डीडीसी-सह-सीईओ के उक्त खाता सं. 6115136905 से किसी रकम के आहरण हेतु कोई चैक जारी किया जाता था तो किन्हीं अज्ञात स्रोतों से उक्त खाते से रकम जमा करा दी जाती थी जिससे चैक के अस्वीकृत हो जाने की स्थिति से बचा जा सके ।

10. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए **पी. चिदंबरम** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय याची का समर्थन नहीं करता है । उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में पैरा 21 में एक महत्वपूर्ण संप्रेक्षण किया है जो निम्नानुसार है :-

> "21. दोनों पक्षों की ओर से अवलंब लिए गए निर्णयों, जिनके अंतर्गत इस न्यायालय की सांविधानिक खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्णय भी है, के संचयी परिशीलन पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जमानत के संबंध में आधारिक न्याय-शास्त्र यही कहता है कि जमानत का मंजूर किया जाना एक नियम है और जमानत देने से इनकार करना एक अपवाद है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त हो । तथापि, किसी जमानत के संबंध में विचार करते समय अपराध की गंभीरता एक ऐसा पहलू है जिसे ध्यान में रखना न्यायालय के लिए अपेक्षित है । उक्त प्रयोजन के लिए अपराध की गंभीरता को तय करने के लिए प्रत्येक मामले में उद्भूत तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में लेना होगा । वित्तीय अनियमितताओं के मामलों के कारण समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आर्थिक अपराध भी 'गंभीर अपराधों' के प्रवर्ग में आएंगे और ऐसी परिस्थिति में ऐसे मामलों में जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध किए गए अभिकथनों की प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहते हुए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना होगा । अपराध की गंभीरता पर विचार करने की परिस्थितियों में से एक परिस्थिति यह भी है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित अपराध के लिए कितनी मात्रा का दंडादेश विहित किया गया है । अपराध की गंभीरता के संबंध में विचार करने के लिए तिहरी परीक्षा या ट्राईपोड के अतिरिक्त इस अन्य कारक को भी सामान्यतया लागू करना होगा । इस संबंध में इस बात को भी परिप्रेक्ष्य में रखना होगा कि यदि आरोप गंभीर आर्थिक अपराध का है तो भी यह कोई नियम

नहीं है कि जमानत से प्रत्येक मामले में इनकार करना चाहिए क्योंकि विधान मंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियमिति में ऐसा कोई वर्जन सृजित नहीं किया गया है और न ही जमानत संबंधी न्याय-शास्त्र इस संबंध में कोई उपबंध करता है । अत: अंतर्निहित निष्कर्ष यह है कि अंतत: मामला दर मामला आधार पर अंतर्वलित तथ्यों पर विचार करना होगा तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अभियुक्त विचारण हेतु उपस्थित रहे ।"

11. **पी. चिदंबरम** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप की प्रकृति और गंभीरता पर ध्यान न देते हुए केवल किसी अन्य मामले में निर्धारित की गई मामला विधि जमानत को मंजूर या उससे इनकार करने का आधार नहीं होगी यद्यपि वह उक्त सिद्धांत को प्रभावित करने वाली हो सकती है ।

12. इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने की रीति की पृष्ठभूमि और याची द्वारा अभिकथित रूप से निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य से छेड़छाड़ करने और साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना सारवान् है ।

13. पूर्वोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी राय में यह मामला अग्रिम देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है । तद्नुसार इस आवेदन को खारिज किया जाता है ।

14. तथापि, याची को यह निदेश दिया जाता है कि वह आज की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर निचले न्यायालय के समक्ष आत्म-समर्पण करे और यदि ऐसी सलाह दी जाती है तो वह नियमित जमानत प्राप्त करे ।

आवेदन खारिज किया गया ।

पु.

देवानंद तारकराम भगत

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 89)

तारीख 10 जुलाई, 2020

न्यायमूर्ति जेड. ए. हक और न्यायमूर्ति एन. बी. सूर्यवंशी

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च) [सपठित बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4] – बलात्संग और मुख मैथुन के अपराधों का आरोप – पीड़िता का अप्राप्तव्यय होना – पीड़िता की माता और अभियुक्त द्वारा पति-पत्नी की भांति एक ही घर में निवास करने के कारण अभियुक्त के पास विश्वास और प्राधिकार की हैसियत का होना – पीड़िता की माता द्वारा यह आरोप लगाते हुए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किया जाना कि अभियुक्त ने अपने गुप्तांग को पीड़िता के मुख में प्रविष्ट कराया – छिटपुट विसंगतियों के बावजूद पीड़िता और उसकी माता के साक्ष्यों का विश्वसनीय होना – अत: अभियुक्त के पास विश्वास और प्राधिकार की हैसियत होने, पीड़िता और उसकी माता के साक्ष्यों के विश्वसनीय होने, विद्यालय के अभिलेख से यह साबित हो जाने के कारण कि घटना के दिन पीड़िता अप्राप्तव्यय थी और मुख में लिंग को प्रविष्ट कराने से बलात्संग का अपराध गठित होने और अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष साबित करने में असफल रहने के कारण दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन उसकी दोषसिद्धि सर्वथा उचित है ।

अपील का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि, इत्तिलाकर्ता, पीड़ित बालिका की माता ने पिछले 13 वर्ष से अपने पति का परित्याग किया हुआ है और वह अपनी पुत्री के साथ अचलपुर स्थित

जीवनपुरा झुग्गी-झोंपड़ी में निवास कर रही है । इत्तिलाकर्ता के अभियुक्त व्यक्ति के साथ संबंध बन गए थे और वे घटना से लगभग 4 वर्ष पूर्व से पति-पत्नी की भांति पीड़ित बालिका के साथ एक ही घर में निवास कर रहे थे । इत्तिलाकर्ता द्वारा रिपोर्ट फाइल किए जाने की तारीख से लगभग एक माह पूर्व अभियुक्त ने अपने कपड़े उतार कर पीड़ित बालिका से अपनी टांगों और हाथों की मालिश करने का अनुरोध करना आरंभ कर दिया था । इस मालिश के दौरान दो-तीन अवसरों पर अभियुक्त ने अपने गुप्तांग को पीड़िता के मुख में प्रविष्ट किया था । जब इत्तिलाकर्ता ने इस संबंध में आक्षेप किया तो अभियुक्त ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की जिसके संबंध में उसने न तो कोई रिपोर्ट फाइल की और न ही यह तथ्य किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट किया । तारीख 20 जून, 2016 को इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) ने यह देखा कि अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित बालिका के साथ छेड़खानी कर रहा था उस समय अभियुक्त ने अपने सभी वस्त्र उतार दिए थे और उसने पीड़ित बालिका को अपने हाथ-पैर दबाने के लिए कहा था और उसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित बालिका की छाती पर बैठ गया और उसने अपने गुप्तांग को पीड़ित बालिका के मुख में प्रविष्ट कर दिया । यह देखकर इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्त व्यक्ति को धक्का देकर पीड़ित बालिका से दूर किया और उसे घर से निकल जाने को कहा । उससे अगले दिन इत्तिलाकर्ता पीड़ित बालिका के साथ पुलिस थाने गई और उसने इस संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए वर्ष 2016 का सीआर सं. 182 रजिस्टर किया गया । अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किए गए । अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(च) सपठित पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए । विचारण का संचालन किया गया और उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् सेशन न्यायालय ने ऊपर कथन किए गए अनुसार अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया । इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च

न्यायालय में उक्त निर्णय को चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पोक्सो अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 दांडिक न्याय-शास्त्र के इन सुस्थापित सिद्धांतों का अपवाद है, जिसके अनुसार अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी साबित न कर दिया जाए । उक्त धाराओं के अनुसार किसी अभियुक्त के लिए यह बाध्यकर है कि वह यह साबित करे कि वह मामले में निर्दोष है । वर्तमान मामले में अपीलार्थी इस बाध्यता को पूरा करने में असफल रहा है । अभियोजन पक्ष ने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) और पीड़ित बालिका (अभि. सा. 4) के साक्ष्यों के माध्यम से इस घटना को साबित किया है जो हमें विश्वसनीय प्रतीत होते हैं । इन दो साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे उनकी विश्वसनीयता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो । जैसा कि पहले ही ऊपर कथन किया गया है कि अभिलेख पर यह साबित कर दिया गया है कि घटना की तारीख को पीड़ित पोक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के अर्थांतर्गत एक बालिका थी । दंड संहिता की धारा 375 बलात्संग को परिभाषित करती है । किसी व्यक्ति के संबंध में उस समय यह कहा जाता है कि उसने किसी के साथ बलात्संग किया है जब वह अपने लिंग को किसी सीमा तक किसी महिला की योनि, मुख या मलद्वार में प्रविष्ट करता है या उसे उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने हेतु मजबूर करता है । इस प्रकार किसी महिला के मुख में लिंग का प्रवेश कराया जाना बलात्संग के अपराध को गठित करता है । इस प्रकार अपीलार्थी ने पोक्सो अधिनियम की धारा 3 के अर्थांतर्गत पीड़ित बालिका के साथ बलात्संग के अपराध को कारित किया है और साथ ही लिंग को प्रविष्ट कराते हुए योन हमला भी किया है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य में कतिपय लघु विसंगतियां या शुद्धियां अभिलेख पर लाई गई हैं किंतु वे महत्वपूर्ण नहीं हैं और वे प्रतिरक्षा पक्षकथन की सहायता करने में असमर्थ हैं । उनके कारण अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 का साक्ष्य अविश्वसनीय

नहीं हो जाता है । अपीलार्थी ने साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए अपने कथन में भिन्न-भिन्न प्रतिरक्षाओं का अवलंब लिया है । किंतु वह अपनी निर्दोषिता को साबित करने की बाध्यता का वहन करने में असफल रहा है । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य को विचार में लेते हुए युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित हो गया है कि अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376(2)(च) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध किए हैं । हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे हैं कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन किया है और उसने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराकर कोई त्रुटि नहीं की है । हमें अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई वर्तमान अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने की दायी है । (पैरा 16 और 17)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 89.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, अचलपुर विशेष (पोक्सो) मामला सं. 122/2016 में पारित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. बी. सूर्यवंशी ने दिया ।

न्या. सूर्यवंशी – अपीलार्थी को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, अचलपुर द्वारा विशेष (पोक्सो) मामला सं. 122/2016 में बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पोक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 376(2)(च) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और आजीवन कारावास तथा 5,000/- रुपए जुर्माने, से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि :-

अभियोजन साक्षी 2 पीड़ित 'अभि. सा. 4' की माता है और वह इस मामले में इत्तिलाकर्ता है । उसने पिछले 13 वर्ष से अपने पति का परित्याग किया हुआ है और वह अपनी पुत्री के साथ अचलपुर स्थित जीवनपुरा झुग्गी-झोंपड़ी में निवास कर रही है । इत्तिलाकर्ता के अभियुक्त व्यक्ति के साथ संबंध बन गए थे और वे घटना से लगभग 4 वर्ष पूर्व से पति-पत्नी की भांति पीड़ित बालिका के साथ एक ही घर में निवास कर रहे थे । इत्तिलाकर्ता द्वारा रिपोर्ट फाइल किए जाने की तारीख से लगभग एक माह पूर्व अभियुक्त ने अपने कपड़े उतार कर पीड़ित बालिका से अपनी टांगों और हाथों की मालिश करने का अनुरोध करना आरंभ कर दिया था । इस मालिश के दौरान दो-तीन अवसरों पर अभियुक्त ने अपने गुप्तांग को पीड़िता के मुख में प्रविष्ट किया था । जब इत्तिलाकर्ता ने इस संबंध में आक्षेप किया तो अभियुक्त ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की जिसके संबंध में उसने न तो कोई रिपोर्ट फाइल की और न ही यह तथ्य किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट किया । तारीख 20 जून, 2016 को इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) ने यह देखा कि अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित बालिका के साथ छेड़खानी कर रहा था उस समय अभियुक्त ने अपने सभी वस्त्र उतार दिए थे और उसने पीड़ित बालिका को अपने हाथ-पैर दबाने के लिए कहा था और उसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति पीड़ित बालिका की छाती पर बैठ गया और उसने अपने गुप्तांग को पीड़ित बालिका के मुख में प्रविष्ट कर दिया । यह देखकर इत्तिलाकर्ता ने अभियुक्त व्यक्ति को धक्का देकर पीड़ित बालिका से दूर किया और उसे घर से निकल जाने को कहा । उससे अगले दिन इत्तिलाकर्ता पीड़ित बालिका के साथ पुलिस थाने गई और उसने इस संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए वर्ष 2016 का सीआर सं. 182 रजिस्टर किया गया । अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किए

गए । अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(च) सपठित पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में 7 साक्षियों की परीक्षा की । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में आरोपों से इनकार किया और यह कथन किया कि उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने इत्तिलाकर्ता को यह सुझाव दिया कि उसकी तबियत ठीक नहीं रहती और अभियुक्त उसके घर-गृहस्थी के सभी व्ययों का वहन कर रहा था और जब उसकी पत्नी अपीलार्थी को वापस ले जाने के लिए वहां आई तो इत्तिलाकर्ता ने सरकार से प्रतिकर प्राप्त करने की प्रत्याशा में यह मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लेखबद्ध किए गए अपने कथन में अपीलार्थी ने यह प्रतिवाद किया है कि तारीख 20 जून, 2016 को उसे इत्तिलाकर्ता से कोई धनराशि प्राप्त करनी थी और इसलिए वह धन की मांग करने हेतु उसके घर गया था । धन की मांग किए जाने पर इत्तिलाकर्ता ने उसके साथ झगड़ा किया और उसे तब तक प्रतीक्षा करने को कहा जब तक कि वह धन की व्यवस्था नहीं कर लेती । जब वह इत्तिलाकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा था उस समय वह पुलिस के साथ आई और उसने उसके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए । विचारण का संचालन किया गया और उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् सेशन न्यायालय ने ऊपर कथन किए गए अनुसार अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराया । इसलिए अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता और विद्वान् अपर लोक अभियोजक की दलीलों की सुनवाई की गई है । दोनों विद्वान् अधिवक्ताओं की सहायता से हमने साक्षियों और अभिलेख का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है ।

4. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । अभियुक्त के अनुसार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा

है कि घटना के समय पीड़ित बालिका पोक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के अर्थांतर्गत बालिका थी और मुख्याध्यापक, (अभि. सा. 3) जिसने पीड़ित का विद्‌यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रदर्श-29) अभिलेख पर रखा है, का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि विद्‌यालय के प्रवेश रजिस्टर (प्रदर्श-31) में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि पीड़ित की जन्म तिथि को किस दस्तावेज के आधार पर दर्ज किया गया था । उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य भी पीड़ित और इत्तिलाकर्ता के आरोपों का समर्थन नहीं करता है और इसलिए अभियोजन पक्ष सुसंगत संदेह से परे अपराध को साबित करने में असफल रहा है । अत: अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

5. दूसरी ओर, विद्‌वान् अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्त की दोषसिद्धि का समर्थन किया है और इस संबंध में यह कथन किया है कि अभि. सा. 2 इत्तिलाकर्ता और अभि. सा. 4 पीड़ित बालिका के साक्ष्य सारवान् विशिष्टियों के संबंध में एक-दूसरे के कथन की पुष्टि करते हैं । इत्तिलाकर्ता द्‌वारा पीड़ित की जन्म-तिथि का उल्लेख किया गया है और अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य भी इस तथ्य का समर्थन करता है कि घटना के समय पीड़ित एक बालिका थी । यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी ने, जिसके पास प्राधिकार की हैसियत थी, अपराध कारित किया है और इसलिए दोषसिद्धि उचित है । विद्‌वान् सेशन न्यायाधीश ने उपयुक्त रूप से अभिलेख का मूल्यांकन किया है और वर्तमान अपील, जिसमें कोई सार नहीं है, खारिज किए जाने की दायी है ।

6. इस तथ्य को साबित करने के लिए कि घटना के समय पीड़ित एक बालिका थी, अभियोजन पक्ष ने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) के साक्ष्य का अवलंब लिया है, जिसने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि 13 वर्ष पूर्व उसके पति ने पीड़िता बालिका के जन्म के पश्चात् उसका परित्याग कर दिया था और उसके पश्चात् उसने अचलपुर में निवास करना आरंभ कर दिया था । पीड़ित बालिका का जन्म किसी अस्पताल में नहीं हुआ था और जब पीड़ित बालिका को विद्‌यालय में प्रवेश दिलाया गया था तो उस समय उसके जन्म प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत नहीं किया

गया था । उसने विद्यालय को पीड़ित बालिका की जन्म-तिथि "31 अक्तूबर, 2002" बताई थी ।

7. नगर पालिका प्राथमिक विद्यालय, अचलपुर के मुख्याध्यापक (अभि. सा. 3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पीड़ित बालिका उसके विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर रही थी और विद्यालय के अभिलेख में उसकी जन्म-तिथि को "31 अक्तूबर, 2002" के रूप में उल्लिखित किया गया है । विद्यालय छोड़े जाने संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रदर्श-29) को अभिलेख पर लाया गया है और उक्त प्रमाण-पत्र में उसकी जन्म-तिथि को "31 अक्तूबर, 2002" के रूप में उल्लिखित किया गया है जो पीड़ित की जन्म-तिथि के संबंध में अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य की पुष्टि करता है ।

8. चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 5) ने, जिसने नैदानिक रूप से पीड़ित की परीक्षा की है, अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि पीड़ित बालिका की माहवारी आरंभ नहीं हुई है और उसका यौनिक क्षेत्र साफ है । इस प्रकार चिकित्सा अधिकारी का साक्ष्य भी इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) के इस साक्ष्य की पुष्टि करता है कि घटना के समय पीड़ित एक बालिका थी ।

9. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि पीड़ित बालिका की जन्म-तिथि के संबंध में अनेक विसंगतियां विद्यमान हैं क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में पीड़ित बालिका की जन्म-तिथि को 31 अक्तूबर, 2003 के रूप में उल्लिखित किया गया है जबकि साक्ष्य में उक्त जन्म-तिथि को 31 अक्तूबर, 2002 के रूप में उल्लिखित किया गया है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस तथ्य को एक लोप के रूप में साबित नहीं किया गया है और यह तथ्य मामले की जड़ तक नहीं जाता है और इस प्रकार यह कोई सारवान् विसंगति नहीं है । यह मात्र एक लघु शुद्धि है । इत्तिलाकर्ता एक देहाती ग्रामीण महिला है । यदि तर्क हेतु यह मान भी लिया जाए कि पीड़ित बालिका की जन्म-तिथि 31 अक्तूबर, 2003 है तो भी घटना की तारीख को पीड़ित पोक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के अर्थांतर्गत एक बालिका ही थी । अत:

हम इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत की गई दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं । इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि घटना के समय पीड़ित बालिका पोक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के अर्थांतर्गत एक बालिका थी ।

10. अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने इत्तिलाकर्ता (पीड़ित की माता) (अभि. सा. 2) की परीक्षा की, जिसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अपीलार्थी और उसके बीच घटना की तारीख से 4 वर्ष पूर्व से संबंध थे और अभियुक्त इत्तिलाकर्ता और पीड़ित के साथ उनकी झोंपड़ी में निवास कर रहा था और साक्षी ने स्वयं अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी की घटना को वास्तविक रूप में देखा है । तारीख 20 जून, 2016 को अभियुक्त ने अपने वस्त्र उतार दिए थे और उसने पीड़ित बालिका को अपनी टांगों और हाथों को दबाने का आग्रह किया था और उसके पश्चात् वह पीड़ित की छाती पर बैठ गया और उसने अपने गुप्तांग को पीड़ित के मुख में प्रविष्ट कर दिया । उस समय इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) ने उसे धक्का देकर पीड़ित से दूर किया और अभियुक्त को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा । अपीलार्थी ने उसे यह धमकी दी कि यदि उसने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो वह उसकी हत्या कर देगा । घटना की रात इत्तिलाकर्ता और पीड़ित बालिका समीप स्थित एक खेत में सोए थे । अगले दिन वे अचलपुर पुलिस थाने गए तथा अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट (प्रदर्श-21) दर्ज की । इत्तिलाकर्ता ने पीड़ित की जन्म-तिथि को रिपोर्ट में "31 अक्तूबर, 2003" के रूप में उल्लिखित किया था । प्रतिपरीक्षा में उसका साक्ष्य उस घटना के संबंध में विश्वसनीय बना रहा । रिपोर्ट दर्ज करने की तारीख के संबंध में भी लघु लोपों को इंगित किया गया है । जैसे कि क्या रिपोर्ट तारीख 20 जून, 2016 को या 21 जून, 2016 को दर्ज की गई थी ।

11. इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को स्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट दर्ज कराते समय घटना का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया था कि अपीलार्थी पीड़ित बालिका की छाती पर

बैठ गया और उसने अपने गुप्तांग को उसके मुख में प्रविष्ट कर दिया और उसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) ने अभियुक्त को धक्का देकर पीड़ित से दूर किया और अभियुक्त को अपने घर से निकल जाने को कहा । यह क्रम उसी रीति में उसकी रिपोर्ट में दर्शित नहीं होता है और साथ ही उसकी रिपोर्ट (प्रदर्श-21) में यह तथ्य भी दर्शित नहीं किया गया कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) और पीड़ित बालिका (अभि. सा. 4) घटना की पूरी रात उनकी झोंपड़ी के निकट स्थित एक खेत में रहे थे ।

12. पीड़ित बालिका (अभि. सा. 4) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि अपीलार्थी घटना के 4 वर्ष पूर्व से उनके घर में उनके साथ रह रहा था । यह घटना उसके अभिसाक्ष्य को लेखबद्ध किए जाने से लगभग एक वर्ष पूर्व घटित हुई थी । अपीलार्थी घर आया था, उसने अपने वस्त्र उतारे और उसने अपना लिंग उसके मुख में प्रविष्ट किया ।

अपीलार्थी अक्सर अपने वस्त्र उतारकर उसे उसके हाथों और टांगों की मालिश करने का निदेश देता था । वह अपने गुप्तांग को उसके मुख में भी प्रविष्ट करता था । अत: यह रिपोर्ट दर्ज की गई और पीड़ित को चिकित्सीय परीक्षा के लिए निर्दिष्ट किया गया । पीड़ित बालिका ने अचलपुर स्थित कन्या विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी ।

उसकी प्रतिपरीक्षा में उसे यह सुझाव दिया गया था कि उसका प्रेम प्रसंग पड़ोस में निवास करने वाले एक 16-17 वर्षीय लड़के के साथ चल रहा था और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे । पीड़ित ने इस सुझाव से इनकार किया । उसने इस बात को दोहराया कि घटना के दिन रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उसके कथन को दो-तीन बार भिन्न-भिन्न तारीखों को लेखबद्ध किया गया । उसके दो कथनों को रिपोर्ट फाइल करने से अगले दिन लेखबद्ध किया गया था । उसने इस बात से इनकार किया कि इत्तिलाकर्ता और अपीलार्थी के बीच रिपोर्ट फाइल किए जाने की तारीख को झगड़ा हुआ था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि अपीलार्थी ने पीड़ित को पड़ोस के लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था और इस कारण से अपीलार्थी और इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) के बीच काफी झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी ने इत्तिलाकर्ता से

10,000/- रुपए, जो उसने इत्तिलाकर्ता के पास रखे थे, की मांग की थी जिससे वह अपने गांव वापस जा सके और इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध एक मिथ्या रिपोर्ट दर्ज की गई ।

13. वास्तविक घटना जिसकी इत्तिलाकर्ता प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और पीड़ित बालिका के साथ उक्त घटना घटित हुई थी, के संबंध में इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) और पीड़ित (अभि. सा. 4) के साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य संगत है और प्रतिपरीक्षा के दौरान उस पर कोई आघात नहीं हो सका था । इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने बलात्संग की इस घटना को साबित किया है, जिसे उसके अभिभावक द्वारा कारित किया गया क्योंकि अपीलार्थी और इत्तिलाकर्ता (पीड़ित की माता) पति-पत्नी के रूप में एक-साथ रह रहे थे । दंड संहिता की धारा 375 के निबंधनानुसार किसी महिला के मुख में लिंग का प्रवेश बलात्संग के अपराध को गठित करता है । चूंकि अपीलार्थी उस घर में इत्तिलाकर्ता (पीड़ित की माता) के पति के रूप में निवास कर रहा था । इसीलिए उसे पीड़ित बालिका के प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत प्राप्त थी और इस प्रकार वह दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने का दायी है ।

14. चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 5) ने चिकित्सीय परीक्षा के दौरान यह पाया था कि पीड़ित बालिका का योनिच्छद अक्षुण्ण नहीं था और वह संभोग की आदी थी और उसने एक या दो बार से अधिक संभोग किया हुआ था, तथापि, पीड़ित के साथ मुख-मैथुन किए जाने संबंधी साक्ष्य को एकत्रित नहीं किया जा सका था । फिर भी यह तथ्य शेष रह जाता है कि मुख-मैथुन से संबंधित साक्ष्य को अभियोजन पक्ष द्वारा इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) और पीड़ित बालिका (अभि. सा. 4) के साक्ष्यों के माध्यम से अभिलेख पर लाया गया है जो सारवान् विशिष्टियों में पूर्णतया संगत है ।

15. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 की परीक्षा की जिसने स्थल पंचनामा (प्रदर्श-15) को साबित किया है । अभि. सा. 6 इस मामले का

अन्वेषण अधिकारी है और उसने 21 जून, 2016 से 27 जून, 2016 के बीच प्रारंभिक अन्वेषण किया है । अभि. सा. 7 इस मामले का ऐसा अन्वेषण अधिकारी है जिसने अन्वेषण को पूरा किया और उसके पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया । अभियुक्त ऐसा कोई संदेह सृजित करने में असमर्थ रहा है जिसके आधार पर उनके साक्ष्य को नकारा जा सके ।

16. पोक्सो अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 दांडिक न्यायशास्त्र के इन सुस्थापित सिद्धांतों का अपवाद है, जिसके अनुसार अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे युक्तियुक्त संदेह से परे दोषी साबित न कर दिया जाए । उक्त धाराओं के अनुसार किसी अभियुक्त के लिए यह बाध्यकर है कि वह यह साबित करे कि वह मामले में निर्दोष है । वर्तमान मामले में अपीलार्थी इस बाध्यता को पूरा करने में असफल रहा है । अभियोजन पक्ष ने इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 2) और पीड़ित बालिका (अभि. सा. 4) के साक्ष्यों के माध्यम से इस घटना को साबित किया है जो हमें विश्वसनीय प्रतीत होते हैं । इन दो साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे उनकी विश्वसनीयता के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो । जैसा कि पहले ही ऊपर कथन किया गया है कि अभिलेख पर यह साबित कर दिया गया है कि घटना की तारीख को पीड़ित पोक्सो अधिनियम की धारा 2(1)(घ) के अर्थांतर्गत एक बालिका थी । दंड संहिता की धारा 375 बलात्संग को परिभाषित करती है । किसी व्यक्ति के संबंध में उस समय यह कहा जाता है कि उसने किसी के साथ बलात्संग किया है जब वह अपने लिंग को किसी सीमा तक किसी महिला की योनि, मुख या मलद्वार में प्रविष्ट करता है या उसे उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने हेतु मजबूर करता है । इस प्रकार किसी महिला के मुख में लिंग का प्रवेश कराया जाना बलात्संग के अपराध को गठित करता है । इस प्रकार अपीलार्थी ने पोक्सो अधिनियम की धारा 3 के अर्थांतर्गत पीड़ित बालिका के साथ बलात्संग के अपराध को कारित किया है और साथ ही लिंग को प्रविष्ट कराते हुए यौन हमला भी किया है । अभि. सा. 2 के साक्ष्य में कतिपय लघु विसंगतियां या शुद्धियां अभिलेख पर लाई गई हैं किंतु वे महत्वपूर्ण

नहीं हैं और वे प्रतिरक्षा पक्षकथन की सहायता करने में असमर्थ हैं । उनके कारण अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 का साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता है । अपीलार्थी ने साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए अपने कथन में भिन्न-भिन्न प्रतिरक्षाओं का अवलंब लिया है । किंतु वह अपनी निर्दोषिता को साबित करने की बाध्यता का वहन करने में असफल रहा है ।

17. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य को विचार में लेते हुए युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित हो गया है कि अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376(2)(च) तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध किए हैं । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन किया है और उसने अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराकर कोई त्रुटि नहीं की है । हमें अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई वर्तमान अपील में कोई सार प्रतीत नहीं होता है और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने की दायी है ।

18. अत: हम निम्नलिखित आदेश करते हैं :–

(क) वर्ष 2018 की दांडिक अपील सं. 89 को खारिज किया जाता है ।

(ख) अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मुजराई के लिए हकदार है ।

(ग) अपील की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् मुद्देमल संपत्ति के संबंध में विधि के अनुसार कार्यवाही की जाए ।

(घ) अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता की फीस का संदाय नियमों के अनुसार 4 सप्ताह के भीतर किया जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

जे. फ्रांसिस जेवियर

बनाम

राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक, कोयम्बतूर

(2013 की दांडिक अपील सं. 687)

तारीख 18 मार्च, 2020

न्यायमूर्ति टी. रवीन्द्रन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(1) (वर्ष 2013 के संशोधन के पूर्व), धारा 511 और धारा 506 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग का प्रयास – आहत का परिसाक्ष्य – विश्वसनीयता – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में हुए विलंब का स्पष्ट किया जाना – आहत ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उसे बलपूर्वक अपने घर ले गया था और उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, निर्वस्त्र किया और अपना गुप्तांग उसके गुप्तांग से स्पर्श किया और यह धमकी दी कि यदि आहत ने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उस पर हमला करेगा, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बलात्संग के प्रयास और आपराधिक अधित्रास का दोषी ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है और निचले न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 14 फरवरी, 2007 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे अभियुक्त आहत कन्या को, जिसकी आयु उस समय लगभग 6 वर्ष थी, अपने घर ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे निर्वस्त्र किया और इसके पश्चात् उसने आहत अप्राप्तवय कन्या के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध एवम् उसकी सम्मति के बिना मैथुन किया और आहत कन्या के साथ किए गए इस अपराध के पश्चात् उसे धमकी दी और इस प्रकार अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376(1) और धारा 506(i) के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया । श्रीमती मुतम्मल

(अभि. सा. 1) अर्थात् आहत की माता द्वारा तारीख 24 फरवरी, 2007 को शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई गई जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई और श्रीधरन (अभि. सा. 9) द्वारा दंड संहिता की धारा 376 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई जिसे अन्वेषण हेतु संबंधित न्यायालय और उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया और मुद्रित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श पी-6 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । इसके पश्चात् यह पाया गया कि आहत कन्या की चिकित्सीय जांच कराई गई और इस संबंध में चिकित्सक (अभि. सा. 6) द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-3 है और तत्पश्चात् चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 5) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-2 है और आहत कन्या की आयु 5 से 7 वर्ष के बीच सुनिश्चित की गई है और इस संबंध में तैयार की गई विकिरण विज्ञानी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है । अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त की यौन क्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रदर्श पी-7) भी प्राप्त किया है और कई साक्षियों की परीक्षा कराई जाने और अन्य सामग्री एकत्र किए जाने के पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही उपरोक्त रूप में पूरी की गई और उसके पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । अभियोजन पक्षकथन साबित करने के लिए अभि. सा. 1 से अभि. सा. 15 की परीक्षा कराई गई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-10 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए । किसी भी तात्विक वस्तु को चिह्नांकित नहीं किया गया है । अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् अभियुक्त की परीक्षा (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन) कराई गई और उसके समक्ष अपराधजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त ने अपने विरुद्ध सभी बातों से इनकार किया । अभियुक्त की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । कोई भी तात्विक वस्तु चिह्नांकित नहीं की गई है । अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी अर्थात् दोनों प्रकार की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना की तारीख 14 फरवरी, 2007 है किंतु इस संबंध में शिकायत 24 फरवरी, 2007 को ही दर्ज कराई गई है । अतः, यह स्पष्ट है कि शिकायत दर्ज कराने में 10 दिन का विलंब है । इस मामले में मुख्य बिन्दु यह है कि आहत कन्या की आयु घटना के समय लगभग 6 वर्ष थी । आहत कन्या की परीक्षा अभि. सा. 4 के रूप में कराई गई है । यह पाया गया है कि अभिसाक्ष्य देने के लिए विचारण न्यायालय ने आहत कन्या की सक्षमता सुनिश्चित करने और इस संबंध में अपना समाधान करने के पश्चात् आहत कन्या की परीक्षा अभि. सा. 4 के रूप में की । आहत कन्या ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उसे उसका मुंह बंद करके बलपूर्वक अपने घर ले गया था और उसे उसने अपने बिस्तर पर लिटाया और उसे निर्वस्त्र किया और उसने अपना गुप्तांग आहत कन्या के गुप्तांग से स्पर्श किया और इसके पश्चात् आहत कन्या को धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उस पर हमला करेगा । अतः अभियुक्त द्वारा आहत कन्या को दी गई धमकी और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि आहत कन्या घटना के समय अप्राप्तवय थी, यह स्वाभाविक है कि आहत कन्या अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को प्रकट करने से भयभीत हो गई थी, तथापि, चूंकि उसके गुप्तांगों में पीड़ा होने लगी थी इसलिए, उसने इस संबंध में अपनी मौसी के पुत्र डेविड बालन (अभि. सा. 2) को बताया और तत्पश्चात् अभि. सा. 2 ने इस तथ्य की जानकारी आहत की माता मुतम्मल (अभि. सा. 1) को दी । तद्नुसार अभि. सा. 1 की बहिन अर्थात् लिली फ्लोरा (अभि. सा. 3) को इस संबंध में जानकारी दी गई और आहत कन्या को उसके गुप्तांग में कारित हुई अभिकथित क्षति के उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया । यह भी उल्लेखनीय है कि आहत की माता ने घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जिसे प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । चिकित्सा अधिकारी ने, जिसने आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा की है, यह पाया है कि आहत कन्या ने अपनी योनि में दर्द की शिकायत की थी और जांच के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी ने उसकी योनि में लालिमा और सूजन पाई, तद्नुसार आहत कन्या को औषधि उपलब्ध कराई गई और उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ से

सलाह लेने के लिए भेजा और इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त के भय से जो आहत के पड़ोस में ही रहता था, आहत कन्या उसके द्वारा कारित अपराध की पीड़ा सहन करती रही और उसके पश्चात् आहत कन्या को इस पीड़ा से बचने का कोई विकल्प दिखाई न देने पर उसने अभियुक्त द्वारा कारित किए गए कृत्य को प्रकट किया और उपरोक्त संघटकों के आधार पर जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही तय किया गया है, शिकायत दर्ज कराए जाने में हुआ विलंब अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है और मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए मेरी सुविचारित राय में शिकायत दर्ज कराए जाने में हुए विलंब से अभियोजन पक्षकथन किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता है । विकिरण विज्ञानी की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) के अनुसार यह पता लगाया जा सकता है कि घटना के दिन आहत कन्या की आयु 5 से 7 वर्ष के बीच थी और ऊपर भी यही इंगित किया गया है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार आहत कन्या की आयु घटना के दिन लगभग 6 वर्ष थी । घटना के समय आहत कन्या अप्राप्तवय थी फिर भी उस पर अभियुक्त द्वारा हमला किया गया है और जब न्यायालय में आहत कन्या की परीक्षा कराई गई, उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी, तथापि, न्यायालय का यह समाधान होने पर कि वह अभिसाक्ष्य देने के लिए सक्षम है, तद्नुसार न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा कराई गई और विचारण न्यायालय द्वारा यह ठीक ही पाया गया है कि आहत कन्या ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए विधिविरुद्ध कृत्य के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया है और आहत कन्या के संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए मेरी सुविचारित राय में यह निष्कर्ष निकलता है कि मात्र आहत कन्या के साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त होगा कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी है । आहत कन्या की प्रतिपरीक्षा कराए जाने के बावजूद, जैसाकि सरकारी अधिवक्ता द्वारा ठीक ही प्रतिवाद किया गया है, अभियुक्त द्वारा ऐसा कुछ भी इंगित नहीं किया गया है जिसके आधार पर आहत कन्या के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा सके और दूसरी ओर आहत कन्या का साक्ष्य तर्कसम्मत, विश्वसनीय, स्वीकार्य और विश्वासप्रद है । तथापि, डा. अनिता रोज (अभि. सा. 5) के

साक्ष्य और उनके द्वारा तैयार किए गए प्रमाण-पत्र (प्रदर्श पी-3) पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि आहत कन्या की योनिच्छद अक्षत है और कोई भी बाह्य क्षति नहीं पाई गई है और लिए गए नमूनों (प्रदर्श पी-8 और प्रदर्श पी-9) में वीर्य नहीं पाया गया है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है और इन परिस्थितियों में आहत कन्या के साक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि अभियुक्त ने किसी न किसी प्रकार आहत कन्या के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया है । अभियुक्त द्वारा आहत कन्या के साथ किया गया कृत्य आहत कन्या द्वारा उपरोक्त रूप में स्पष्ट किया गया है । इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में पूरी तरह न्यायोचित किया है । इसी प्रकार, अभियुक्त ने चूंकि आहत कन्या को यह धमकी दी थी कि यदि उसने इस घटना के संबंध में किसी को बताया तो वह उसे क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 506(i) के अधीन अपराध कारित किया है । इसी प्रकार, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने शिकायत दर्ज कराए जाने के संबंध में यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 ने पुलिस को मौखिक रूप से सूचना दी थी जिसे पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया और अभि. सा. 9 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 1 द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, मेरी सुविचारित राय में इस तथ्य से अभियोजन पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है विशेषकर अपराध को दृष्टिगत करते हुए जो अभियुक्त ने आहत कन्या के साथ कारित किया है जिसका उल्लेख आहत कन्या द्वारा किया गया है और मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए अभियोजन पक्षकथन ने शिकायत दर्ज कराए जाने से संबंधित विरोधाभास, अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । बहस के दौरान, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियुक्त की प्रजनन सक्षमता संबंधी रिपोर्ट और आहत कन्या को धारा 164-क से संबंधित जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के संबंध

में धारा 53-क का अतिक्रमण किया गया है । तथापि, उपरोक्त दस्तावेजों पर पूर्ण रूप से विचार करने और उन्हें न्यायालय को भेजने में हुए विलंब पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि न्यायालय को दस्तावेज भेजने में थोड़ा विलंब हुआ है, फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण के दौरान उक्त दस्तावेज उपाप्त किए गए हैं और अभियुक्त की ओर से इन दस्तावेजों को अवैध ठहराने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, इस प्रकार यदि यह उपधारित कर लिया जाए, जैसाकि अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रतिवाद किया गया है, उपरोक्त दस्तावेजों में कुछ कमियां हैं, फिर भी अभियोजन का मूल पक्षकथन स्पष्ट रूप से साबित हो गया है और इन परिस्थितियों में अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दर्शाई गई अभिकथित कमियों से अभियोजन पक्षकथन त्यक्त नहीं किया जा सकता । अत: अन्वेषण में आई कमियों से अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई, जैसाकि आहत कन्या द्वारा प्रकट किया गया है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और तद्नुसार उपरोक्त कारकों के आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित नहीं किया है । (पैरा 7, 8, 9, 10, 13, 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 687.

2009 के सेशन विचारण मामला सं. 3 में तारीख 24 सितंबर, 2013 को सेशन न्यायाधीश, महिला न्यायालय, कोयम्बतूर द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से स्वयं अपीलार्थी

प्रत्यर्थी की ओर से सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति टी. रवीन्द्रन – यह अपील 2009 के सेशन विचारण मामला सं. 3 में तारीख 24 सितंबर, 2013 को सेशन न्यायाधीश, महिला न्यायालय, कोयम्बतूर द्वारा पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376(1) के अधीन अपराध के लिए नहीं अपितु धारा 511 के

साथ पठित धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपए जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 3 मास के कठोर कारावास से और दंड संहिता की धारा 506(i) के अधीन 6 मास के कठोर कारावास से तथा 3,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 1 मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और अभियुक्त-अपीलार्थी पर अधिरोपित सभी दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया ।

2. अभियुक्त-अपीलार्थी द्‌वारा उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए दांडिक अपील फाइल की गई है ।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 14 फरवरी, 2007 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे अभियुक्त आहत कन्या को, जिसकी आयु उस समय लगभग 6 वर्ष थी, अपने घर ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसे निर्वस्त्र किया और इसके पश्चात् उसने आहत अप्राप्तवय कन्या के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध एवम् उसकी सम्मति के बिना मैथुन किया और आहत कन्या के साथ किए गए इस अपराध के पश्चात् उसे धमकी दी और इस प्रकार अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त-अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 376(1) और धारा 506(i) के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया । श्रीमती मुतम्मल (अभि. सा. 1) अर्थात् आहत की माता द्‌वारा तारीख 24 फरवरी, 2007 को शिकायत (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई गई जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध विधि के अधीन कार्यवाही आरंभ की गई और श्रीधरन (अभि. सा. 9) द्‌वारा दंड संहिता की धारा 376 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई जिसे अन्वेषण हेतु संबंधित न्यायालय और उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया और मुद्रित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श पी-6 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । इसके पश्चात् यह पाया गया कि आहत कन्या की चिकित्सीय जांच कराई गई और इस संबंध में चिकित्सक (अभि. सा. 6) द्‌वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-3 है और तत्पश्चात् चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 5) द्‌वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी-2 है और आहत कन्या की आयु 5 से 7 वर्ष के बीच सुनिश्चित की गई है और इस संबंध में तैयार की गई

विकिरण विज्ञानी की रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है । अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण के दौरान अभियुक्त की यौन क्षमता संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रदर्श पी-7) भी प्राप्त किया है और कई साक्षियों की परीक्षा कराई जाने और अन्य सामग्री एकत्र किए जाने के पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही उपरोक्त रूप में पूरी की गई और उसके पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

4. अभियोजन पक्षकथन साबित करने के लिए अभि. सा. 1 से अभि. सा. 15 की परीक्षा कराई गई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-10 दस्तावेज चिह्नांकित किए गए । किसी भी तात्विक वस्तु को चिह्नांकित नहीं किया गया है । अभियोजन साक्ष्य अभिलिखित किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् अभियुक्त की परीक्षा (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन) कराई गई और उसके समक्ष अपराधजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और अभियुक्त ने अपने विरुद्ध सभी बातों से इनकार किया । अभियुक्त की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । कोई भी तात्विक वस्तु चिह्नांकित नहीं की गई है ।

5. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी अर्थात् दोनों प्रकार की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस आदेश से व्यथित होकर दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है ।

6. अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376(1) और 506(i) के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित किया गया है । अभियोजन पक्ष के अनुसार तारीख 14 फरवरी, 2007 को अपराह्न लगभग 4.00 बजे अभियुक्त आहत कन्या को अपने घर लाया था ।

घटना के समय आहत कन्या की आयु लगभग 6 वर्ष थी । अभियुक्त ने कन्या को अपने बिस्तर पर लिटाया, उसे निर्वस्त्र किया और उसकी इच्छा के विरुद्ध और उसकी सम्मति के बिना उसके साथ संभोग किया और अपराध कारित करने के पश्चात् उसे धमकी दी कि यदि उसने इस संबंध में किसी को बताया तो वह उसे क्षति पहुंचाएगा और इस प्रकार अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित किया है ।

7. अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना की तारीख 14 फरवरी, 2007 है किंतु इस संबंध में शिकायत 24 फरवरी, 2007 को ही दर्ज कराई गई है । अतः, यह स्पष्ट है कि शिकायत दर्ज कराने में 10 दिन का विलंब है । इस मामले में मुख्य बिन्दु यह है कि आहत कन्या की आयु घटना के समय लगभग 6 वर्ष थी । आहत कन्या की परीक्षा अभि. सा. 4 के रूप में कराई गई है । यह पाया गया है कि अभिसाक्ष्य देने के लिए विचारण न्यायालय ने आहत कन्या की सक्षमता सुनिश्चित करने और इस संबंध में अपना समाधान करने के पश्चात् आहत कन्या की परीक्षा अभि. सा. 4 के रूप में की । आहत कन्या ने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त उसे उसका मुंह बंद करके बलपूर्वक अपने घर ले गया था और उसे उसने अपने बिस्तर पर लिटाया और उसे निर्वस्त्र किया और उसने अपना गुप्तांग आहत कन्या के गुप्तांग से स्पर्श किया और इसके पश्चात् आहत कन्या को धमकी दी कि यदि उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उस पर हमला करेगा ।

8. अतः अभियुक्त द्वारा आहत कन्या को दी गई धमकी और इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि आहत कन्या घटना के समय अप्राप्तवय थी, यह स्वाभाविक है कि आहत कन्या अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को प्रकट करने से भयभीत हो गई थी, तथापि, चूंकि उसके गुप्तांगों में पीड़ा होने लगी थी इसलिए, उसने इस संबंध में अपनी मौसी के पुत्र डेविड बालन (अभि. सा. 2) को बताया और तत्पश्चात् अभि. सा. 2 ने इस तथ्य की जानकारी आहत की माता मुतम्मल (अभि. सा. 1) को दी । तद्नुसार अभि. सा. 1 की बहिन अर्थात् लिली फ्लोरा (अभि. सा. 3) को इस संबंध में जानकारी दी गई और आहत कन्या को उसके गुप्तांग में कारित हुई अभिकथित क्षति के उपचार के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया । यह भी उल्लेखनीय है कि आहत की माता ने घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जिसे प्रदर्श पी-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है ।

9. चिकित्सा अधिकारी ने, जिसने आहत कन्या की चिकित्सा परीक्षा की है, यह पाया है कि आहत कन्या ने अपनी योनि में दर्द की शिकायत की थी और जांच के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी ने उसकी योनि में लालिमा और सूजन पाई, तद्नुसार आहत कन्या को औषधि

उपलब्ध कराई गई और उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए भेजा और इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त के भय से जो आहत के पड़ोस में ही रहता था, आहत कन्या उसके द्वारा कारित अपराध की पीड़ा सहन करती रही और उसके पश्चात् आहत कन्या को इस पीड़ा से बचने का कोई विकल्प दिखाई न देने पर उसने अभियुक्त द्वारा कारित किए गए कृत्य को प्रकट किया और उपरोक्त संघटकों के आधार पर जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही तय किया गया है, शिकायत दर्ज कराए जाने में हुआ विलंब अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है और मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए मेरी सुविचारित राय में शिकायत दर्ज कराए जाने में हुए विलंब से अभियोजन पक्षकथन किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता है ।

10. विकिरण विज्ञानी की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) के अनुसार यह पता लगाया जा सकता है कि घटना के दिन आहत कन्या की आयु 5 से 7 वर्ष के बीच थी और ऊपर भी यही इंगित किया गया है कि अभियोजन पक्षकथन के अनुसार आहत कन्या की आयु घटना के दिन लगभग 6 वर्ष थी । घटना के समय आहत कन्या अप्राप्तवय थी फिर भी उस पर अभियुक्त द्वारा हमला किया गया है और जब न्यायालय में आहत कन्या की परीक्षा कराई गई, उस समय उसकी आयु लगभग 11 वर्ष थी, तथापि, न्यायालय का यह समाधान होने पर कि वह अभिसाक्ष्य देने के लिए सक्षम है, तद्नुसार न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा कराई गई और विचारण न्यायालय द्वारा यह ठीक ही पाया गया है कि आहत कन्या ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ किए गए विधिविरुद्ध कृत्य के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य दिया है और आहत कन्या के संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए मेरी सुविचारित राय में यह निष्कर्ष निकलता है कि मात्र आहत कन्या के साक्ष्य के आधार पर यह अभिनिर्धारित पर्याप्त होगा कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी है । आहत कन्या की प्रतिपरीक्षा कराए जाने के बावजूद, जैसाकि सरकारी अधिवक्ता द्वारा ठीक ही प्रतिवाद किया गया है, अभियुक्त द्वारा ऐसा कुछ भी इंगित नहीं किया गया है जिसके आधार पर आहत कन्या के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराया जा

सके और दूसरी ओर आहत कन्या का साक्ष्य तर्कसम्मत, विश्वसनीय, स्वीकार्य और विश्वासप्रद है ।

11. निस्संदेह, जहां तक अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य का संबंध है, उनके साक्ष्य में कुछ विरोधाभास पाए गए हैं । तथापि, जैसाकि विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियुक्त की अपराध में भूमिका के संबंध में साक्षियों के साक्ष्य में पाए गए विरोधाभास अत्यंत तुच्छ हैं और इनसे अभियोजन पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इस प्रकार मेरी सुविचारित राय में शिकायत दर्ज कराए जाने के तरीके और घटना की तारीख से संबंधित अभि. सा. 1 से अभि. सा. 3 के साक्ष्य में आए विरोधाभास से अभियोजन पक्षकथन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब आहत का साक्ष्य अत्यंत विश्वसनीय और विश्वासप्रद हो । आहत कन्या का ऐसा कोई हेतु साबित नहीं हो सका है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दे और दूसरी ओर आहत कन्या के अकाट्य साक्ष्य से यह पता चलता है कि अभियुक्त ने ही वह अपराध कारित किया है जिसके लिए उसे आरोपित किया गया है ।

12. अभियुक्त को प्रजनन क्रिया की दृष्टि से सक्षम पाया गया है और यह तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रजनन प्रमाण-पत्र (प्रदर्श पी-7) के अनुसार सिद्ध किया गया है ।

13. तथापि, डा. अनिता रोज (अभि. सा. 5) के साक्ष्य और उनके द्वारा तैयार किए गए प्रमाण-पत्र (प्रदर्श पी-3) पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि आहत कन्या की योनिच्छद अक्षत है और कोई भी बाह्य क्षति नहीं पाई गई है और लिए गए नमूनों (प्रदर्श पी-8 और प्रदर्श पी-9) में वीर्य नहीं पाया गया है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है और इन परिस्थितियों में आहत कन्या के साक्ष्य पर विचार करने पर यह पता चलता है कि अभियुक्त ने किसी न किसी प्रकार आहत कन्या के साथ बलात्संग करने का प्रयास किया है । अभियुक्त

द्वारा आहत कन्या के साथ किया गया कृत्य आहत कन्या द्वारा उपरोक्त रूप में स्पष्ट किया गया है । इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में पूरी तरह न्यायोचित किया है । इसी प्रकार, अभियुक्त ने चूंकि आहत कन्या को यह धमकी दी थी कि यदि उसने इस घटना के संबंध में किसी को बताया तो वह उसे क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 506(i) के अधीन अपराध कारित किया है ।

14. बहस के दौरान, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने मुख्यत: शिकायत दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में प्रतिवाद किया है । तथापि, जैसाकि ऊपर इंगित किया गया है, शिकायत दर्ज कराए जाने में जो विलंब हुआ है उसे अभियोजन पक्ष द्वारा समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है ।

15. इसी प्रकार, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने शिकायत दर्ज कराए जाने के संबंध में यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 ने पुलिस को मौखिक रूप से सूचना दी थी जिसे पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया और अभि. सा. 9 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभि. सा. 1 द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी, मेरी सुविचारित राय में इस तथ्य से अभियोजन पक्षकथन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है विशेषकर अपराध को दृष्टिगत करते हुए जो अभियुक्त ने आहत कन्या के साथ कारित किया है जिसका उल्लेख आहत कन्या द्वारा किया गया है और मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए अभियोजन पक्षकथन ने शिकायत दर्ज कराए जाने से संबंधित विरोधाभास, अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

16. बहस के दौरान, अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल ने यह प्रतिवाद किया है कि अभियुक्त की प्रजनन सक्षमता संबंधी रिपोर्ट और आहत कन्या को धारा 164-क से संबंधित जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण-पत्र के संबंध में धारा 53-क का अतिक्रमण किया गया है । तथापि, उपरोक्त

दस्तावेजों पर पूर्ण रूप से विचार करने और उन्हें न्यायालय को भेजने में हुए विलंब पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि न्यायालय को दस्तावेज भेजने में थोड़ा विलंब हुआ है, फिर भी अभियोजन पक्ष द्वारा अन्वेषण के दौरान उक्त दस्तावेज उपाप्त किए गए हैं और अभियुक्त की ओर से इन दस्तावेजों को अवैध ठहराने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, इस प्रकार यदि यह उपधारित कर लिया जाए, जैसाकि अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रतिवाद किया गया है, उपरोक्त दस्तावेजों में कुछ कमियां हैं, फिर भी अभियोजन का मूल पक्षकथन स्पष्ट रूप से साबित हो गया है और इन परिस्थितियों में अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा दर्शाई गई अभिकथित कमियों से अभियोजन पक्षकथन त्यक्त नहीं किया जा सकता ।

अत: अन्वेषण में आई कमियों से अभियोजन पक्षकथन की सच्चाई, जैसाकि आहत कन्या द्वारा प्रकट किया गया है, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और तद्नुसार उपरोक्त कारकों के आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित नहीं किया है ।

17. ऊपर कथित कारणों के आधार पर, दंड संहिता की धारा 511 के साथ पठित धारा 376 और धारा 506(i) के अधीन 2009 के सेशन विचारण मामला सं. 3 में तारीख 24 सितंबर, 2013 को पारित निर्णय के अनुसार विद्वान् सेशन न्यायाधीश, (महिला न्यायालय), कोयंबतूर द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है और परिणामत: दांडिक अपील खारिज की जाती है । विचारण न्यायालय को अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने और उसे विधि अनुसार अधिरोपित दंडादेश भोगने हेतु कारावास भेजने का निदेश दिया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

शंभू लाल

बनाम

राजस्थान राज्य

(2006 की दांडिक अपील सं. 748)

तारीख 8 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति अभय चतुर्वेदी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा गला दबाकर पत्नी की हत्या – अपीलार्थी का घटनास्थल पर मौजूद पाया जाना – घटना के पूर्व अपीलार्थी द्वारा पत्नी के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से श्वासावरोध की पुष्टि – अपीलार्थी और मृतका के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और घटना के समय अपीलार्थी घटनास्थल पर मौजूद पाया गया था और साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य से श्वासावरोध के कारण मृत्यु होने की पुष्टि होती है, अत: अपीलार्थी हत्या का दोषी है और निचले न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 106 – सबूत का भार – केवल मृतका और अपीलार्थी का घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद पाया जाना – प्रतिरक्षा साक्षी के साक्ष्य से अपीलार्थी की मौजूदगी साबित होना – घटना के समय केवल अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतका ही घटनास्थल पर मौजूद थे, अत: निर्दोषिता साबित करने का भार अभियुक्त पर है जो प्रतिरक्षा साक्षी प्रस्तुत करके भी साबित नहीं कर सका, अत: अपीलार्थी का कृत्य उस आशय से भिन्न नहीं है जिसे परिस्थितियां इंगित करती हैं, इसलिए उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

इस मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चुन्नी लाल (अभि. सा. 1) ने अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए पुलिस थाना

निकुंब में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई कि उसकी पुत्री का विवाह लगभग 25 वर्ष पूर्व अपीलार्थी शंभू लाल के साथ हुआ था । इस विवाह-बंधन से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम राजू है और उसकी आयु 18 वर्ष है जो इत्तिलाकर्ता के साथ रहता था । शंभू लाल अपनी पत्नी श्रीमती लीला के साथ शराब पीकर झगड़ा किया करता था । लगभग एक मास पूर्व शंभू लाल ने लीला पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसने पड़ोसी के घर में कूद कर किसी प्रकार अपनी जान बचाई । इसके पश्चात्, वह इत्तिलाकर्ता के साथ रहने लगी । वह अपने मायके में लगभग 15 दिन तक रही । घर-परिवार के सदस्यों द्वारा समझाए जाने और अभियुक्त शंभू लाल द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर, कि वह भविष्य में लीला के साथ झगड़ा नहीं करेगा, लीला को उसके वैवाहिक गृह भेज दिया गया । चंदाखेड़ी के निवासी मनोज पुत्र सोहन लाल ने तारीख 14 अक्तूबर, 2005 को शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसे यह बताया कि लीला की मृत्यु हो गई है । इस पर शिकायतकर्ता और उसके परिजन लीला के वैवाहिक गृह पर गए और उन्होंने लीला को मृत पड़ा हुआ देखा जिसके नाक और मुंह से झाग निकल रहे थे । शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि लीला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है । इस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन कार्यवाही की गई । लीला के शव का पंचनामा तैयार किया गया और उसके पश्चात् शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) प्राप्त की गई जिसके अनुसार मृतका की कंठास्थि में अस्थिभंग पाया गया । मृतका की ग्रीवा की चौथी और पांचवीं कशेरुक में भी अस्थिभंग पाया गया और मेरु रज्जु कई स्थानों पर संकुचित पाई गई । मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाकर किया गया श्वासावरोध पाया गया । लीला का शव क्रियाकर्म के लिए चुन्नी लाल को सौंप दिया गया । तारीख 17 अक्तूबर, 2005 को अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट सं. 94/2005 (प्रदर्श पी-13) के अनुसार कार्यवाही करते हुए तारीख 18 अक्तूबर, 2005 को अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तार किया । अन्वेषण के दौरान सुसंगत कार्यवाही की गई और इसके पश्चात् संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि यह अपराध सेशन न्यायालय द्वारा एकमात्र रूप से विचारणीय था, इसलिए इसे अपर सेशन न्यायाधीश, नीमबहेड़ा के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त अपराध के लिए आरोप विरचित किया जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 16 साक्षियों की परीक्षा कराई और 38 दस्तावेज प्रदर्शित किए । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन परिप्रश्न किए जाने पर अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभियोजन अभिकथनों से इनकार किया और यह दावा किया कि लीला मंद बुद्धि थी और उसकी मृत्यु विष-पान से हुई है । पुनाजी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और मांगी लाल (प्रतिरक्षा साक्षी 2) की परीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कराई गई है और तीन दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं । अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इसलिए यह अपील फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर निम्न तथ्य स्वीकृत पाए जाते हैं – (i) यह कि अपीलार्थी का विवाह मृतका लीला के साथ लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था ; (ii) यह कि तारीख 14 अक्तूबर, 2005 को केवल मृतका लीला और अपीलार्थी ही उस समय घर पर मौजूद थे जब मृतका अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत पाई गई ; (iii) मृतका के पिता चुन्नी लाल (अभि. सा. 1) और 'मृतका तथा अपीलार्थी' के पुत्र राजू (अभि. सा. 16) के साक्ष्य से सम्यक् रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलार्थी और लीला के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और अपीलार्थी उसके साथ दुर्व्यवहार करता

था ; (iv) डा. ज्ञानमल (अभि. सा. 10) के साक्ष्य से, जिसने लीला का शवपरीक्षण किया है और इस संबंध में शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) प्रस्तुत की है, सम्यक् रूप से यह साबित होता है कि श्रीमती लीला की गला दबाकर हत्या की गई है । (पैरा 7)

अभियोजन पक्षकथन प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है । इस स्वीकृत स्थिति पर विचार करने पर कि केवल अपीलार्थी और मृतका लीला ही उस मकान में मौजूद थे जहां शव पाया गया, अत: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अधीन साबित करने का भार निश्चित रूप से अपीलार्थी पर ही आएगा कि वह स्पष्ट करे कि उसकी पत्नी की उनके एकांत घर में गला दबाकर हत्या कैसे की गई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन में अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया है कि लीला की मृत्यु विष-पान से हुई है जो कि पूर्णतया मिथ्या और कूटरचित स्पष्टीकरण है । ऊपर निर्दिष्ट किए गए प्रतिरक्षा पक्ष के दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी घटना के दिन मृतका के साथ था । इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन उपबंधित सबूत का प्रतिकूल भार अपीलार्थी पर आता है कि वह यह साबित करे कि लीला की मृत्यु किस प्रकार हुई । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन तर्कसम्मत स्पष्टीकरण देने के बजाय अपनी प्रतिरक्षा में मिथ्या कथन दिया है । उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए हमारी यह दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष ने सम्यक् रूप से यह तथ्य सिद्ध किया है कि अपीलार्थी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मृतका की हत्या किए जाने के समय उसके घर पर मौजूद था । अभियोजन साक्ष्य से न्यायालय का यह समाधान पर्याप्त रूप से हो जाता है कि अपीलार्थी मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित किया करता था और यह कि घटना के एक मास पूर्व ही उसके इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए मृतका को उसके वैवाहिक गृह से अपने पिता के यहां जाने और वहीं रहने के लिए विवश किया गया । इसके पश्चात् मृतका को समझाया गया और उसे घटना के केवल 15 दिन पूर्व ही उसे उसके वैवाहिक गृह वापस भेज दिया गया । अपीलार्थी

और मृतका उस समय घर पर अकेले मौजूद थे जब मृतका की हत्या चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार गला घोंटकर की गई । अपीलार्थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन यह स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है कि उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण क्या है जबकि उसने इस संबंध में मिथ्या स्पष्टीकरण दिया है । इस पृष्ठभूमि में, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उसकी अपनी पत्नी की हत्या के आरोप के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में पूर्णतया न्यायोचित किया है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, नीमबहेड़ा, कैम्प बड़ी सदरी, चित्तौड़गढ़ द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2006 को पारित आक्षेपित निर्णय में कोई भी कमी और अवैधता नहीं है इसलिए उसमें हस्तक्षेप किया जाना वांछनीय नहीं है । (पैरा 8, 10 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 10 एस. सी. सी. 681 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 20 (एस. सी.) : **त्रिमुख मरोति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	9

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं. 748.

2005 के सेशन मामला सं. 96 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, नीमबहेड़ा, कैम्प बड़ी सदरी, चित्तौड़गढ़ द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2006 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अजय व्यास

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. आर. छपरवाल (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने दिया ।

न्या. मेहता – यह अपील 2005 के सेशन मामला सं. 96 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, नीमबहेड़ा, कैम्प बड़ी सदरी, चित्तौड़गढ़

द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2006 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को निम्न सारणी के अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है :-

दंड संहिता की धारा	कारावास	जुर्माना	व्यतिक्रम कारावास
302	आजीवन कारावास	2,000/- रुपए	3 मास का कठोर कारावास

2. अपीलार्थी ने अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील फाइल की है ।

3. इस अपील के निपटारे से संबंधित सुसंगत और आवश्यक तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

चुन्नी लाल (अभि. सा. 1) ने अन्य बातों के साथ यह अभिकथन करते हुए पुलिस थाना निकुंब में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज कराई कि उसकी पुत्री का विवाह लगभग 25 वर्ष पूर्व अपीलार्थी शंभू लाल के साथ हुआ था । इस विवाह-बंधन से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम राजू है और उसकी आयु 18 वर्ष है जो इत्तिलाकर्ता के साथ रहता था । शंभू लाल अपनी पत्नी श्रीमती लीला के साथ शराब पीकर झगड़ा किया करता था । लगभग एक मास पूर्व शंभू लाल ने लीला पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसने पड़ोसी के घर में कूद कर किसी प्रकार अपनी जान बचाई । इसके पश्चात्, वह इत्तिलाकर्ता के साथ रहने लगी । वह अपने मायके में लगभग 15 दिन तक रही । घर-परिवार के सदस्यों द्वारा समझाए जाने और अभियुक्त शंभू लाल द्वारा यह आश्वासन दिए जाने पर, कि वह भविष्य में लीला के साथ झगड़ा नहीं करेगा, लीला को उसके वैवाहिक गृह भेज दिया गया । चंदाखेड़ी के निवासी मनोज पुत्र सोहन लाल ने तारीख 14 अक्तूबर, 2005 को शिकायतकर्ता से संपर्क किया और उसे यह बताया कि लीला की मृत्यु हो गई है । इस पर शिकायतकर्ता और उसके

परिजन लीला के वैवाहिक गृह पर गए और उन्होंने लीला को मृत पड़ा हुआ देखा जिसके नाक और मुंह से झाग निकल रहे थे । शिकायतकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि लीला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है । इस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन कार्यवाही की गई । लीला के शव का पंचनामा तैयार किया गया और उसके पश्चात् शव को शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) प्राप्त की गई जिसके अनुसार मृतका की कंठास्थि में अस्थिभंग पाया गया । मृतका की ग्रीवा की चौथी और पांचवीं कशेरुक में भी अस्थिभंग पाया गया और मेरु रज्जु कई स्थानों पर संकुचित पाई गई । मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाकर किया गया श्वासावरोध पाया गया । लीला का शव क्रियाकर्म के लिए चुन्नी लाल को सौंप दिया गया ।

तारीख 17 अक्तूबर, 2005 को अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 94/2005 (प्रदर्श पी-13) के अनुसार कार्यवाही करते हुए तारीख 18 अक्तूबर, 2005 को अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तार किया । अन्वेषण के दौरान सुसंगत कार्यवाही की गई और इसके पश्चात् संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । चूंकि यह अपराध सेशन न्यायालय द्वारा एकमात्र रूप से विचारणीय था, इसलिए इसे अपर सेशन न्यायाधीश, नीमबहेड़ा के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया जिन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध उक्त अपराध के लिए आरोप विरचित किया जिस पर अभियुक्त-अपीलार्थी ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 16 साक्षियों की परीक्षा कराई और 38 दस्तावेज प्रदर्शित किए । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313

के अधीन परिप्रश्न किए जाने पर अभियुक्त-अपीलार्थी ने अभियोजन अभिकथनों से इनकार किया और यह दावा किया कि लीला मंद बुद्धि थी और उसकी मृत्यु विष-पान से हुई है । पुनाजी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और मांगी लाल (प्रतिरक्षा साक्षी 2) की परीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कराई गई है और तीन दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं । अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपरोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

4. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अजय व्यास ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन मिथ्या और कूटरचित है । मामले के अभिलेख पर ऐसा कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर संदेह के परे यह साबित किया जा सके कि अपीलार्थी ने लीला की हत्या की है । लीला का शवपरीक्षण किए जाने पर ये लक्षण पाए गए कि लीला ने विष-पान किया था किंतु अन्वेषण अधिकारी द्वारा लीला की अंतड़ियों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी को अपराध से संबद्ध करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और लीला की हत्या करने के लिए अभियुक्त का कोई भी हेतु साबित नहीं होता है । इस आधार पर अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी अपराध से दोषमुक्त किए जाने योग्य है ।

5. इसके प्रतिकूल राज्य की ओर से विद्वान् लोक अभियोजक ने दृढ़तापूर्वक अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल की दलीलों का खंडन किया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि उस घर में केवल अपीलार्थी और लीला ही रहते थे जिसमें गला घोंटकर लीला की हत्या की गई और इसी घर में से लीला का शव बरामद किया गया । अपीलार्थी ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि घटना के दिन वह घर में मौजूद था । उसने पूरी तरह से मिथ्या

प्रतिरक्षा ली है कि लीला की मृत्यु विष-पान से हुई है और इस प्रकार अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए । विद्वान् लोक अभियोजक ने न्यायालय का ध्यान प्रतिरक्षा साक्षी पुनाजी (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और मांगी लाल (प्रतिरक्षा साक्षी 2) के साक्ष्य की ओर दिलाया है और इन दोनों साक्षियों ने यह कथन किया है कि शंभू लाल घर में मौजूद था और लीला पेट में दर्द होने के कारण चिल्ला रही थी । इन दोनों साक्षियों ने शंभू लाल को यह परामर्श दिया कि वह लीला को चिकित्सक के पास ले जाए । शंभू लाल संगरिया गया और चिकित्सक को बुलाकर लाया जिसने लीला को मृत घोषित कर दिया । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि दोनों प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि जिस समय लीला की मृत्यु हुई उस समय अपीलार्थी घर पर ही था । इस प्रकार विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि यह साबित करने का भार अपीलार्थी पर होगा कि अपीलार्थी और मृतका के अतिरिक्त घर में अन्य किसी व्यक्ति के मौजूद न होने पर मृतका को गला घोंटने संबंधी क्षतियां कैसे पहुंचीं । इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी तर्कसम्मत कारण न दिए जाने बल्कि उसके द्वारा मिथ्या प्रतिरक्षा लेने पर उसके विरुद्ध यह प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है कि और कोई नहीं अपितु अपीलार्थी ही हत्यारा है । इस आधार पर विद्वान् लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष अपील खारिज किए जाने और निचले न्यायालय के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि किए जाने का निवेदन किया है ।

6. हमने न्यायालय में प्रस्तुत की गई दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

7. अभिलेख पर निम्न तथ्य स्वीकृत पाए जाते हैं :-

(i) यह कि अपीलार्थी का विवाह मृतका लीला के साथ लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था ;

(ii) यह कि तारीख 14 अक्तूबर, 2005 को केवल मृतका

लीला और अपीलार्थी ही उस समय घर पर मौजूद थे जब मृतका अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत पाई गई ;

(iii) मृतका के पिता चुन्नी लाल (अभि. सा. 1) और 'मृतका तथा अपीलार्थी' के पुत्र राजू (अभि. सा. 16) के साक्ष्य से सम्यक् रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलार्थी और लीला के बीच अच्छे संबंध नहीं थे और अपीलार्थी उसके साथ दुर्व्यवहार करता था ;

(iv) डा. ज्ञानमल (अभि. सा. 10) के साक्ष्य से, जिसने लीला का शवपरीक्षण किया है और इस संबंध में शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) प्रस्तुत की है, सम्यक् रूप से यह साबित होता है कि श्रीमती लीला का गला दबाकर हत्या की गई है । चिकित्सक द्वारा शवपरीक्षण रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार हैं –

1. सर्वाइकल कशेरुक सं. 4 और 5 में मेरु रज्जू पर दबाव के साथ अस्थिभंग पाया गया है और कंठास्थि तथा थाइरॉयड उपास्थि में भी अस्थिभंग पाया गया है ।

2. श्वासनली विदीर्ण पाई गई है ।

3. शव के चेहरे पर सायनोसिस पाया गया है । शरीर और चेहरे पर पाए गए चिह्नों से पर्याप्त रूप से यह साबित होता है कि मृतका का गला बर्बरतापूर्ण घोंटा गया है ।

8. अभियोजन पक्षकथन प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है । इस स्वीकृत स्थिति पर विचार करने पर कि केवल अपीलार्थी और मृतका लीला ही उस मकान में मौजूद थे जहां शव पाया गया, अतः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के अधीन साबित करने का भार निश्चित रूप से अपीलार्थी पर ही आएगा कि वह स्पष्ट करे कि उसकी पत्नी की उनके एकांत घर में गला दबाकर हत्या कैसे की गई । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन में अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया है कि लीला की मृत्यु विष-पान से हुई है जो कि पूर्णतया मिथ्या और कूटरचित स्पष्टीकरण है । ऊपर निर्दिष्ट

किए गए प्रतिरक्षा पक्ष के दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी घटना के दिन मृतका के साथ था । इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन उपबंधित सबूत का प्रतिकूल भार अपीलार्थी पर आता है कि वह यह साबित करे कि लीला की मृत्यु किस प्रकार हुई । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन तर्कसम्मत स्पष्टीकरण देने के बजाय अपनी प्रतिरक्षा में मिथ्या कथन दिया है ।

9. वर्तमान मामले में जो स्थिति उद्भूत होती है वह पूरी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **त्रिमुख मरोति किरकन** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के अन्तर्गत आती है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है :-

> "12. यदि कोई अपराध किसी निजी मकान में घटित होता है जहां हमलावरों को अपनी इच्छानुसार अपराध की योजना बनाने और उसे कारित करने का अवसर उपलब्ध होता है, तब अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त का दोष सिद्ध करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन होता है विशेषकर ऐसी स्थिति में जब न्यायालय पारिस्थितिक साक्ष्य के सिद्धांत का कठोरता से अनुपालन किए जाने पर बल देता है । न्यायाधीश का कर्तव्य मात्र आपराधिक मामले का विचारण करना नहीं अपितु यह सुनिश्चित करना भी होता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए । न्यायाधीश का कर्तव्य दोषी को छोड़ना भी नहीं है । न्यायाधीश के ये दोनों काम लोक कर्तव्य के अधीन आते हैं । स्टलैंड **बनाम** निदेशक लोक अभियोजन [1944 ए. सी. 315] वाले मामले को न्यायाधीश अरिजीत पसायत द्वारा पंजाब राज्य **बनाम** करनैल सिंह [(2003) 11 एस. सी. सी. 271 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3609 = 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 3892 (एस. सी.)] वाले मामले में उद्धृत किया गया है । विधि के अधीन अभियोजन पक्ष का यह

[1] (2006) 10 एस. सी. सी. 681 = 2007 क्रिमिनल ला जर्नल 20 (एस. सी.).

कर्तव्य नहीं है कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिसका उपलब्ध किया जाना लगभग असंभव हो या अत्यंत कठिन हो । अभियोजन पक्ष का कर्तव्य ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करना है जो मामले के तथ्यों या परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके । यहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसके अधीन यह उपबंध किया गया है कि जब किसी तथ्य की जानकारी विशेष रूप से किसी व्यक्ति को है तब उस तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा । इस धारा से संबंधित दृष्टांत (ख) निम्न प्रकार है –

> '(ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है । यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, उस पर है ।'

जब किसी निजी मकान में हत्या जैसा अपराध कारित किया जाता है, तब अपराध सिद्ध करने का आरंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा किंतु अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा इतनी नहीं होती है जितनी पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में आवश्यक होती है । इस संबंध में अभियोजन पक्ष पर साबित करने का भार हल्का होता है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को दृष्टिगत करते हुए उस मकान में रहने वाले व्यक्तियों पर यह साबित करने का समवर्ती भार होगा कि वे इस संबंध में तर्क संबंधी स्पष्टीकरण दें कि अपराध कैसे कारित किया गया । उस मकान में रहने वाले लोग केवल मौन रहकर अपने दायित्व से इस आधार पर बच नहीं सकते कि अपराध साबित करने का भार तो अभियोजन पक्ष पर होता है और यह कि किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देने की जिम्मेदारी अभियुक्त की नहीं है ।

13. कलक्टर सीमा शुल्क, मद्रास और अन्य **बनाम** डी. भूरमल [ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 859] वाले मामले में सागर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 167 और 178क के संबंध

में इस न्यायालय द्वारा ऐसे ही प्रश्न पर विचार किया गया है और इस निर्णय के पैरा 30 से 32 को निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है –

> 30. इस पर विवाद नहीं किया जा सकता कि सागर सीमा-शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 167 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए इस अधिनियम की धारा 178क लागू नहीं होगी, अत: यह साबित करने का भार विभाग पर होगा कि माल की तस्करी की गई है । सभी दांडिक और अर्ध-दांडिक कार्यवाहियों में जहां इसके प्रतिकूल कोई कानूनी उपबंध न हो, वहां सबूत के संबंध में मूल सिद्धांत लागू होता है । किंतु साबित करने के भार की व्यापकता और प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए हमें सार्वत्रिक रूप से लागू किए जाने जैसे अन्य मूल सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए । इनमें से एक सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष या विभाग से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह गणितीय आधार पर साक्ष्य का मूल्यांकन करे क्योंकि मानव संव्यवहार में सटीक सूत्र स्थापित करना मिथ्या ही है और जैसाकि प्रोफेसर ब्रेट ने व्यक्त किया है - "संपूर्ण सटीकता मिथ्या है" । एल-डोराडो के अनुसार परम सबूत अनुपलब्ध होने के कारण विधि के अधीन संभाव्यता को इसका विकल्प माना जाता है । विधि के अधीन अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह असंभव को साबित करे । अपेक्षा केवल यह की जाती है कि तथ्य संभाव्यता की उस कोटि तक साबित किया जाए जिस पर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति विवाद्यक तथ्य के रूप में विश्वास कर सके । इस प्रकार, विधिक सबूत को आवश्यक रूप से सटीक सबूत नहीं कहा जा सकता ; प्राय: यह प्रज्ञावान व्यक्ति के आकलन से अधिक कुछ नहीं होता है ।
>
> 31. सबूत के भार से संबंधित मुख्य सिद्धांत ब्लैच **बनाम** आर्चर [(1774) 1 काउप 63, पृष्ठ 65] वाले मामले में लार्ड

मेन्सफील्ड के इन शब्दों के आधार पर साक्ष्य की पर्याप्तता और भार पर विचार किया जाना चाहिए कि "सबूत ऐसा होना चाहिए कि वह एक पक्षकार द्वारा साबित किया जाना तो दूसरे पक्षकार द्वारा उसका खंडन न किया जा सके" । अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को साबित करना अत्यंत कठिन होता है जो केवल विरोधी पक्षकार या अभियुक्त की जानकारी में होते हैं किंतु अभियोजन पक्ष ऐसे तथ्यों को साबित करने के लिए प्राथमिक रूप से बाध्य नहीं है ।

32. तस्करी एक ऐसा गुप्त कार्य है जिसके अन्तर्गत विधि विधिक कर्तव्य की अवहेलना करते हुए माल का आदान-प्रदान किया जाता है । इस कार्य में गोपनीयता और चोरी का सहारा लिया जाता है, निवारक विभाग के लिए इस प्रक्रिया की प्रत्येक कड़ी का अनावरण करना असंभव होता है । इस अवैध व्यापार से संबंधित बहुत-से तथ्य इस अपराध में अन्तर्वलित व्यक्तियों की विशिष्ट जानकारी में होते हैं । साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन सिद्धांतों के आधार पर उन तथ्यों को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है और यदि वह उन तथ्यों को साबित करने में असफल हो जाता है तब उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो अभियोजन पक्ष या विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानित साक्ष्य पर आधारित होता है और इससे अभियुक्त की निर्दोषिता के प्रति की जाने वाली आरंभिक उपधारणा का खंडन होता है और परिणामस्वरूप उसका दोष साबित हो जाता है । विद्वान् लेखक बेस्ट द्वारा लिखित पुस्तक ला ऑफ एविडेंस के 12वें संस्करण के पृष्ठ 291 पर यह इंगित किया गया है कि "निस्संदेह, निर्दोषिता की उपधारणा न्यायिक उपधारणा है किंतु रोजमर्रा के व्यवहार से यह दर्शित होता है कि यदि अभियुक्त के कब्जे से हाल ही में चोरी की संपत्ति बरामद हुई है जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त

के विरुद्ध उपधारणा की जा सकती है" । इस प्रकार अभियोजन पक्ष या विभाग पर साबित करने का भार कम हो जाता है क्योंकि तथ्य की उपधारणा उनके पक्ष में होती है । तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, यदि उसकी एकमात्र जानकारी में कोई विशेष तथ्य है तब अभियोजन पक्ष या विभाग उस मुद्दे से संबंधित अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी से बच जाएगा । इसके लिए तुच्छ साक्ष्य प्रस्तुत करके भी अभियोजन पक्ष अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है ।

उपरोक्त सिद्धांत बलराम प्रसाद अग्रवाल **बनाम** बिहार राज्य और अन्य [ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1830] वाले मामले में अनुमोदित किया गया है और इसका अनुसरण किया गया है जिसमें एक महिला ने दहेज की मांग को लेकर और संतान न होने के कारण अपने पति और ससुराल वालों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप आत्महत्या कर ली ।

14. पश्चिमी बंगाल राज्य **बनाम** मीर मोहम्मद उमर और अन्य [(2000) 8 एस. सी. सी. 382 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 2988 = 2000 क्रिमिनल ला जर्नल 4047 (एस. सी.) = 2000 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3230] वाले मामले में सबूत के भार के प्रश्न पर उन तथ्यों को लेकर विचार किया गया है जिनकी जानकारी केवल अभियुक्त को ही होती है । इस मामले में हमलावरों ने मृतक महेश को उस मकान से घसीट कर बलपूर्वक बाहर निकाला जहां वह अभियुक्तों के भय से छिपा हुआ था और अभियुक्त उसे रात्रि में लगभग 2.30 बजे वहां से दूर ले गए । अगले दिन प्रातःकाल मृतक का शव क्षतिग्रस्त अवस्था में अस्पताल में पड़ा हुआ पाया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास से

दंडादिष्ट किया । अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील फाइल की और राज्य ने भी हत्या के अपराध से की गई अभियुक्तों की दोषमुक्ति को चुनौती देते हुए अपील फाइल की । अभियुक्तों ने इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उनके द्वारा किए गए महेश के अपहरण के पश्चात् उसका क्या हुआ । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित विधि को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि मृतक के अभियुक्तों के साथ अंतिम बार देखे जाने से लेकर अस्पताल में उसके शव के बरामद होने के बीच घटनाक्रम में साक्ष्य की श्रृंखला की एक कड़ी का लोप है और विद्वान् निचले न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे हत्या के आरोप से संबंधित अभियुक्तों का दोष सिद्ध करने में असफल रहा है । इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के उपबंधों का परिशीलन करते हुए निर्णय के पैरा 31 से 34 तक निम्न सिद्धांत अधिकथित किए हैं –

> "31. महत्वपूर्ण नियम यह है कि अभियुक्त का दोष साबित करने के लिए सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और इस सिद्धांत को जीवाश्मीय सिद्धांत के रूप में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसकी रचना में युक्तियुक्तता दिखाई नहीं देती है । उपधारणा का सिद्धांत उपरोक्त नियम के लिए नया नहीं है और न ही इससे नियम का महत्व कम होता है । दूसरी ओर यदि अभियोजन पक्ष पर पड़ने वाले सबूत के भार से संबंधित पारंपरिक नियम का ही प्रयोग किया जाए, तब गंभीर मामलों में अपराधियों को बड़ा लाभ मिलेगा और समाज की स्थिति भयावह हो जाएगी ।
>
> 32. इस मामले में अभियोजन पक्ष उपरोक्त परिस्थितियों को सिद्ध करने में सफल रहा है, इसलिए न्यायालय को कतिपय तथ्यों की विद्यमानता को उपधारित करना होगा ।

'उपधारणा' कतिपय शर्तों के अधीन न्यायालय के लिए विधि द्वारा मान्यताप्राप्त प्रक्रिया है ।

33. तथ्य की उपधारणा कुछ अन्य तथ्यों में से एक भिन्न तथ्य की विद्यमानता तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक कि ऐसे निष्कर्ष की सच्चाई नासाबित न हो जाए । साक्ष्य विधि के अनुसार तथ्य की उपधारणा ऐसा नियम है जिसमें कोई तथ्य अन्यथा संदिग्ध है, तब अन्य तथ्यों के साबित होने के परिणामस्वरूप उसके संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है । जब साबित किए गए तथ्यों से किसी एक तथ्य की विद्यमानता का निष्कर्ष निकाला जाता है तब न्यायालय तर्कणा की प्रक्रिया का प्रयोग करता है और अत्यंत संभावी स्थिति के रूप में किसी तर्कसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचता है । भारत में उपरोक्त सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के निगमित होने पर विधायी अनुमोदन प्राप्त है । इस सिद्धांत के अधीन न्यायालय को ऐसे किसी भी तथ्य की विद्यमानता की उपधारणा करने की शक्ति प्राप्त है जिसका घटित होना उसकी दृष्टि से संभावी हो । इस प्रक्रिया में मामले के तथ्यों के संबंध में न्यायालय नैसर्गिक घटनाक्रम और मानव आचरण आदि पर विचार करेगा ।

34. जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि महेश का अपहरण अभियुक्तों द्वारा किया गया था और वे महेश को उस क्षेत्र से बाहर ले गए थे, तब अभियुक्त ही मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पता था कि जब तक महेश उनके साथ था तब तक महेश के साथ क्या-क्या हुआ । यदि अपहरण के पश्चात् शीघ्र ही यह पाया गया कि उसकी हत्या की गई है तब न्यायालय यही उपधारित करेगा कि अभियुक्तों ने उसकी हत्या की है । इस निष्कर्ष का खंडन केवल इस स्थिति में किया जा सकता है कि अभियुक्त न्यायालय को यह बताते कि जब तक महेश उनकी अभिरक्षा में था उसके साथ अन्यथा

क्या हुआ था । उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए इस न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 364 के अधीन दोषसिद्धि कायम रखते हुए दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन की गई दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया और अभियुक्तों को उक्त उपबंध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया ।

15. राम गुलाम चौधरी और अन्य **बनाम** बिहार राज्य [(2001) 8 एस. सी. सी. 311 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2842 = 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 4632 (एस. सी.) = 2001 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3802] वाले मामले में अभियुक्तों ने एक लड़के पर बर्बरतापूर्ण हमला करने के पश्चात् उसका अपहरण किया और उसके पश्चात् वह लड़का जीवित दिखाई नहीं दिया और न ही उसका शव पाया गया । तथापि, अभियुक्तों ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि अपहरण के पश्चात् लड़के के साथ क्या किया गया । यह अभिनिर्धारित किया गया कि लड़के के संबंध में अभियुक्तों की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण न दिए जाने की स्थिति में इस निष्कर्ष पर पहुंचना न्यायोचित होगा कि अभियुक्तों ने लड़के की हत्या की है । यह भी मत व्यक्त किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 यद्यपि अभियोजन को सबूत के भार से उन्मुक्त नहीं करती है, फिर भी अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है और इस मृत्यु से संबंधित युक्तियुक्त निष्कर्ष तथ्यों को साबित करते हुए सफलतापूर्वक निकाला गया है । अभियुक्तों को अपनी विशेष जानकारी के आधार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था जिसके आधार पर न्यायालय किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंच सकता था ।

16. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिसमें किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, विधि का एक अन्य सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए । यह सिद्धांत इस

प्रकार है कि जब कोई अपराधजन्य परिस्थिति अभियुक्त के समक्ष रखी जाती है और वह अभियुक्त उसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो असत्य पाया जाता है, तब अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य की श्रृंखला पूरी करने में एक और कड़ी जुड़ जाती है । ऐसा मत इस न्यायालय के कई विनिश्चयों में व्यक्त किया गया है [तमिलनाडु राज्य **बनाम** राजेन्द्रन, (1999) 8 एस. सी. सी. 679 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3535 = 1999 क्रिमिनल ला जर्नल 4552 (एस. सी.) = 1999 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3536 ; उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** डा. रवीन्द्र प्रकाश मित्तल, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2045 ; महाराष्ट्र राज्य **बनाम** सुरेश, (2000) 1 एस. सी. सी. 471 ; गणेश लाल **बनाम** राजस्थान राज्य, (2002) 1 एस. सी. सी. 731 = 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 967 (एस. सी.) = 2001 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5251 और गुलाब चंद **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य, (1995) 3 एस. सी. सी. 574 = ए. आई. आर. 1995 एस. सी. 1598 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2504 वाले मामले देखिए] ।

17. ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त पर अपनी पत्नी की हत्या कारित किए जाने का अभिकथन किया गया है और अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने हेतु सफलतापूर्वक साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि अपराध कारित होने के ठीक पूर्व मृतक और अभियुक्त एक साथ देखे गए थे, ऐसी स्थिति में निरंतर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त यह स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है कि उसकी पत्नी को किस प्रकार क्षति कारित हुई या वह ऐसा स्पष्टीकरण देता है जो मिथ्या पाया जाता है, तब यह उपदर्शित करने के लिए इसे एक ठोस परिस्थिति माना जाएगा कि अभियुक्त ने ही यह अपराध कारित किया है । नीका राम **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2077] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि यह तथ्य कि अभियुक्त अपनी

पत्नी के साथ उस समय घर में अकेला था जब खुखरी से उसकी हत्या की गई और अभियुक्त द्वारा इस संबंध में कोई भी तर्कसम्मत स्पष्टीकरण न दिए जाने पर इस तथ्य से अभियुक्त का दोषी होना इंगित होता है कि उसके और उसकी पत्नी के बीच संबंध तनावपूर्ण थे । गणेश लाल **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1992) 3 एस. सी. सी. 106 = 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 1545 (एस. सी.) = 1992 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1175] वाले मामले में अपीलार्थी का अभियोजन उसकी पत्नी की हत्या के लिए किया गया और यह हत्या अभियुक्त के घर के अंदर की गई थी । न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जब अभियुक्त की अभिरक्षा में मृत्यु हुई है, तब यह अपीलार्थी की जिम्मेदारी है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अपनी पत्नी की मृत्यु के संबंध में तर्कसम्मत स्पष्टीकरण दे । अभियोजन पक्षकथन से मात्र इनकार करना और इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण न दिया जाना अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ संगत नहीं हो सकता अपितु यह इस परिकल्पना के साथ संगत होगा कि अपीलार्थी ही अपनी पत्नी की हत्या कारित किए जाने में मुख्य अभियुक्त है । उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** डा. रवीन्द्र प्रकाश मित्तल [ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2045] वाले मामले में चिकित्सीय साक्ष्य से यह प्रकट हुआ कि पत्नी की मृत्यु देर रात्रि में या बहुत सवेरे श्वासावरोध से हुई है और उसका शव मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाया गया । पति द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई कि पत्नी ने आग में जलकर आत्महत्या की है और वह (पति) उस समय घर पर मौजूद नहीं था ।

पत्नी द्वारा अपने नातेदारों को लिखे गए पत्रों से यह दर्शित हुआ कि पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उन दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और साक्ष्य से यह भी प्रकट हुआ कि उस रात्रि को वे दोनों एक ही कमरे में थे । यह अभिनिर्धारित किया

गया है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हो गई थी और पति ने ही गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या की थी और तद्नुसार इस न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले उच्च न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया । तमिलनाडु राज्य **बनाम** राजेन्द्रन [(1999) 8 एस. सी. सी. 679] वाले मामले में पत्नी झोंपड़ी में मृत पाई गई और उसमें आग भी लगाई गई थी । साक्ष्य से यह दर्शित हुआ कि अभियुक्त और उसकी पत्नी को अपराह्न लगभग 9.00 बजे झोंपड़ी में एक साथ देखा गया था और अभियुक्त प्रात:काल छत के रास्ते झोंपड़ी से बाहर आया था क्योंकि झोंपड़ी में आग लगी हुई थी । अभियुक्त द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि झोंपड़ी में दुर्घटनावश आग लग गई थी जिसके परिणामस्वरूप उसकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई । चिकित्सीय साक्ष्य से यह दर्शित हुआ कि पत्नी की मृत्यु श्वासावरोध से हुई थी न कि दाह-क्षतियों से । यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि अभियुक्त पति ने ही यह अपराध कारित किया ।

18. निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को क्रमवत रखा है । अपीलार्थी अपने जीवन-निर्वाह के लिए टैम्पो चलाता था । यह पूर्णतया सिद्ध हो गया है कि टैम्पो खरीदने के लिए 25,000/- रुपए की मांग पूरी न किए जाने पर मृतका रेवता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था । मृतका रेवता की प्राय: पिटाई की जाती थी और कभी-कभी उसे भोजन भी नहीं दिया जाता था । रेवता की हत्या किए जाने के पश्चात् उसके माता-पिता को यह सूचना दी गई कि सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई है और जब मृतका के माता-पिता ग्राम किक्की अर्थात् अपीलार्थी के घर पहुंचे तब भी उन्हें मृत्यु का कारण यही बताया गया । वास्तव में, ग्राम में प्रति-व्यक्ति को यह बताया गया था कि सांप के काटने से मृतका की मृत्यु हुई है और पुलिस ने इस सूचना पर विश्वास

करके पुलिस थाने में दुर्घटनात्मक मृत्यु का मामला दर्ज किया । तथापि, चिकित्सीय साक्ष्य से यह दर्शित हो गया कि रेवता की मृत्यु श्वासावरोध से हुई है । मृतका का शव जान-बूझकर बैठने जैसी स्थिति में पीठ दीवार से सटाकर रखा गया ताकि किसी को यह पता न लग सके कि उसकी मृत्यु गला घोंटने से हुई है और सबको यही विश्वास हो कि जैसा अपीलार्थी और उसके माता-पिता ने बताया है कि मृतका की मृत्यु सांप के डसने से हुई है । अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है जिससे यह पता चल सके कि मृतका के शरीर पर कैसे क्षतियां कारित हुईं । अपीलार्थी द्वारा बताए जाने पर मृतका का कुछ सामान बरामद किया गया । उपरोक्त परिस्थितियों से अकाट्य रूप से अभियुक्त का दोषी होना इंगित होता है और ये परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ मेल नहीं खाती हैं ।"

10. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए हमारी यह दृढ़ राय है कि अभियोजन पक्ष ने सम्यक् रूप से यह तथ्य सिद्ध किया है कि अपीलार्थी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मृतका की हत्या किए जाने के समय उसके घर पर मौजूद था । अभियोजन साक्ष्य से न्यायालय का यह समाधान पर्याप्त रूप से हो जाता है कि अपीलार्थी मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता कारित किया करता था और यह कि घटना के एक मास पूर्व ही उसके इस क्रूरतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए मृतका को उसके वैवाहिक गृह से अपने पिता के यहां जाने और वहीं रहने के लिए विवश किया गया । इसके पश्चात् मृतका को समझाया गया और उसे घटना के केवल 15 दिन पूर्व ही उसे उसके वैवाहिक गृह वापस भेज दिया गया । अपीलार्थी और मृतका उस समय घर पर अकेले मौजूद थे जब मृतका की हत्या चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार गला घोंटकर की गई । अपीलार्थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन यह स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है कि उसकी पत्नी की मृत्यु का कारण क्या है जबकि उसने इस संबंध में मिथ्या स्पष्टीकरण दिया है ।

11. इस पृष्ठभूमि में, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उसकी अपनी पत्नी की हत्या के आरोप के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में पूर्णतया न्यायोचित किया है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, नीमबहेड़ा, कैम्प बड़ी सदरी, चित्तौड़गढ़ द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2006 को पारित आक्षेपित निर्णय में कोई भी कमी और अवैधता नहीं है इसलिए उसमें हस्तक्षेप किया जाना वांछनीय नहीं है ।

12. इस प्रकार, अपील में गुणता नहीं है और यह खारिज की जाती है ।

13. निचले न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

[1][गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)] अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 57)

[20 सितम्बर, 1994]

[2][गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात् लिंग चयन के प्रतिषेध का और आनुवंशिकी अप्रसामान्यताओं या मेटाबोली विकारों या गुण-सूत्री अप्रसामान्यताओं या कतिपय जन्मजात विकृतियों या लिंग-सहलग्न विकारों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के विनियमन का तथा लिंग अवधारण के लिए ऐसी तकनीकों के, जिनके कारण स्त्री-लिंगी भ्रूणवध हो सकता हो, दुरुपयोग के निवारण का तथा उन से संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम]

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम [1][गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)] अधिनियम, 1994 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "समुचित प्राधिकारी" से धारा 17 के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से धारा 7 के अधीन गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड अभिप्रेत है ;

[1][(खक) "गर्भ उत्पाद" से गर्भाधान से जन्म होने तक विकास के किसी भी प्रक्रम पर गर्भधारण का कोई उत्पाद अभिप्रेत है, जिसमें अतिरिक्त भ्रूण-झिल्ली तथा भ्रूण या गर्भ सम्मिलित है ;

(खख) "भ्रूण" से गर्भाधान के पश्चात् आठ सप्ताह (छप्पन दिन) के अंत तक कोई विकासोन्मुख मानव जीव अभिप्रेत है ;

(खग) "गर्भ" से गर्भाधान या सृजन से अनुगामी सत्तावनवें दिन से प्रारंभ होकर (जिसमें कोई ऐसा समय अपवर्जित करके जिसमें उसका विकास निलंबित रहा हो) और जन्म पर समाप्त होने वाली इसकी विकास की अवधि के दौरान कोई मानव जीव अभिप्रेत है ;]

(ग) "आनुवंशिकी सलाह केन्द्र" से रोगियों को आनुवंशिकी सलाह देने के लिए कोई संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ;

(घ) "आनुवंशिकी क्लिनिक" से अभिप्रेत है, कोई क्लिनिक, संस्था, अस्पताल, परिचर्यागृह या कोई स्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं करने के लिए उपयोग किया जाता है ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण** – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आनुवंशिकी क्लिनिक" में कोई ऐसा यान सम्मिलित है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर अथवा ऐसे अन्य उपस्कर का जो गर्भ के लिंग का अवधारण करने में सक्षम हो या किसी ऐसे वहनीय उपस्कर का जो गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने के लिए या गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन के लिए सक्षम है, उपयोग किया जाता है ;]

(ङ) "आनुवंशिकी प्रयोगशाला" से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा स्थान भी है जहां आनुवंशिकी क्लिनिक से प्रसवपूर्व निदान-परीक्षण के लिए प्राप्त नमूनों का विश्लेषण या परीक्षण करने की सुविधाएं दी जाती हैं ।

[1][**स्पष्टीकरण** – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आनुवंशिकी प्रयोगशाला" में कोई ऐसा स्थान सम्मिलित हैं जहां अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर अथवा ऐसे अन्य उपस्कर का, जो गर्भ के लिंग का अवधारण करने में सक्षम हैं या किसी ऐसे वहनीय उपस्कर का जो गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने के लिए या गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन करने में सक्षम है, उपयोग किया जाता है ;]

(च) "स्त्रीरोग विशेषज्ञ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास स्त्रीरोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है ;

[2][(छ) "चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ" में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसके पास लिंग चयन और प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के क्षेत्रों में आनुवंशिकी विज्ञान में कोई उपाधि या डिप्लोमा है या निम्नलिखित अर्हता अभिप्राप्त करने के पश्चात् इनमें से किसी क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव है :–

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई ; या

(ii) जैव-विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर उपाधि ;]

(ज) "बाल चिकित्सक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास बाल चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर अर्हता है ;

[1][(झ) "प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया" से अभिप्रेत है सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति विज्ञान संबंधी या चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं, जैसे कि पराश्रव्य लेखन, भ्रूण दार्शिकी, गर्भधारण के पूर्व या पश्चात् लिंग चयन के लिए, किसी प्रकार के किसी विश्लेषण या प्रसवपूर्व निदान-परीक्षण के लिए, किसी पुरुष या स्त्री के, उल्व-तरल, जरायु अंकुरिका, भ्रूण, रक्त या किसी अन्य टिश्यू या तरल का किसी आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में भेजने के लिए नमूना लेना या निकालना ;]

(ञ) "प्रसवपूर्व निदान-तकनीक" के अन्तर्गत सभी प्रसवपूर्व निदान प्रक्रियाएं और प्रसवपूर्व निदान परीक्षण है ;

[1][(ट) "प्रसवपूर्व निदान परीक्षण" से किसी गर्भवती स्त्री या गर्भ उत्पाद के आनुवंशिकी या मेटाबोली विकारों या गुणसूत्री अप्रसामान्यताओं या जन्मजात असंगतियों या हीमोग्लोबिन विकृतियों या लिंग सहलग्न रोगों का पता लगाने के लिए किया गया पराश्रव्य लेखन या उसके उल्व-तरल, जरायु अंकुरिका, रक्त या किसी टिश्यू या तरल का कोई परीक्षण या विश्लेषण अभिप्रेत है ;]

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता है और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट है ;

(ढ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा विरचित विनियम अभिप्रेत है ;

[1][(ण) "लिंग चयन" के अन्तर्गत इस बात को सुनिश्चित करने या उसकी संभाव्यता को वर्धित करने के प्रयोजन के लिए कि भ्रूण किसी विशिष्ट लिंग का होगा कोई प्रक्रिया, तकनीक, परीक्षण या कोई प्रयोग या नुस्खा या व्यवस्था है ;

(त) "सोनोलोजिस्ट या चित्रण विशेषज्ञ" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सा अर्हता है या जिसके पास पराश्रव्य लेखन या इमेजिंग तकनीकों या विकिरण विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर अर्हता है ;

(थ) "राज्य बोर्ड" से धारा 16क के अधीन गठित कोई राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या कोई संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(द) विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ।] ।

अध्याय 2

आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन

3. आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का विनियमन – इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, –

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

(1) कोई भी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा या ऐसे क्रियाकलापों के किए जाने में सहबद्ध या सहायक नहीं होगा ।

[1][(2) कोई भी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ऐसी अर्हताएं, जो विहित की जाएं, नहीं हैं, मानार्थ या संदाय पर नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं कराएगा या उसकी सेवाएं नहीं लेगा ।]

(3) कोई भी चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बाल चिकित्सक, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर कोई प्रसवपूर्व निदान-तकनीक प्रक्रिया स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उपयोग नहीं करेगा या नहीं कराएगा या उसके उपयोग में सहायता नहीं करेगा ।

[2][**3क. लिंग चयन पर प्रतिषेध** – कोई व्यक्ति, जिसमें बंध्यता के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञ या विशेषज्ञों का दल सम्मिलित है, किसी स्त्री या किसी पुरुष या दोनों पर अथवा उनमें से किसी से या दोनों से लिए गए किसी टिश्यू, भ्रूण गर्भ उत्पाद, तरल या गेमीट पर स्वयं लिंग चयन नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कराएगा अथवा ऐसा करने में स्वयं सहायता नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से सहायता नहीं लेगा ।

3ख. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध – कोई व्यक्ति ऐसे किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।

प्रयोगशाला, आनुवंशिकी क्लिनिक या किसी अन्य व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पराश्रव्य मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए सक्षम किसी अन्य उपस्कर का विक्रय नहीं करेगा ।]

अध्याय 3
प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों का विनियमन

4. **प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों का विनियमन** – इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, –

(1) ऐसे किसी भी स्थान का, जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिकी सलाह केन्द्र या आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक है, किसी व्यक्ति द्वारा, खंड (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों और खंड (3) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्तों को पूरा करने के पश्चात् के सिवाय, प्रसवपूर्व निदान-तकनीक प्रक्रिया करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा अथवा उपयोग नहीं कराया जाएगा ;

(2) कोई भी प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का निम्नलिखित अप्रसामान्यताओं में से किसी का पता लगाने के प्रयोजनों के सिवाय, उपयोग नहीं किया जाएगा :–

(i) गुणसूत्री अप्रसामान्यताएं ;

(ii) आनुवंशिकी मेटाबोली रोग ;

(iii) हीमोग्लोबिन विकृतियां ;

(iv) लिंग सहलग्न आनुवंशिकी रोग ;

(v) जन्मजात असंगतियां ;

(vi) ऐसी कोई अप्रसामान्यताएं या रोग जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

[1][(3) किसी भी प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का उपयोग या परिचालन

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

तभी किया जाएगा जब ऐसा करने के लिए अर्हित व्यक्ति का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ति हो गई है, अर्थात् :-

(i) गर्भवती स्त्री की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक है ;

(ii) गर्भवती स्त्री के दो या दो से अधिक स्वतःगर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है ;

(iii) गर्भवती स्त्री, विभव विरूपजनकों, जैसे कि ओषधियों, विकिरणों, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है ;

(iv) गर्भवती स्त्री या उसके पति के कुटुम्ब में मानसिक मंदता या शारीरिक विरूपिता जैसे कि संस्तम्भता या किसी अन्य आनुवंशिकी रोग का परिवार वृत है ;

(v) कोई अन्य शर्त जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु किसी गर्भवती स्त्री पर पराश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति क्लिनिक में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उसका पूरा अभिलेख रखेगा और उसमें पाई गई कोई कमी या अशुद्धि या धारा 5 या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन मानी जाएगी जब तक कि ऐसा पराश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति उसके विपरीत साबित नहीं कर देता है ;

(4) कोई व्यक्ति जसमें गर्भवती स्त्री का नातेदार या पति सम्मिलित है, खंड (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के सिवाय, उस पर किसी प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का उपयोग नहीं कराएगा या उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा ।

(5) कोई व्यक्ति जिसमें किसी स्त्री का कोई नातेदार या पति सम्मिलित है, उस स्त्री पर या उसके नातेदार या पति पर या दोनों पर किसी लिंग चयन करने वाली तकनीक का प्रयोग नहीं कराएगा या कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करेगा ।]

5. गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना का प्रतिषेध – (1) धारा 3 के खंड (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, प्रसवपूर्व-निदान प्रक्रियाओं का उपयोग तब करेगा जब –

(क) उसने संबंधित गर्भवती स्त्री को ऐसी प्रक्रियाओं के सभी ज्ञात अनुषंगी प्रभावों और अनुवर्ती प्रभावों को स्पष्ट कर दिया हो ;

(ख) उसने ऐसी प्रक्रियाएं कराने की उसकी लिखित सहमति ऐसी भाषा में, जो वह समझती है, विहित प्रारूप में प्राप्त कर ली हो ; और

(ग) खंड (ख) के अधीन प्राप्त उसकी लिखित सहमति की प्रति गर्भवती स्त्री को दे दी हो ।

[1][(2) कोई व्यक्ति जिसमें प्रसवपूर्व निदान-प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है, संबंधित गर्भवती स्त्री या उसके नातेदारों या किसी अन्य व्यक्ति को शब्दों, संकेतों द्‌वारा या किसी अन्य रीति से भ्रूण का लिंग संसूचित नहीं करेगा।]

6. लिंग अवधारण का प्रतिषेध – इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, –

(क) कोई भी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र या आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक किसी प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का, जिसके अन्तर्गत भ्रूण के लिंग का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए पराश्रव्य लेखन है, अपने केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक में उपयोग नहीं करेगा या नहीं कराएगा ;

(ख) कोई भी व्यक्ति, किसी भ्रूण के लिंग का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए किसी प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का, जिसके अन्तर्गत पराश्रव्य लेखन है, उपयोग नहीं करेगा या नहीं कराएगा ;

[2][(ग) कोई भी व्यक्ति, गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात्

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 7 द्‌वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 9 द्‌वारा अंतःस्थापित ।

लिंग का चयन किसी भी ढंग से कारित नहीं करेगा या कारित करवाने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।]

अध्याय 4

केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड

7. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक बोर्ड का, जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा, गठन करेगी ।

(2) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग का भारसाधक मंत्री, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) भारत सरकार का सचिव जो परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक है, पदेन उपाध्यक्ष होगा ;

[1][(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला और बाल विकास, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग या विधायी विभाग तथा आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी की भारतीय पद्धति के भारसाधक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियुक्त किए गए तीन पदेन सदस्य ;]

(घ) केन्द्रीय सरकार का स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन ;

(ङ) दस सदस्य, जो निम्नलिखित में से दो-दो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगें –

(i) विख्यात चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ ;

[2][(ii) विख्यात स्त्री रोग विज्ञानी और प्रसूतिरोग विज्ञानी या

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 10 द्वारा अंत:स्थापित ।

स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र का विशेषज्ञ ;]

(iii) विख्यात बालचिकित्सा विज्ञानी ;

(iv) विख्यात समाज विज्ञानी ; और

(v) महिला कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि ;

(च) तीन महीला संसद सदस्य, जिनमें से दो लोक सभा द्वारा और एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित की जाएंगी ;

(छ) चार सदस्य, जो राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो वर्णानुक्रम में और दो उल्टे वर्णानुक्रम में केन्द्रीय सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ;

(ज) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का या उसके समतुल्य पंक्ति का अधिकारी, जो परिवार कल्याण या भारसाधक है ; पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

8. सदस्यों की पदावधि – (1) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य की पदावधि, –

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में, तीन वर्ष होगी : [1]***

[2][परंतु धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह सदस्य, मंत्री या राज्य मंत्री या उप मंत्री अथवा लोक सभा की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा

---

[1] 2001 के अधिनियम सं. 32 की धारा 2 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2001 के अधिनियम सं. 32 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

राज्य सभा की उप सभापति हो जाती है अथवा उस सदन की सदस्य नहीं रह जाती है, जिससे वह निर्वाचित की गई थी, समाप्त हो जाएगी ; और]

(ख) उक्त उपधारा के खंड (छ) के अधीन नियुक्ति की दशा में, एक वर्ष होगी ।

(2) यदि किसी अन्य सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति, चाहे वह उसकी मृत्यु, पदत्याग या रुग्णता अथवा अन्य असमर्थता के कारण अपने कृत्यों के निर्वहन में अयोग्यता के कारण होती है तो ऐसी रिक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा नए सिरे से नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य, उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर उसे ऐसे नियुक्त किया गया है, शेष पदावधि के लिए, पद धारण करेगा ।

(3) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो, समय-समय पर, अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

(4) सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

9. बोर्ड के अधिवेशन – (1) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे समय और समय और स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं :

परंतु बोर्ड का अधिवेशन छह माह में कम से कम एक बार होगा ।

(2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(4) ऐसे सभी प्रश्न जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(5) पदेन सदस्यों, से भिन्न सदस्य बोर्ड, से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

10. रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना – बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि, –

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

11. **विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन** – (1) बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोजित कर सकेगा जिसकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिए वांछा करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए, बोर्ड द्वारा अपने साथ सहयोजित व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे बोर्ड के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

12. बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति – (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में बोर्ड को

समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए बोर्ड, ऐसे विनियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, उतने अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को (चाहे प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) नियुक्त कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे :

परंतु अधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग की नियुक्ति, जिन्हें ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी ।

(2) बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा और ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

13. बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन – बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा जारी की गई सभी अन्य लिखतें, बोर्ड के सदस्य-सचिव, या वैसी ही रीति से इस निमित्त प्राधिकृत बोर्ड के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी ।

14. सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं – कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित होगा, यदि वह –

(क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) विकृतचित्त का है, और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है ; या

(घ) सरकार की या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है ; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में ऐसा वित्तीय या अन्य

हित रखता है जिसके कारण उसके द्वारा सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

[1][(च) केन्द्रीय सरकार की राय में, लिंग के अवधारण के लिए प्रसवपूर्व निदान-तकनीक के उपयोग या उन्नयन में या किसी लिंग चयन तकनीक में सहयुक्त रहा है ।]

15. पुन: नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता – सेवा के ऐसे अन्य निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं रह जाता है, ऐसे सदस्य के रूप में पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

[2][परन्तु पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य लगातार दो अवधियों से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा ।]

[1][**16. बोर्ड के कृत्य** – बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(i) प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों के उपयोग और उनके दुरुपयोग के विरुद्ध नीति-विषयक मामलों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना ;

(ii) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करना और उन्हें मानीटर करना तथा केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम और नियमों में परिवर्तन करने के लिए सिफारिश करना ;

(iii) गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और गर्भ के लिंग का प्रसवपूर्व अवधारण करने की प्रथा के विरुद्ध, जिसके कारण स्त्री लिंगी भ्रूण वध हो, लोक जागृति पैदा करना ;

(iv) आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

और आनुवंशिकी क्लिनिकों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता अधिकथित करना ;

(v) अधिनियम के अधीन गठित विभिन्न निकायों के कार्यपालन का निरीक्षण करना और उसके समुचित और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाना ;

(vi) कोई अन्य कृत्य जो अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं ।]

[1][**16क. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन** – (1) विधान-मंडल वाला प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, यथास्थिति, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड के नाम से ज्ञात एक बोर्ड का गठन करेगा जिसके निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(i) राज्य में गर्भधारणपूर्व लिंग चयन और गर्भ के लिंग का प्रसवपूर्व अवधारण करने की प्रथा के विरुद्ध, जिसके कारण स्त्रीलिंगी भ्रूणवध हो, लोक जागृति पैदा करना ;

(ii) राज्य में कार्यरत समुचित प्राधिकारियों के क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करना और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की सिफारिश करना ;

(iii) अधिनियम और नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन को मानीटर करना और उनके संबंध में बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना ;

(iv) अधिनियम के अधीन राज्य में किए गए विभिन्न क्रियाकलापों की बाबत बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को ऐसी समेकित रिपोर्टें भेजना, जो विहित की जाएं ; और

(v) ऐसे अन्य कृत्य, जो अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 12 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) राज्य बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) राज्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का भारसाधक मंत्री, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का भारसाधक सचिव, जो पदेन उपाध्यक्ष होगा ;

(ग) महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, विधि और आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथी की भारतीय पद्धति विभागों के भारसाधक पदेन सचिव या आयुक्त अथवा उनके प्रतिनिधि ;

(घ) राज्य सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण या आयुर्विज्ञान तथा होम्योपैथी की भारतीय पद्धति का पदेन निदेशक ;

(ङ) विधान सभा या विधान परिषद् की तीन महिला सदस्य ;

(च) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए दस सदस्य, जिनमें से प्रत्येक दो निम्नलिखित प्रवर्गों से होंगे :-

(i) विख्यात समाज विज्ञानी और विधि विशेषज्ञ ;

(ii) गैर-सरकारी संगठनों से या अन्यथा विख्यात महिला सक्रियतावादी ;

(iii) विख्यात स्त्री रोग विज्ञानी और प्रसूति विज्ञानी या स्त्री रोग या प्रसूति तंत्र के विशेषज्ञ ;

(iv) विख्यात बाल चिकित्सक या चिकित्सीय आनुवंशिकी-विज्ञानी ;

(v) विख्यात विकिरण चिकित्सी विज्ञानी या सोनोलोजिस्ट ;

(छ) एक अधिकारी, जो परिवार कल्याण के भारसाधक संयुक्त निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो और जो पदेन सदस्य सचिव होगा ।

(3) राज्य बोर्ड की बैठक चार मास में कम से कम एक बार होगी ।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी ।

(5) पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के पद में रिक्ति होने की दशा में, उसे नई नियुक्ति करके भरा जाएगा ।

(6) यदि विधान सभा का कोई सदस्य या विधान परिषद् का कोई सदस्य, जो राज्य बोर्ड का सदस्य है, मंत्री या विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति हो जाता है तो वह राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(7) राज्य बोर्ड की गणपूर्ति इसकी कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से होगी ।

(8) राज्य बोर्ड, जब कभी अपेक्षित हो, एक सदस्य को सहयोजित कर सकता है परन्तु सहयोजित सदस्यों की संख्या राज्य बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी ।

(9) सहयोजित सदस्यों की, मताधिकार के सिवाय, वही शक्तियां और कृत्य होंगे जो अन्य सदस्यों के हैं और वे नियमों तथा विनियमों का पालन करेंगे ।

(10) उन विषयों के संबंध में, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, राज्य बोर्ड उन्हीं प्रक्रियाओं तथा शर्तों का अनुसरण करेगा, जो बोर्ड को लागू हैं ।]

अध्याय 5

समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति

17. समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति – (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त करेगी ।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक समुचित प्राधिकारियों को, संपूर्ण राज्य

या उसके भाग के लिए प्रसवपूर्व लिंग अवधारण की समस्या की व्यापकता को, जिससे स्त्रीलिंगी, भ्रूणवध होता है, ध्यान में रखते हुए, नियुक्त करेगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारी, –

[1][(क) जब संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाएं, तब वे निम्नलिखित तीन सदस्यों से मिलकर बनेंगे :–

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक की या उससे ऊपर की पंक्ति का एक अधिकारी या अध्यक्ष ;

(ii) महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विख्यात महिला ; और

(iii) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधि विभाग का एक अधिकारी :

परन्तु यह संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का कर्तव्य होगा कि वह प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का 14) के प्रवृत्त होने के तीन मास के भीतर राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय बहुसदस्यीय समुचित प्राधिकरण का गठन करे :

परन्तु यह और कि उसमें होने वाली किसी रिक्ति को, उसके होने के तीन मास के भीतर भरा जाएगा,]

(ख) जब राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग के लिए नियुक्त किए जाएं ऐसी अन्य पंक्ति के होंगे, जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार उचित समझे ।

(4) समुचित प्राधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :–

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर, निलंबित या रद्द करना ;

(ख) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला और आनुवंशिकी क्लिनिक के लिए विहित मानक लागू करना ;

(ग) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के भंग से संबंधित परिवादों का अन्वेषण करना और तत्काल कार्रवाई करना ; और

(घ) रजिस्ट्रीकरण के आवेदनों पर तथा रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण की शिकायतों पर उपधारा (5) के अधीन गठित सलाहकार समिति की सलाह लेना और उस पर विचार करना ;

[1][(ङ) किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर किसी लिंग चयन तकनीक के उपयोग के विरुद्ध स्वप्रेरणा से या उसकी जानकारी में लाए जाने पर उपयुक्त विधिक कार्रवाई करना और ऐसे मामले में स्वतंत्र रूप से अन्वेषण भी आरंभ करना ;

(च) लिंग चयन या प्रसवपूर्व लिंग अवधारण की प्रथा के विरुद्ध जनसाधारण में जागरूकता पैदा करना ;

(छ) अधिनियम और नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना ;

(ज) प्रौद्योगिकी या सामाजिक दशाओं में परिवर्तनों के अनुसार नियमों में अपेक्षित उपांतरणों के संबंध में बोर्ड और राज्य बोर्डों को सिफारिश करना ;

(झ) रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के लिए परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करना ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 15 द्वारा अंतःस्थापित ।

(5) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार समुचित प्राधिकारी को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रत्येक समुचित प्राधिकारी के लिए एक सलाहकार समिति गठित करेगी और सलाहकार समिति के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

(6) सलाहकार समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विज्ञानी, बाल चिकित्सा विज्ञानी और चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञों में से तीन आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ ;

(ख) एक विधि विशेषज्ञ ;

(ग) यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के सूचना और प्रचार से संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकारी ;

(घ) तीन विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें कम से कम एक महिला संगठनों के प्रतिनिधियों में से होगा ।

[1][(7) कोई भी व्यक्ति, जो लिंग के अवधारण या लिंग चयन की प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के उपयोग या उन्नयन में सहयुक्त रहा है, सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा ।]

(8) सलाहकार समिति का अधिवेशन, रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन पर या रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के किसी परिवाद पर विचार करने के लिए और उस पर सलाह देने के लिए जब कभी वह उचित समझे या समुचित प्राधिकारी के अनुरोध पर किया जा सकेगा :

परन्तु दो अधिवेशनों के बीच की अवधि विहित अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(9) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी समिति द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

[1][**17क. समुचित प्राधिकरियों की शक्तियां** – समुचित प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों की बाबत शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को समन करना, जिसके कब्जे में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित कोई जानकारी है ;

(ख) खंड (क) से संबंधित किसी दस्तावेज या भौतिक पदार्थ को पेश करना ;

(ग) ऐसे किसी स्थान के संबंध में तलाशी वारंट जारी करना, जिसके बारे में संदेह है कि वह लिंग चयन तकनीक या प्रसवपूर्व लिंग अवधारण में लिप्त है ; और

(घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।]

अध्याय 6

आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं और आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण

[2][**18. आनुवंशिकी सलाह केन्द्रों, आनुवंशिकी प्रयोगशालाओं या आनुवंशिकी क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण** – (1) कोई भी व्यक्ति, प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पश्चात् कोई आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक, जिसके अंतर्गत ऐसा क्लिनिक, प्रयोगशाला या केन्द्र भी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य ऐसी प्रौद्योगिकी है, जो भ्रूण के लिंग

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

का अवधारण करने और लिंग का चयन करने में समर्थ है, या उनमें से कोई सेवाएं प्रदान करता है तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि ऐसा केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित अधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए ।

(3) प्रत्येक आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक जो भागतः या अनन्यतः इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व धारा 4 में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रसवपूर्व निदान-तकनीक संबंधी सलाह देने या उनके उपयोग करने में लगा हुआ है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(4) धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक जो प्रसवपूर्व निदान-तकनीक संबंधी सलाह देने या उनके उपयोग करने में लगा हुआ है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की समाप्ति पर, जब तक कि ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया हो और उसका इस प्रकार पृथक्ततः या संयुक्ततः रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाता है अथवा तब जब कि ऐसे आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी किसी तकनीक संबंधी सलाह देना या उनका उपयोग बन्द कर देगा ।

(5) कोई आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला और आनुवंशिकी क्लिनिक इस अधिनियम के अधीन तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जह तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक ऐसी सुविधाएं प्रदान करने, ऐसे उपस्कर का अनुरक्षण करने और स्तरमान बनाए रखने की स्थिति में है, जो विहित किए जाएं ।

19. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र – (1) समुचित प्राधिकारी, जांच करने के पश्चात् और अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है, और इस निमित्त सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को, पृथक्ततः या संयुक्ततः विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देगा ।

(2) यदि, जांच करने के पश्चात् और आवेदक की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम या नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है तो वह रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन को, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नामंजूर कर देगा ।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के पश्चात् तथा ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर, जो विहित की जाए, नवीकरण किया जाएगा ।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा अपने कारबार के स्थान में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

20. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलम्बन – (1) समुचित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या परिवाद किए जाने पर, आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि उसका रजिस्ट्रीकरण, सूचना में उल्लिखित कारणों से निलंबित या रद्द क्यों न कर दिया जाए ।

(2) यदि आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और सलाहकार समिति की सलाह को ध्यान में रखते हुए, समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या नियमों

के उपबंधों में से किसी को भंग किया गया है तो वह किसी दांडिक कार्यवाही पर, जो वह ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के विरुद्ध कर सकेगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, उसके रजिस्ट्रीकरण को, ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, निलंबित कर सकेगा या, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात को होते हुए भी, यदि समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी कोई सूचना जारी किए बिना, किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा ।

21. अपील – आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक, समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 20 के अधीन पारित रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध विहित रीति से, –

(i) जहां वह अपील केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है, वहां केन्द्रीय सरकार को ; और

(ii) जहां वह अपील राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध है वहां राज्य सरकार को, अपील कर सकेगा ।

अध्याय 7
अपराध और शास्तियां

[1][**22. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण संबंधी विज्ञापन का प्रतिषेध और उसके उल्लंघन के लिए दंड** – (1) कोई भी व्यक्ति, संगठन, आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक, जिसके अंतर्गत ऐसा क्लिनिक, प्रयोगशाला या केन्द्र भी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या कोई अन्य

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ऐसी प्रौद्योगिकी है, जो भ्रूण के लिंग का अवधारण करने और लिंग चयन करने में समर्थ है, प्रसवपूर्व लिंग अवधारण या गर्भधारण पूर्व लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में, जो ऐसे केन्द्र प्रयोगशाला, क्लिनिक या किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध है, कोई विज्ञापन, किसी भी रूप में, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करवाएगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति या संगठन, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक भी है, किसी भी प्रकार के साधनों के द्वारा, चाहे वैज्ञानिक हो या अन्यथा, लिंग के प्रसवपूर्व अवधारण या गर्भधारण पूर्व चयन के संबंध में किसी रीति में कोई विज्ञापन जारी, प्रकाशित, वितरित, संसूचित नहीं करेगा या जारी, प्रकाशित, वितरित या संसूचित नहीं करवाएगा ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, आवेष्टक या कोई अन्य दस्तावेज है, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या मुद्रति रूप में इंटरनेट के या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन भी है तथा इसमें पट्ट विज्ञापन, दीवार-पेंटिंग, संकेत, प्रकाश, ध्वनि, धुंआ या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्यरूपण भी है ।]

23. अपराध और शास्तियां – (1) कोई चिकित्सा आनुवंशिकीविज्ञ, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या कोई व्यक्ति, जो आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक का स्वामी है या ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक में नियोजित है तथा अपनी वृत्तिक या तकनीकी सेवाएं, ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक को चाहे वे अवैतनिक आधार पर हों या अन्यथा, प्रदान करता है, और जो इस अधिनियम या इसके अधीन

बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

[1][(2) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, यदि न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए जाते हैं, और मामले के निपटाए जाने तक, और सिद्धदोष ठहराए जाने पर उसके नाम को प्रथम अपराध के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप से परिषद् के रजिस्टर से हटाया जाना भी है, रिपोर्ट किया जाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक या इमेजिंग क्लिनिक की या किसी चिकित्सा आनुवंशिकी विज्ञानी, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, सोनोलोजिस्ट, इमेजिंग विशेषज्ञ या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या किसी अन्य व्यक्ति की, धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का उपयोग करने के लिए सहायता लेगा, प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह उपबंध किया जाता है कि उपधारा (3) के उपबंध ऐसी स्त्री को लागू नहीं होंगे, जिसे ऐसी निदान-तकनीक कराने या ऐसा लिंग चयन करने के लिए विवश किया गया हो ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**24. प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों के संचालन की दशा में उपधारणा** – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा करेगा कि गर्भवती स्त्री प्रसवपूर्व निदान-तकनीक का धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग कराने के लिए, यथास्थिति, उसके पति या किसी अन्य नातेदार द्वारा विवश की गई थी और ऐसा व्यक्ति धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दायी होगा और उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध के लिए दंडनीय होगा ।]

25. अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है – जो कोई इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उन उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए इस अधिनियम में अन्य किसी शास्ति का उपबंध नहीं है वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और जहां ऐसा उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

26. कंपनियों द्वारा अपराध – (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए भी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

27. अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना – इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होगा ।

28. अपराधों का संज्ञान – (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, –

(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अथवा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने अभिकथित अपराध की और

न्यायालय में परिवाद करने के अपने आशय की कम से कम [1][पन्द्रह दिन] की सूचना विहित रीति से समुचित प्राधिकारी को दी है,

किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई सामाजिक संगठन है ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(3) जहां कोई परिवाद उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किया गया है वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, समुचित प्राधिकारी को, उसके कब्जे में के सुसंगत अभिलेखों की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगा ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

29. अभिलेख का रखा जाना – (1) इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टों, प्रारूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का, दो वर्ष की अवधि तक या ऐसी अवधि तक, जो विहित की जाए, परिरक्षण किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के विरुद्ध कोई दांडिक या अन्य कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के अभिलेखों और अन्य सभी दस्तावेजों का ऐसी कार्यवाहियों के अंतिम निपटारे तक परिरक्षण किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी अभिलेख, सभी युक्तियुक्त समयों पर, समुचित

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्राधिकारी को या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे ।

30. तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति – [1][(1) यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सभी युक्तियुक्त समयों पर, ऐसे आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला, आनुवंशिकी क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसा ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और वहां पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और उसे अभिगृहीत और मुहरबंद कर सकेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के पास वह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य मिल सकता है ।]

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन ली गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

31. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण – इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**31क. कठिनाइयों का दूर किया जाना** – (1) यदि प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का 14) के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का 14) के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सकेगा ।]

32. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात :-

[2][(i) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक में नियोजित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं ;

(iक) वह रीति, जिसमें धारा 4 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन किसी गर्भवती स्त्री पर पराश्रव्य लेखन करने वाला व्यक्ति क्लिनिक में उसका अभिलेख रखेगा ;]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 23 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ii) वह प्रारूप जिसमें गर्भवती स्त्री की धारा 5 के अधीन सहमति अभिप्राप्त की जानी है ;

(iii) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(iv) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञेय भत्ते ;

(v) धारा 17 की उपधारा (8) के परन्तुक के अधीन सलाहकार समिति के किन्हीं दो अधिवेशनों के बीच की अवधि ;

[1][(ivक) आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला और आनुवंशिकी क्लिनिकों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता जिसे धारा 16 के खंड (iv) के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा अधिकथित किया जाएगा ;

(ivख) वह रीति जिसमें राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्डों द्वारा धारा 16क की उपधारा (1) के खंड (iv) के अधीन उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में बोर्ड और केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी ;

(ivग) धारा 17क के खंड (घ) के अधीन किसी अन्य मामले में समुचित प्राधिकारी को सशक्त करना ;]

(vi) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसी समिति द्वारा धारा 17 की उपधारा (9) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(vii) वह प्रारूप जिसमें और रीति जिससे धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और उसके लिए संदेय फीस ;

---

[1] 2003 के अधिनियम सं. 14 की धारा 24 द्वारा अंत:स्थापित ।

(viii) धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, अनुरक्षित किए जाने वाले उपस्कर और बनाए रखे जाने वाले अन्य मानक ;

(ix) वह प्रारूप जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा ;

(x) वह रीति जिससे और वह अवधि जिसके पश्चात् धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए संदेय फीस ;

(xi) वह रीति जिससे धारा 21 के अधीन अपील की जा सकेगी ;

(xii) वह अवधि जिस तक धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों, चार्टों, आदि का परिरक्षण किया जाएगा ;

(xiii) वह रीति जिससे दस्तावेज, अभिलेख, सामग्री आदि का अभिग्रहण किया जाएगा और वह रीति जिससे अभिग्रहण सूची तैयार की जाएगी तथा उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सामग्री धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई थी ;

(xiv) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

33. विनियम बनाने की शक्ति – बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए बना सकेगा, अर्थात् :-

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा उन सदस्यों की संख्या जिनसे मिलकर गणपूर्ति होगी ;

(ख) वह रीति जिससे कोई व्यक्ति धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ अस्थायी रूप से सहयोजित किया जा सकेगा ;

(ग) धारा 12 के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का ढंग, सेवा की शर्तें तथा वेतनमान और भत्ते ;

(घ) साधारणतः बोर्ड के कार्यकलापों का दक्ष संचालन ।

34. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना – इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Cover-iv

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय – डा. एस. सी. खरे – 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) – विधि साहित्य प्रकाशन – 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार – डा. शिवदत्त शर्मा – 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in

Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन https://bharatkosh.gov.in/product/ product पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in